मेन्स

आंसर राइटिंग

संग्रह

सितंबर 2025

अनुक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर-1 ..... **3**

- इतिहास 3
- भूगोल 6
- भारतीय विरासत एवं संस्कृति 9
- भारतीय समाज 10

सामान्य अध्ययन पेपर-2 ..... **15**

- राजव्यवस्था एवं शासन 15
- अंतर्राष्ट्रीय संबंध 21
- सामाजिक न्याय 26

सामान्य अध्ययन पेपर-3 ..... **30**

- अर्थव्यवस्था 30
- जैवविविधता एवं पर्यावरण 36
- आंतरिक सुरक्षा 38
- आपदा-प्रबंधन 40

सामान्य अध्ययन पेपर-4 ..... **43**

- केस स्टडीज़ 43
- सैद्धांतिक प्रश्न 52

निबंध **63**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सामान्य अध्ययन पेपर-१

इतिहास

प्रश्न : "दोनों विश्व युद्ध विचारधारा से कम तथा भूगोल एवं संसाधनों से अधिक संबद्ध थे।" समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- विश्व युद्धों का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- भू-राजनीतिक और सामरिक विचार प्रस्तुत कीजिये।
- संसाधन प्रतिस्पर्द्धा और आर्थिक कारकों की चर्चा कीजिये।
- जन-संगठन के लिये विचारधारा को एक साधन के रूप में प्रस्तुत कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) और द्वितीय विश्व युद्ध (वर्ष 1939-1945) प्रमुख शक्तियों से जुड़े वैश्विक संघर्ष थे, जिन्हें प्राय: वैचारिक संघर्ष के रूप में देखा जाता है। हालाँकि, ये मुख्यत: भू-राजनीतिक हितों, रणनीतिक स्थानों एवं संसाधनों पर नियंत्रण से प्रेरित थे।

मुख्य भाग:

- **भू-राजनीतिक एवं सामरिक विचार:** दोनों विश्व युद्ध भौगोलिक रूप से अत्यधिक प्रभावित थे।
  - प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की स्थिति फ्राँस और रूस के समीप होने के कारण पश्चिमी मोर्चे पर अत्यधिक सैन्यीकृत क्षेत्र बना, जिसके परिणामस्वरूप खाई युद्ध (Trench Warfare) हुआ।
    - इसके अलावा, मार्ने और ऐस्ने की लड़ाइयों (वर्ष 1914) ने फ्राँस में तेज़ी से जर्मनी के बढ़ते कदमों को रोक दिया, जिससे उसे पीछे हटने के लिये विवश होना पड़ा, जिससे खाई युद्ध की स्थिति लंबे समय तक बनी रही।
- इन संघर्षों और उसके बाद 'रेस टू द सी' ने पश्चिमी मोर्चे पर लंबे समय तक चलने वाले खाई युद्ध की स्थिति बना दी।
  - इसी प्रकार, द्वितीय विश्व युद्ध में उत्तरी अफ्रीका, भू-मध्य सागर और दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों पर रणनीतिक नियंत्रण आपूर्ति मार्गों एवं व्यापार गलियारों को नियंत्रित करने के लिये महत्त्वपूर्ण था।
    - स्वेज़ नहर और मलक्का जलडमरूमध्य जैसे नौ-सैनिक चोक पॉइंट्स निर्णायक क्षेत्र बन गए, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि भौगोलिक लाभ प्राय: सैन्य अभियानों को विचारधारा से अधिक निर्देशित करते थे।
- **संसाधन प्रतिस्पर्द्धा:** युद्ध का प्रमुख कारण प्राकृतिक और औद्योगिक संसाधनों पर अधिकार था। कोयला, लोहा, तेल और रबर युद्धकालीन अर्थव्यवस्थाओं के लिये महत्त्वपूर्ण थे।
  - द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान का दक्षिण-पूर्व एशिया में विस्तार मुख्य रूप से तेल और कच्चे माल की आवश्यकता से प्रेरित था।
  - पूर्वी यूरोप में जर्मनी के आक्रमण का उद्देश्य कृषि और खनिज संसाधनों को प्राप्त करना था।
  - यहाँ तक कि उत्तरी अफ्रीकी अभियान सहित मित्र देशों की रणनीति भी युद्ध प्रयासों को बनाए रखने के लिये ईंधन, धातु और अनाज की सुरक्षा पर आधारित थी।
- **आर्थिक और औद्योगिक कारक:** औद्योगिक क्षमता ने वैचारिक प्रतिबद्धता से अधिक सैन्य परिणामों को निर्धारित किया।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे मज़बूत औद्योगिक आधार वाले राष्ट्र लंबे समय तक संघर्षों का सामना करने में सक्षम थे।
  - रूहर वैली या कोयला-समृद्ध सिलेसिया जैसे औद्योगिक क्षेत्रों पर नियंत्रण युद्ध के मुख्य उद्देश्य बन गए।
- **जन-संगठन के लिये विचारधारा का प्रयोग:** विचारधारा का प्रयोग युद्धों को वैध ठहराने और जनता को प्रेरित करने के लिये किया गया, पर यह गौण थी।
  - नाज़ीवाद के विरुद्ध संघर्ष ने नैतिक आधार तो दिया, किंतु तेल क्षेत्रों की रक्षा या भूमध्यसागर तक अभिगम्यता सुनिश्चित करना वास्तविक सैन्य प्राथमिकताएँ थीं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

निष्कर्ष:

यद्यपि दोनों विश्व युद्धों की कथा को वैचारिक रूप में प्रस्तुत किया गया, परंतु वास्तविकता में भूगोल और संसाधन ही संघर्ष एवं रणनीति के मुख्य निर्धारक थे। जैसा कि इतिहासकार ए.जे.पी. टेलर ने तर्क दिया है, ***"युद्ध अमूर्त सिद्धांतों के लिये नहीं, बल्कि ठोस शक्ति, क्षेत्र और अस्तित्व के लिये लड़े गए।"***

प्रश्न : "चंदेलों की स्थापत्यकला और मूर्तिकला की शैली उनकी संरचनात्मक परिपक्वता एवं कथात्मक गहनता को अभिव्यक्त करती है।" विवेचना कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- चंदेल वंश का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- चंदेलों की स्थापत्यकला और मूर्तिकला परंपरा को रेखांकित कीजिये।
- चंदेलों की स्थापत्यकला एवं मूर्तिकला की संरचनात्मक परिपक्वता और कथात्मक गहनता पर चर्चा कीजिये।
- उनके निरंतर विरासत की प्रासंगिकता के साथ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

चंदेल वंश (9वीं–13वीं शताब्दी ई.) ने बुंदेलखंड पर शासन करते हुए खजुराहो में मंदिर स्थापत्यकला की अद्वितीय कृतियों का संरक्षण किया, जिन्हें आज UNESCO विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये मंदिर न केवल नागर शैली की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करते हैं, बल्कि ये मध्यकालीन भारत की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को भी मूर्त रूप देते हैं, जहाँ तकनीकी निपुणता को शैलकृत गहन कथात्मक दृष्टि के साथ संतुलित किया गया।

मुख्य भाग :

संरचनात्मक परिष्कार

- **नागर शैली की विशेषताएँ:** ऊँचे वेदिका-आधार (जगती), अक्षीय योजनाएँ तथा परिक्रमा पथों के साथ संधार डिज़ाइन।
- **जटिल विन्यास:** गर्भगृह, अंतराल, मंडप तथा ऊँचे शिखरों का सुसंगठित संयोजन।
- **ऊर्ध्व भव्यता:** पर्वत श्रृंखला के सदृश अनेक शिखरों का एक समूह (जैसे: कंदरिया महादेव मंदिर)।
- **अभियांत्रिक कौशल:**
  - बिना गारे के सटीक शिल्प-कटाई और अंत:स्थापन तकनीक।
  - भार के प्रभावी वितरण हेतु कलात्मक रूप से बने कॉर्बेल्ड गुंबदों का प्रयोग।
- **सौंदर्यात्मक संतुलन:** ऊर्ध्व गामिता और क्षैतिज प्रसार के बीच संतुलन, जिससे सघनता बनी रहती है, परंतु भव्यता कम नहीं होती।

मूर्तिकला में कथात्मक गहनता

- **धार्मिक विषयवस्तु:** देवताओं, पौराणिक कथाओं तथा महाकाव्य प्रसंगों का समृद्ध चित्रण।
- **कामुक प्रतिमाएँ (मिथुन मूर्तियाँ):**
  - उर्वरता, शुभता और ब्रह्मांडीय संयोग का प्रतीक।
  - चार पुरुषार्थों में से एक के रूप में 'काम' का साकार रूप।
  - तांत्रिक प्रतीकवाद, जिसमें मानव और दैवीय का संगम दिखता है।
- **सामाजिक यथार्थवाद:** नर्तकों-नर्तकियों, योद्धाओं, संगीतकारों और आम जन-जीवन का चित्रण, मंदिरों को मध्ययुगीन समाज के अभिलेखों के रूप में दर्शाता है।
- **दार्शनिक एकात्मता:** मूर्तियाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक हैं, जो मंदिर को जीवन का एक सूक्ष्म रूप बनाती हैं।
- **कलात्मक विशेषताएँ:** मनोहर मुद्राएँ, लयबद्ध गति, संवेदनशील प्रकृतिवाद और भावपूर्ण सूक्ष्मता; जो अलंकरण मात्र से कहीं अधिक को दर्शाती हैं।

निष्कर्ष :

चंदेल कला रूप संरचनात्मक सरलता और कथात्मक प्रतीकात्मकता के एक अद्वितीय संगम का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि देवांगना देसाई ने अपनी पुस्तक 'द रिलिजियस इमेजरी ऑफ खजुराहो' में तर्क दिया है- कामुक मूर्तियाँ केवल अलंकरण नहीं हैं बल्कि प्रतीकात्मक, शुभ रूपांकन हैं जो गहन धार्मिक अर्थों से ओतप्रोत थीं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि चंदेल योगदान नागर स्थापत्यकला की पराकाष्ठा तथा भारत की आध्यात्मिक कल्पना का शाश्वत प्रमाण है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

प्रश्न : उत्पीड़ितों की चुप्पी तोड़ते हुए, ज्योतिबा फुले ने गरिमा और मुक्ति को आवाज़ दी। चर्चा कीजिये कि कैसे उनके विचारों ने 19वीं सदी के भारत में समानता और न्याय पर विमर्श को नया रूप दिया। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- औपनिवेशिक भारत में एक प्रमुख समाज सुधारक के रूप में ज्योतिबा फुले का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- चर्चा कीजिये कि कैसे उनके विचारों ने 19वीं सदी के भारत में समानता और न्याय पर विमर्श को नया रूप दिया।
- फुले के विचारों की समकालीन प्रासंगिकता के साथ निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

19वीं सदी के भारत में, जाति की कठोर व्यवस्था और पितृसत्तात्मक मानदंडों ने समाज के बड़े वर्गों को हाशिये पर धकेल दिया था, जिससे उन्हें गरिमा, शिक्षा और न्याय से वंचित रहना पड़ा। ऐसे में ज्योतिबा फुले एक अग्रणी सामाजिक सुधारक के रूप में उभरे, जिन्होंने स्थापित सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दी और शिक्षा, तार्किक सोच और सामाजिक सुधारों के माध्यम से शोषितों को सशक्त बनाने का प्रयास किया। गरिमा और मुक्ति का समर्थन करके, फुले ने औपनिवेशिक भारत में सामाजिक न्याय की चर्चा को नया आकार दिया।

मुख्य भाग:

ज्योतिबा फुले के विचारों के प्रमुख योगदान:

- **सामाजिक सुधार और जाति-विरोधी आंदोलन:**
  - ब्राह्मणवादी परंपराओं और जाति आधारित भेदभाव की आलोचना की।
  - समानता को बढ़ावा देने के लिये 1873 में सत्यशोधक समाज (सत्य की खोज करने वाला समाज) की स्थापना की।
  - अस्पृश्यता का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और बाल विवाह जैसी प्रथाओं को चुनौती दी।
  - शूद्रों और दलितों जैसे वंचित समुदायों को सशक्त बनाया, जिससे आधुनिक जाति-विरोधी आंदोलनों की नींव स्थापित हुई।
- **मुक्ति के साधन के रूप में शिक्षा:**
  - सार्वभौमिक शिक्षा का समर्थन किया, विशेष रूप से बालिकाओं और निम्न जातियों के बच्चों के लिये।
    - ज्योतिराव फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर 1848 में पुणे में भारत का पहला कन्या विद्यालय स्थापित किया, जिसने स्त्री शिक्षा की नींव स्थापित की और प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को चुनौती दी।
  - सावित्रीबाई फुले के साथ कई विद्यालय स्थापित किये, जिससे सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ा गया।
  - उनका विश्वास था कि ज्ञान ही उत्पीड़ितों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है।
- **महिला सशक्तीकरण और लैंगिक न्याय:**
  - महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और सती प्रथा तथा बाल विवाह जैसी दमनकारी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष किया।
  - लैंगिक समानता को सामाजिक न्याय के व्यापक संघर्ष का अभिन्न हिस्सा बनाया।
- **दार्शनिक और वैचारिक योगदान:**
  - तर्कवाद, मानवतावाद और पंथनिरपेक्षता का समर्थन किया।
  - उस धर्म की आलोचना की, जिसे शोषण के औज़ार के रूप में प्रयोग किया जाता था।
  - गुलामगिरी जैसी कृतियों की रचना की, जिसमें जाति-आधारित शोषण को उजागर किया गया।
  - उनके विचारों ने आगे चलकर डॉ. भीमराव आंबेडकर जैसे सुधारकों को प्रेरित किया और दलित मुक्ति आंदोलनों पर गहन प्रभाव डाला।

निष्कर्ष:

ज्योतिबा फुले के प्रयासों ने वंचितों को आवाज़ दी और उत्पीड़ितों की चुप्पी को तोड़ा। शिक्षा, सामाजिक सुधार और महिला सशक्तीकरण पर उनके बल ने भारत में सामाजिक न्याय की अवधारणा को नया स्वरूप दिया। उनकी विरासत समानतावाद, मानव गरिमा और मानवाधिकारों पर आधारित है, जो आज भी समानता और समावेशन के समकालीन आंदोलनों को प्रेरित करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

भूगोल

प्रश्न : भारत के वस्त्र उद्योग का भौगोलिक केंद्र गंगा-यमुना के मैदानी क्षेत्र से हटकर प्रायद्वीपीय भारत में क्यों स्थानांतरित हुआ, इसकी विवेचना कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- गंगा-यमुना के मैदानी क्षेत्र से प्रायद्वीपीय क्षेत्र में वस्त्र उद्योग के स्थानांतरण के संदर्भ में संक्षेप में बताते हुए उत्तर दीजिये।
- भौगोलिक, आर्थिक तथा अन्य विभिन्न आयामों के आधार पर इस स्थानांतरण के प्रमुख कारणों को प्रस्तुत कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

गंगा-यमुना के मैदान से भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में वस्त्र उद्योग का स्थानांतरण एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक और आर्थिक घटना है जो ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं आर्थिक कारकों के संयोजन से प्रेरित है।

- गंगा-यमुना का मैदान हथकरघा वस्त्रों का एक पारंपरिक केंद्र था, लेकिन 19वीं और 20वीं शताब्दी में आधुनिक मिल उद्योग के उदय ने प्रायद्वीपीय क्षेत्र, विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों को लाभ पहुँचाया।

मुख्य भाग:

वस्त्र उद्योग का गंगा-यमुना क्षेत्र से प्रायद्वीपीय भारत की ओर स्थानांतरण

भौगोलिक और संसाधन कारक:

- **कपास उत्पादन:** प्रायद्वीपीय भारत (महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु) में कपास की कृषि के विस्तार के साथ, परिवहन लागत कम करने के लिये वस्त्र इकाइयाँ स्वाभाविक रूप से कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थानांतरित हो गईं।
- **जलवायु:** प्रायद्वीपीय भारत में मशीनीकृत वस्त्र मिलों, विशेष रूप से कताई-बुनाई के लिये अधिक अनुकूल रही, जबकि गंगा-यमुना क्षेत्र में आर्द्रता और बाढ़ की समस्या थी।
  - 'दक्षिण भारत का मैनचेस्टर' कहे जाने वाले कोयंबटूर (तमिलनाडु) कपास कताई और बुनाई उद्योगों का केंद्र बन गया।

औद्योगिक और तकनीकी कारक:

- **यांत्रिकीकरण:** महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्रता-उत्तर काल में आधुनिक मिल उद्योग शीघ्र विकसित हुआ।
- **बिजली और बुनियादी अवसंरचना:** प्रायद्वीपीय भारत ने बेहतर बुनियादी अवसंरचना विकसित की, जिसमें विश्वसनीय विद्युत, बंदरगाह (मुंबई, चेन्नई) और सड़क-रेल संपर्क शामिल हैं, जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला।
- **जलविद्युत:** 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में तमिलनाडु जैसे राज्यों (जैसे: पायकारा बाँध) में जलविद्युत के विकास ने मिलों के लिये एक महत्त्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत प्रदान किया, जिससे दक्षिण में औद्योगिक विकास में और तेज़ी आई।

आर्थिक और बाज़ार कारक:

- **बंदरगाहों और निर्यात बाज़ारों से निकटता:** पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों ने बंदरगाहों (मुंबई, चेन्नई, तूतीकोरिन) तक बेहतर अभिगम्यता प्रदान की, जिससे वस्त्रों के निर्यात में सुविधा हुई।
  - मुंबई, 'कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया' अर्थात् भारत का कपास राज्य के रूप में विकसित हुआ, क्योंकि यहाँ इंग्लैंड से मशीनरी आयात और तैयार वस्त्रों का निर्यात सुगम था।
  - तिरुपुर (तमिलनाडु), आधुनिक औद्योगिक संपदाओं और बुनियादी अवसंरचना के कारण बुने हुए कपड़ों के निर्यात का वैश्विक केंद्र बना।
- **निजी निवेश:** प्रायद्वीपीय भारत में गुजरात और महाराष्ट्र के निजी उद्यमियों ने वस्त्र मिलों में निवेश किया, जिससे वहाँ औद्योगिक संकेंद्रण बढ़ा।

निष्कर्ष:

वस्त्र उद्योग का प्रायद्वीपीय भारत की ओर स्थानांतरण संसाधनों की उपलब्धता, औद्योगीकरण और बाज़ार अभिगम्यता को दर्शाता है। वर्तमान में PM MITRA जैसे उपक्रम, '5F' विज़न (Farm to Fibre to Factory to Fashion to Foreign) अर्थात् खेत-से-रेशा, कारखाना, फैशन और विदेश निर्यात वाले दृष्टिकोण के साथ एकीकृत टेक्सटाइल पार्क, निर्यात व रोज़गार को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे भारत को एक आधुनिक वैश्विक वस्त्र केंद्र के रूप में स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रश्न : "भू-आकृतियाँ स्थिर नहीं होतीं, वे पृथ्वी की प्रक्रियाओं का जीवंत अभिलेख होती हैं।" भारतीय परिप्रेक्ष्य से उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करते हुए विवेचना कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भू-आकृतियों को परिभाषित करते हुए उत्तर का परिचय दीजिये।
- विभिन्न अंतर्जनित (Endogenic) और बहिर्जनित (Exogenic) प्रक्रियाओं को उदाहरणों सहित लिखिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भू-आकृतियाँ पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली वे प्राकृतिक विशेषताएँ हैं, जो अंतर्जनित बलों (जैसे- विवर्तनिक गतियाँ और ज्वालामुखी) तथा बहिर्जनित बलों (जैसे- अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण) की परस्पर क्रिया द्वारा आकार लेती हैं। ये स्थिर इकाइयाँ नहीं बल्कि गत्यात्मक विशेषताएँ हैं, जो भौमिकी और जलवायवी प्रक्रियाओं को निरंतर दर्ज करती हैं।

मुख्य भाग:

- **अंतर्जनित (विवर्तनिक और संरचनात्मक) प्रक्रियाएँ:**
  - **महाद्वीप संरचना और प्लेट टकराव (हिमालय):** भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट से निरंतर टकराव हिमालय को भूकंपीय रूप से सक्रिय बनाता है। भूकंप, भूस्खलन और ढाल प्रवणता के लिये सुभेद्य बनाता है।
    - यह दर्शाता है कि पर्वत स्थिर नहीं हैं, बल्कि निरंतर बढ़ते और आकार बदलते रहते हैं, जिस कारण हिमालय एक 'जीवित पर्वतीय तंत्र' है।
  - **प्राचीन संरचनात्मक अवशेष (अरावली पहाड़ियाँ):** विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वतों में से एक होने के बावजूद अरावली क्षेत्रीय जल निकासी प्रणालियों, मृदा संरचना और स्थानीय सूक्ष्म जलवायु को प्रभावित करता रहा है। इसका अपक्षयित स्वरूप प्राचीन भू-शक्तियों की आज भी झलक देता है।
    - अरावली की अपक्षयित पर्वत-शृंखलाएँ स्पष्ट संकेत देती हैं कि प्राचीन विवर्तनिक बल आज भी वर्तमान भूदृश्यों की संरचना और स्वरूप पर अपना प्रभाव बनाए हुए है।
  - **ज्वालामुखीय भू-आकृतियाँ (दक्कन ट्रैप):** क्रिटेशियस काल के दौरान विशाल बेसाल्टिक लावा प्रवाह द्वारा निर्मित दक्कन पठार स्तरित बेसाल्ट संरचनाओं को संरक्षित करता है।
    - प्राचीन ज्वालामुखीय गतिविधि का प्रमाण है और आज भी मृदा की उर्वरता, भू-जल संचयन तथा कृषि पैटर्न को प्रभावित करता रहता है।
- **बहिर्जनित (सतही) प्रक्रियाएँ:**
  - **नदी प्रक्रियाएँ (नदियाँ और बाढ़ के मैदान):** अपवाह तंत्र (प्रवाही जल) अपरदन, परिवहन और निक्षेपण के माध्यम से भू-आकृतियों को आकार देता है।
    - सिंधु-गंगा के मैदान नदियों की निरंतर निक्षेपण प्रक्रिया और बाढ़ से नवीनीकृत होते रहते हैं, जबकि सुंदरबन का डेल्टा नदियों एवं ज्वारीय बलों की संयुक्त क्रिया का उदाहरण है।
  - **अपरदनकारी भू-आकृतियाँ (उत्खात स्थलाकृति और खड्ड):** नदियों द्वारा तीव्र मृदा अपरदन से खड्ड और अवनालिकाएँ बनती हैं, जैसे: चंबल के खड्ड।
    - ये इस बात के उल्लेखनीय उदाहरण हैं कि नदीय अपरदन अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में भू-आकृतियों को किस प्रकार परिवर्तित करता है।
  - **वातज स्थलाकृतिक प्रक्रियाएँ (मरुस्थलीय पवन क्रिया):** थार मरुस्थल में पवनें बरखान और अधोमुखी रेतीले टिब्बों का निर्माण करती हैं, जो लगातार आकार और स्थिति में बदलते रहते हैं, जिससे मरुस्थलीय भू-आकृतियाँ अत्यधिक गतिशील हो जाती हैं।
  - **तटीय प्रक्रियाएँ (तरंगें और ज्वार):** ओडिशा और कोंकण तट के किनारे की तटरेखाएँ तरंग-घर्षित वाले चबूतरे, समुद्र तटीय अपरदन और अभिवृद्धि प्रदर्शित करती हैं, जो भूमि के साथ समुद्री बलों की निरंतर अंत:क्रिया को दर्शाती हैं।
  - **हिमनद प्रक्रियाएँ (हिमालय में हिम गत्यात्मकता):** गंगोत्री और सियाचिन जैसे पिघलते ग्लेशियर सक्रिय रूप से घाटियों को नया आकार देते हैं, हिमोढ़ बनाते हैं और हिमनदीय टिल निक्षेपित करते हैं।
    - ये विशेषताएँ जलवायु परिवर्तन और चल रहे भू-आकृतिक परिवर्तन के जीवंत प्रमाण प्रदान करती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

निष्कर्ष:

भू-आकृतियाँ स्थिर अवशेष नहीं हैं, बल्कि पृथ्वी की निरंतर और परिवर्तनशील प्रक्रियाओं के जीवंत अभिलेख हैं। भारत की विविध भौगोलिक संरचनाएँ पर्वत, मैदान, पठार, मरुस्थल और तट स्पष्ट करते हैं कि भूमि-आकृतियाँ समय के साथ बदलती रहती हैं और पृथ्वी की प्रकृति निरंतर विकासशील है।

प्रश्न : जलवायु परिवर्तन का सिंधु-गंगा के मैदानों में कृषि, प्रवासन तथा संसाधन उपयोग पर प्रभाव का मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- सिंधु-गंगा के मैदानों (IGP) का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- IGP में कृषि, प्रवास और संसाधन उपयोग पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर प्रकाश डालिये।
- आगे की राह बताते हुए उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

सिंधु-गंगा/इंडो-गैंगेटिक मैदान (IGP): पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में विस्तृत इंडो-गैंगेटिक मैदान भारत का कृषि हृदयस्थल है, जो देश के लगभग 50% अन्न का उत्पादन करता है। भारत की कुल जनसंख्या का 40% से अधिक यहाँ निवास करता है। यह क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, जैसे कि बढ़ता तापमान, अनियमित मानसून, भूजल क्षय और बार-बार आने वाली बाढ़। ये चुनौतियाँ कृषि, प्रवासन पैटर्न और संसाधन उपयोग को प्रभावित करती हैं, जिससे खाद्य और आजीविका सुरक्षा पर जोखिम उत्पन्न होता है।

मुख्य भाग:

कृषि पर प्रभाव

- **बढ़ता तापमान:** ICAR के अनुसार, तापमान में 1°C की वृद्धि गेहूँ की पैदावार को 4-5 मिलियन टन तक घटा देती है, जिसमें पंजाब और हरियाणा सबसे अधिक प्रभावित हैं।
- **अनियमित मानसून:** बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बार-बार बाढ़ आती है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ता है, जिससे धान-गेहूँ के फसल चक्र प्रभावित होते हैं।
- **भूजल संकट:** नीति आयोग (2023) के अनुसार, पंजाब और हरियाणा में भूजल का दो गुना अधिक निष्कर्षण हो रहा है, जिससे जल-संकट और बढ़ रहा है।
- **मृदा ह्रास:** बाढ़ और उर्वरकों के अधिक उपयोग से मृदा की गुणवत्ता नष्ट होती है, जिससे दीर्घकालिक उत्पादकता घटती है।
- **कीट प्रकोप:** कम सर्दियाँ धान में ब्राउन प्लान्थॉपर जैसे कीटों को बढ़ावा देती हैं, जिससे पैदावार प्रभावित होती है।

प्रवासन पर प्रभाव

- **मौसमी संकट प्रवासन:** उत्तर बिहार के बाढ़-प्रवण ज़िलों से प्रतिवर्ष लाखों लोग दिल्ली, पंजाब और गुजरात अकुशल मज़दूरी के लिये जाते हैं।
- **शहरी दबाव:** प्रवासी अक्सर अनौपचारिक रोज़गारों में कार्यरत होते हैं, जिससे शहरों में आवास, स्वच्छता और बुनियादी ढाँचे पर दबाव बढ़ता है।
- **श्रम बाज़ार में बदलाव:** विडंबना यह है कि पंजाब की कृषि, जो ग्रामीण संकट से प्रभावित है, उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी मज़दूरों पर अत्यधिक निर्भर करती है, जिससे संवेदनशीलता का एक चक्र बनता है।

संसाधन उपयोग पर प्रभाव

- **जल संसाधन:** ट्यूबवेल पर अत्यधिक निर्भरता ने पंजाब और हरियाणा के कई ज़िलों को भूजल संकट के "डार्क ज़ोन" में धकेल दिया है (CGWB, 2022)।
- **ऊर्जा मांग:** बढ़ती सिंचाई आवश्यकताओं से विद्युत और डीज़ल की खपत बढ़ती है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि होती है।
- **जैव विविधता का ह्रास:** बिहार और बंगाल में घटते वेटलैंड्स ने मछली पालन और प्रवासी पक्षियों के आवास को कम कर दिया है।
- **संघर्ष की संभावना:** बढ़ती कमी गंगा, यमुना और सतलज नदियों पर राज्यों के बीच जल विवाद को जन्म दे सकती है।

आगे की राह

- फसल विविधीकरण (ज्वार, बाजरा, दलहन) के माध्यम से जलवायु-सहिष्णु कृषि को बढ़ावा देना।
- सूक्ष्म-सिंचाई और भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का विस्तार करना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- जलवायु प्रवासियों के लिये सामाजिक सुरक्षा पोर्टेबिलिटी और कौशल विकास सुनिश्चित करना।
- डेटा-आधारित नीतियों को सुदृढ़ करना और उन्हें सतत् विकास लक्ष्यों SDG 2, 6 और 13 के साथ एकीकृत करना।

निष्कर्ष:

सिंधु-गंगा मैदानों को जलवायु परिवर्तन के तहत कृषि में गिरावट, अनिवार्य प्रवासन और संसाधनों की कमी की त्रिसंकट चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भारत के खाद्य सुरक्षा क्षेत्र और लाखों लोगों की आजीविका की रक्षा के लिये सतत् कृषि, संसाधनों के कुशल उपयोग और प्रवासन-संवेदनशील नीतियों के माध्यम से तात्कालिक अनुकूलन आवश्यक है।

भारतीय विरासत एवं संस्कृति

प्रश्न : शास्त्रीय नृत्य शैली भक्ति, कथावाचन और सौंदर्यबोध के भंडार हैं। नाट्य शास्त्र के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली और नाट्य शास्त्र के संदर्भ में संक्षेप में बताते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- शास्त्रीय नृत्य शैलियों को भक्ति, कथावाचन और सौंदर्यबोध के भंडार के रूप में तर्क दीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारतीय शास्त्रीय नृत्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह भक्ति, कथा-वाचन और सौंदर्य-बोध का अद्वितीय संगम है। महर्षि भरत द्वारा रचित 'नाट्यशास्त्र' ने नृत्य को व्यवस्थित रूप से संहिताबद्ध किया और इसे आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक साधन के रूप में प्रतिष्ठित किया।

मुख्य भाग:

शास्त्रीय नृत्य:

- **भक्ति का भंडार:**
  - नाट्य को पाँचवाँ वेद माना जाता था, जिसकी रचना ब्रह्मा ने आध्यात्मिक सत्यों को सार्वभौमिक रूप से संप्रेषित करने के लिये की थी, जिसमें विद्वानों के दायरे से परे अर्थात् सभी वर्गों के लोग भी शामिल हैं।
  - भरतनाट्यम, ओडिसी और कुचिपुड़ी जैसे शास्त्रीय नृत्य महाकाव्यों, पुराणों एवं दिव्य लीलाओं के प्रसंगों का नाट्य रूपांतरण करते हैं, जो कलाकारों और दर्शकों दोनों में भक्ति-भाव जागृत करते हैं।
  - भक्ति को अभिनय-नेत्र, मुखाभिव्यक्ति और मुद्राओं (प्रतीकात्मक हस्त मुद्राएँ) के माध्यम से भी व्यक्त किया जाता है, जो दर्शकों को मौखिक समझ से परे आध्यात्मिक तल्लीनता की अनुभूति कराता है।
- **कथा-वाचन का भंडार:**
  - नृत्य नृत्त (लयात्मक गतियाँ), नृत्य (भावप्रधान नृत्य) और नाट्य (नाटकीय अभिनय) के माध्यम से एक कथात्मक माध्यम के रूप में कार्य करता है।
  - रस-भाव सिद्धांत प्रभावी भावनात्मक संचार सुनिश्चित करता है: भाव (कलाकारों की भावनात्मक अवस्थाएँ) दर्शकों में रस (सौंदर्यात्मक अनुभूति) का आभास कराता है।
  - रामायण, महाभारत और कृष्ण-लीला जैसी जटिल कथाओं का संप्रेषण नृत्य, संगीत एवं भाव-भंगिमाओं का उपयोग करके सटीकता के साथ अभिनीत किया जाता है, जिससे यह परंपरा मौखिक व प्रदर्शन कलाओं का जीवंत भंडार बनी रहती है।
- **सौंदर्यशास्त्र का भण्डार:**
  - नाट्यशास्त्र में 108 करणा (नृत्य-गतियाँ), अंग की गतिविधियाँ, मुखाभिव्यक्ति और हस्त-मुद्राओं का विस्तृत निरूपण है, जो सौंदर्यात्मकता को सुदृढ़ बनाता है।
  - भावात्मक कला में स्थायीभाव (स्थिरभाव), व्यभिचारी भाव (क्षणिक भाव) और सात्विक भाव (मानसिक-शारीरिक अवस्थाएँ) शामिल हैं, जो वांछित रस में परिणत होते हैं।
  - संगीत (राग और ताल) और वाद्ययंत्र (मृदंगम, वीणा आदि) संपूर्ण प्रस्तुति को लयबद्ध एवं मधुर सामंजस्य को बढ़ाते हैं, जिससे समग्र सौंदर्यात्मक अनुभव में वृद्धि होती है।
  - तांडव (गतिशील, पुरुषोचित) और लास्य (सुंदर, स्त्रीलिंग) जैसी शैलियाँ शास्त्रीय नृत्य में सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति की विविधता और बहुमुखी प्रतिभा का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- तांडव (ऊर्जावान, पुरुषोचित) और लास्य (कोमल, स्त्रैण) जैसी शैलियाँ सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति की विविधता एवं गहराई का दिग्दर्शन कराती हैं।

निष्कर्ष:

नाट्य शास्त्र द्वारा निर्देशित शास्त्रीय नृत्य सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक समृद्धि का माध्यम है। इसे इस प्रकार अभिव्यक्त किया जा सकता है कि ***"नृत्य भक्ति की मौन वाणी है, हमारी विरासत की जीवंत कथा है और आत्मा का दृष्टिगोचर गीत है।"***

भारतीय समाज

प्रश्न : "क्या संरक्षणवाद और व्यापारिक राष्ट्रवाद का उदय वैश्वीकरण से पीछे हटना है या केवल उसके अतिरेकों को संतुलित करने का प्रयास है?" समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:
- वैश्वीकरण को संक्षेप में परिभाषित कीजिये।
- संरक्षणवाद और व्यापारिक राष्ट्रवाद की हाल की वृद्धि का उल्लेख कीजिये।
- संरक्षणवाद और व्यापारिक राष्ट्रवाद का उदय वैश्वीकरण की अवनति है, इस संदर्भ में तर्क दीजिये।
- संरक्षणवाद और व्यापारिक राष्ट्रवाद का उदय अतिरेक का सुधार है, इसके पक्ष में तर्क दीजिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

वैश्वीकरण, जिसकी विशेषता वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और प्रौद्योगिकी के मुक्त प्रवाह से है, वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक परिभाषित विशेषता रही है। हाल के रुझान संरक्षणवाद और व्यापारिक राष्ट्रवाद में वृद्धि की ओर संकेत करते हैं, जिससे यह प्रश्न उठता है कि क्या यह वैश्वीकरण की अवनति है अथवा इसके अतिरेक का सुधार।

मुख्य भाग:

वैश्वीकरण की अवनति के पक्ष में तर्क

- **अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध:** वर्ष 2018 में शुरू हुए इस व्यापार युद्ध के कारण टैरिफ लगाए गए और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएँ बाधित हुईं, जिससे संरक्षणवाद की ओर रुख करने का संकेत मिला।
- **टैरिफ अधिरोपण:** अगस्त 2025 में अमेरिका ने यह हवाला देते हुए कि भारत रूसी तेल की खरीद जारी रखे हुए है, भारतीय निर्यातों पर 50% शुल्क लगाया।
  - भारत ने इन उपायों की निंदा करते हुए इन्हें अनुचित और अव्यावहारिक बताया।
- **ब्रेक्ज़िट:** वर्ष 2016 में यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ छोड़ने के निर्णय ने क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण से बहुत बड़ी अवनति को चिह्नित किया।
- **कोविड-19 महामारी:** इस महामारी ने वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं की कमज़ोरियों को उजागर किया, जिससे देशों को वैश्विक व्यापार पर अपनी निर्भरता पर पुनर्विचार करने के लिये प्रेरित किया।
- **रूस-यूक्रेन संघर्ष:** चल रहे संघर्ष ने ऊर्जा की कमी तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं को जन्म दिया है, जिससे राष्ट्रों को संरक्षणवादी नीतियों को अपनाने के लिये और अधिक प्रोत्साहित किया गया है।
- **निष्क्रिय विश्व व्यापार संगठन (WTO) विवाद निपटान प्रणाली:** WTO का अपीलीय निकाय, जो व्यापार विवादों का समाधान करता है, दिसंबर वर्ष 2019 में निष्क्रिय हो गया, क्योंकि अमेरिका ने नये न्यायाधीशों की नियुक्ति अवरुद्ध कर दी थी।
  - इसके कारण निपटान प्रणाली अप्रभावी हो गई और अनेक मामले अनसुलझे रह गए।

वैश्वीकरण के अतिरेक के सुधार के पक्ष में तर्क

- **अति-वैश्वीकरण:** वैश्विक व्यापार के तीव्र विस्तार ने कुछ क्षेत्रों में नौकरियाँ समाप्त कर दीं और असमानता बढ़ा दी, जिससे एक अधिक संतुलित दृष्टिकोण की मांग उठी।
- **आपूर्ति शृंखला की कमज़ोरियाँ:** अर्द्धचालकों और औषधियों जैसी महत्त्वपूर्ण वस्तुओं के लिये एकल स्रोतों पर अत्यधिक-निर्भरता ने विविधीकरण की आवश्यकता को उजागर किया।
- **रणनीतिक स्वायत्तता:** देश बाह्य स्रोतों पर निर्भरता घटाने के लिये अपनी घरेलू क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **डिजिटल और हरित व्यापार:** डिजिटल व्यापार और पर्यावरणीय चिंताओं के उदय से वैश्विक व्यापार की प्रकृति पुनर्गठित हो रही है, जिसमें संवहनीयता एवं तकनीकी प्रगति पर बल दिया जा रहा है।

आगे की राह

- **बहुपक्षीय संस्थानों को सशक्त करना:** WTO जैसे संगठनों को सशक्त करना नियम-आधारित व्यापारिक प्रणाली सुनिश्चित करने में सहायक (उदाहरण: भारत WTO अपीलीय निकाय को पुनर्जीवित करने की पहल कर रहा है, ताकि व्यापार विवादों का समाधान हो सके) हो सकता है।
- **समावेशी वैश्वीकरण को प्रोत्साहन:** यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये, ताकि वैश्वीकरण के लाभ समान रूप से वितरित हों, असमानता की चिंताओं का समाधान कर सकता है (उदाहरण विकासशील देशों के लिये वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर और ऋण राहत पर G20 की पहल)।
- **घरेलू क्षमताओं का संवर्द्धन:** घरेलू उद्योगों और प्रौद्योगिकियों में निवेश से बाह्य स्रोतों {उदाहरण: इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधियों और सौर पैनलों हेतु भारत की उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना} पर निर्भरता घट सकती है।
- **क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा:** क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को मज़बूत करने से वैश्विक व्यापार प्रणालियाँ {(जैसे: RCEP, व्यापार विविधीकरण और आपूर्ति शृंखला सुरक्षा के लिये इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF)} स्थिर और समुत्थानशील हो सकती हैं।

निष्कर्ष:

संरक्षणवाद और व्यापारिक राष्ट्रवाद की वृद्धि, वैश्वीकरण के अतिरेक एवं कमज़ोरियों का समाधान करने हेतु एक पुनर्संतुलन को दर्शाता है। जैसा कि दानी रोड्रिक कहते हैं, ***"वैश्वीकरण कोई एकरूप सत्ता नहीं है बल्कि एक गतिशील प्रक्रिया है, जिसे घरेलू प्राथमिकताओं और वैश्विक चुनौतियों के अनुरूप होना चाहिये।"*** यह चरण एक संतुलित, समुत्थानशील एवं रणनीतिक वैश्वीकरण की ओर परिवर्तन का प्रतीक है, जो यह सुनिश्चित करता है कि भारत व अमेरिका जैसे देश विकास का अनुसरण करते हुए अपनी आर्थिक और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा कर सकें।

प्रश्न : "जीवनसाथी चुनने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार का एक पहलू है।" भारत में ऑनर किलिंग और अंतर्जातीय एवं अंतर्धार्मिक विवाहों के समक्ष आने वाली चुनौतियों के आलोक में विवेचना कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- भारत में अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक विवाहों के सामने आने वाली चुनौतियों, जिनमें ऑनर किलिंग भी शामिल है, पर चर्चा कीजिये।
- इन चुनौतियों से निपटने के उपाय सुझाइये।
- आगे की राह बताते हुए उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये की गई है कि इसमें जीवनसाथी चुनने का अधिकार भी शामिल है। ***लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2006)*** *और* ***शफीन जहान बनाम अशोकन के.एम. (2018)*** जैसे न्यायिक निर्णय यह पुष्टि करते हैं कि विवाह में वयस्क की सहमति और व्यक्तिगत चयन मूल अधिकार हैं, चाहे जाति या धर्म कोई भी हो। इन संवैधानिक सुरक्षा के बावजूद, भारत में अंत:जातीय और अंतरधार्मिक युगल सामाजिक प्रतिरोध, दबाव और हिंसा का सामना करते हैं, जिसमें ऑनर किलिंग (सम्मान हत्या) जैसी घटनाएँ भी शामिल हैं।

मुख्य भाग:

अंत:जातीय और अंतरधार्मिक जोड़ों को होने वाली चुनौतियाँ

- **सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिरोध:**
  - परिवार और समुदाय अक्सर जाति या धर्म के पार विवाहों का विरोध करते हैं।
  - युगल को परिवार के "सम्मान" की रक्षा के लिये दबाव, धमकियाँ और ज़बरन विवाह का सामना करना पड़ सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- खाप पंचायत जैसी सामुदायिक और अनौपचारिक संस्थाएँ अक्सर जाति-आधारित विवाह नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध हिंसा को स्वीकार करती हैं या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करती हैं।

- **ऑनर किलिंग (सम्मान हत्या)**
  - परिवार या समुदाय सामाजिक नियमों को लागू करने के लिये हत्या या शारीरिक हमले का सहारा ले सकते हैं।
  - यह अनुच्छेद 21, 14 और 15 (व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समता और भेदभाव-रोधी) का उल्लंघन है।
  - NCRB द्वारा दर्ज अधिकांश सम्मान हत्या के पीड़ित युवा वर्ग के हैं, आमतौर पर 30 वर्ष से कम उम्र के, जो सामाजिक पैटर्न के अनुरूप है, जहाँ परिवार या समुदाय की हिंसा उन युगलों या व्यक्तियों को लक्षित करती है जो जाति या धर्म जैसी सामाजिक सीमाओं को पार करते हैं।

- **कानूनी और प्रशासनिक बाधाएँ**
  - कानूनी उपचार मौजूद हैं, जैसे कि भारतीय दंड संहिता (धारा 302 और 304) हत्या से संबंधित मामलों के लिये और महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम (2005), जो पारिवारिक उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है।
  - विशेष विवाह अधिनियम (1954) अंत:जातीय और अंतरधार्मिक विवाहों को धार्मिक अनुष्ठानों के बिना वैध बनाने की सुविधा देता है।
  - हालाँकि, प्रशासनिक और प्रवर्तन संबंधी कमियाँ, जैसे पुलिस सुरक्षा में देरी, गवाह संरक्षण की कमी और सामाजिक बहिष्कार के जोखिम इन कानूनी उपायों की प्रभावशीलता को अक्सर सीमित कर देती हैं।

उपाय एवं अनुशंसाएँ

- **कानूनी हस्तक्षेप:**
  - सम्मान हत्या के मामलों के लिये फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स स्थापित करना।
  - भारतीय न्याय संहिता, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित IPC प्रावधानों और विशेष विवाह अधिनियम को सख्ती से लागू करना।

- **सुरक्षा तंत्र:**
  - पुलिस सुरक्षा, सुरक्षित आश्रय और गवाह संरक्षण कार्यक्रम प्रदान करना।
  - उदाहरण: लव कमांडोज़ और पीपल अगेन्स्ट कास्ट वायलेंस (PACV) जैसी NGO युगलों को कानूनी सहायता और पुनर्वास में सहायता करती हैं।

- **सामाजिक जागरूकता और संवेदनशीलता:**
  - अंत:जातीय/अंतरधार्मिक विवाहों की स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाना।
  - स्कूल पाठ्यक्रम में वैवाहिक अधिकार और सहमति (Consent) की जानकारी को शामिल करना।
  - उदाहरण: हरियाणा और राजस्थान में जागरूकता अभियानों से पायलट ज़िलों में स्वीकार्यता में 10-15% की वृद्धि देखी गई।

- **डिजिटल प्रतिप्रवृत्तियों को बढ़ावा देना:** सोशल मीडिया का उपयोग सकारात्मक अभियानों के लिये करना, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समता और प्रेम का समर्थन करते हों।

निष्कर्ष:

जैसा कि प्रो. उपेंद्र बक्षी (मानवाधिकार विशेषज्ञ) ने कहा है कि ***मूल अधिकारों की प्राप्ति अधूरी है, जब तक सामाजिक प्रथाएँ मानव गरिमा और व्यक्तिगत स्वायत्तता का सम्मान करने के लिये विकसित नहीं होतीं।*** इस अधिकार की सुरक्षा के लिये प्रभावी कानूनी प्रवर्तन, सुरक्षा तंत्र और सामाजिक संवेदनशीलता सुनिश्चित करना आवश्यक है। व्यक्तिगत वैवाहिक चयन का सम्मान स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों को दृढ़ करता है, जिससे एक अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रश्न : प्रवासन सामाजिक गतिशीलता का एक अवसर और शहरी तनाव का एक स्रोत दोनों है।

भारत में आंतरिक प्रवासन के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिये और इसकी चुनौतियों को दूर करने हेतु उपाय सुझाइये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- प्रवास की परिघटना का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- भारत में आंतरिक प्रवास के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिये।
- इसकी चुनौतियों से निपटने के उपाय सुझाइये।

परिचय:

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) के अनुसार, प्रवासी वह व्यक्ति है जो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर रहा हो या पार कर चुका हो या अपने स्थायी निवास स्थान से किसी राज्य के भीतर स्थानांतरित हो रहा हो या हो चुका हो। भारत के भीतर प्रवासन एक जटिल प्रक्रिया है, जो सामाजिक गतिशीलता के अवसर प्रदान करती है, साथ ही विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ और तनाव भी उत्पन्न करती है।

मुख्य भाग:

प्रवासन की व्यापकता:

- वर्ष 2011 में भारत में लगभग 45.6 करोड़ आंतरिक प्रवासी थे, जो कुल जनसंख्या का लगभग 38% है।
- वर्ष 2023 की अनुमानित जानकारी के अनुसार, लगभग 40 करोड़ प्रवासी हैं, जिनकी प्रवासन दर लगभग 29% है।
- अधिकतर (88%) प्रवासन राज्य के भीतर ही होता है।
- प्रमुख स्रोत राज्य: उत्तर प्रदेश, बिहार
- गंतव्य राज्य/शहर: दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक
    - उदाहरण: वर्ष 2001-2011 के बीच दिल्ली की जनसंख्या में लगभग 2.5 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण प्रवासन था।

आंतरिक प्रवासन के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

- **सकारात्मक प्रभाव:**
    - **आर्थिक योगदान:** प्रवासी मज़दूर उद्योगों और अनौपचारिक क्षेत्र में श्रम प्रदान करके शहरी आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं।
        - प्रवासी मज़दूर ऐसे राज्यों में GSDP में 0.5–2.5% का योगदान करते हैं जहाँ नेट पॉजिटिव प्रवासन होता है, जैसे दिल्ली, तमिलनाडु और महाराष्ट्र।
        - निर्माण, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में आवश्यक श्रम की कमी को पूरा करते हैं।
        - उदाहरण: प्रवासी मज़दूरों ने दिल्ली मेट्रो के निर्माण और मुंबई के रियल एस्टेट क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी का कार्य किया।
    - **विप्रेषित धन और ग्रामीण लाभ:** प्रवासियों द्वारा भेजी गई धनराशि ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाती है, गरीबी कम करती है और स्वास्थ्य तथा शिक्षा तक पहुँच को बेहतर बनाती है।
        - उदाहरण: केरल में प्रवासियों की उच्च रेमिटेंस (लगभग ₹2,16,893 करोड़, 2023) ने ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को सशक्त किया।
    - **सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि:** प्रवासन बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोज़गार तक पहुँच सुनिश्चित करता है, जिससे जीवन स्तर में सुधार होता है।
- **नकारात्मक प्रभाव:**
    - **शहरी तनाव:** शहरों में भीड़भाड़, आवास की कमी, अपर्याप्त स्वच्छता, ट्रैफिक जाम और आधारभूत संरचना पर दबाव बढ़ता है।
        - मलिन बस्तियों का विकास, उदाहरण के लिये, मुंबई में धारावी, जहाँ 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं, शहरी भीड़भाड़ को दर्शाता है।
    - **सामाजिक बहिष्कार:** प्रवासियों को अक्सर भेदभाव का सामना करना पड़ता है और स्वास्थ्य, शिक्षा व कल्याण सेवाओं तक उनकी पहुँच सीमित रहती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- कई लोग असुरक्षित, अनौपचारिक रोज़गारों में कार्य करते हैं, जैसे निर्माण और घरेलू कार्य, जहाँ सामाजिक सुरक्षा नहीं होती।
- **ग्रामीण 'ब्रेन ड्रेन':** प्रवासन से गाँवों में कुशल श्रम की कमी होती है, जिससे स्थानीय कृषि और लघु उद्योग प्रभावित होते हैं।
  - पुरुषों के बाहर जाने से अक्सर महिलाएँ खेत और परिवार का प्रबंधन करती हैं, जिससे कृषि का 'नारीकरण' (Feminisation of Agriculture) होता है।

चुनौतियों को दूर करने हेतु उपाय:

- प्रवासियों के लिये किफायती आवास, स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार।
  - उदाहरण: दिल्ली का अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ARHC) योजना प्रवासी मज़दूरों के लिये।
- प्रवासियों को निवास स्थान से स्वतंत्र रूप से पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा लाभ प्रदान करना।
- शहरी प्रशासन में दृढ़ प्रवासी डेटा संग्रह और आधिकारिक मान्यता को प्रबल करना।
- संकटपूर्ण प्रवासन को कम करने के लिये रोज़गार और आजीविका के अवसर सृजित करना।
  - उदाहरण: MNREGA ग्रामीण रोज़गार प्रदान करता है, जिससे बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों में विवशता में प्रवासन घटता है।
- जागरूकता अभियानों और भेदभाव विरोधी प्रयासों के माध्यम से सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष:

भारत में आंतरिक प्रवासन सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता और शहरी विकास का एक सशक्त इंजन है, लेकिन यह शहरी तनाव, मलिन बस्तियाँ और सामाजिक बहिष्कार जैसी समस्याएँ भी उत्पन्न करता है। इसके लाभों को साकार करने तथा सतत् एवं समान विकास सुनिश्चित करने के लिये रणनीतिक शहरी नियोजन, समावेशी नीतियाँ और लक्षित ग्रामीण विकास आवश्यक हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

सामान्य अध्ययन पेपर-2

राजव्यवस्था एवं शासन

प्रश्न : "भारत में संघवाद एक निश्चित व्यवस्था नहीं, बल्कि संघ और राज्यों के बीच एक सतत् समन्वय है।" हाल के वित्तीय और राजनीतिक घटनाक्रमों के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण

- भारत में संघवाद की प्रकृति के संबंध में संक्षिप्त जानकारी देकर उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- राजकोषीय विकास और संघवाद की वार्ता-आधारित प्रकृति पर गहन विचार कीजिये।
- राजनीतिक विकास और संघवाद की वार्ता-आधारित प्रकृति पर प्रकाश डालिये।
- संघ और राज्यों के बीच निरंतर वार्ता के सकारात्मक विकास पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारतीय संघवाद एक गतिशील और विकसित होती अवधारणा है, जिसे ग्रैनविल ऑस्टिन ने "सहकारी संघवाद" के रूप में वर्णित किया है। संविधान में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, किंतु संघीय प्रणाली का वास्तविक संचालन संघ और राज्यों के बीच लगातार सौदेबाजी और बातचीत की प्रक्रिया के माध्यम से होता है।

राजकोषीय विकास और संघवाद की सहमति आधारित प्रकृति

- **वस्तु एवं सेवा कर (GST) का क्रियान्वयन :** 2017 में लागू GST ने सहकारी संघवाद को चिह्नित किया, लेकिन VAT को प्रतिस्थापित करके और GST परिषद पर निर्भरता बढ़ाकर राज्य की स्वायत्तता को कम कर दिया।
  - मुआवज़े में देरी, विशेष रूप से COVID-19 के दौरान तथा परिषद में केंद्र का प्रभावी वीटो संघीय तनाव और राजकोषीय प्रभुत्व के प्रति चिंता को उजागर करता है।
- **सेस और अधिभार का बढ़ता प्रयोग:** केंद्र सरकार द्वारा सेस और अधिभार के माध्यम से राजस्व संग्रह की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है।
  - ये करों के विभाज्य कोष का हिस्सा नहीं हैं और इन्हें राज्यों के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं होती।
  - इस प्रथा ने राज्यों को आवंटित होने योग्य राजस्व की मात्रा को कम करते हुए संघीय संतुलन केंद्र की ओर स्थानांतरित कर दिया है।
- **कर आवंटन पर बहस:** 15वें वित्त आयोग (2020-2025) ने केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से को 42% से घटाकर 41% करने की सिफारिश की, जिससे संसाधनों के वितरण को लेकर बहस छिड़ गई।
- **राजकोषीय घाटा सीमा और उधारी प्रतिबंध:** FRBM अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा राजकोषीय घाटा सीमाएँ लागू करने से राज्यों की उधारी क्षमता सीमित हो जाती है, जिससे राजकोषीय अनुशासन और राज्य की स्वायत्तता के बीच तनाव उत्पन्न होता है (जैसे- उधार सीमा के प्रति पश्चिम बंगाल का विरोध)।

राजनीतिक विकास और संघवाद की सहमति आधारित प्रकृति

- **राज्यपाल: संघीय ढाँचे में विवादित भूमिका:** राज्यपाल के विवेकाधिकार, जैसे कि राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंज़ूरी देने में देरी या अस्वीकृति, अक्सर केंद्र को राज्य के मामलों में हस्तक्षेप का साधन माना जाता है।
  - कई राज्यों (जैसे: तमिलनाडु, केरल और दिल्ली) में हाल के राज्यपाल व राज्य सरकार के मध्य हुए गतिरोध यह दर्शाते हैं कि संघीय स्तर पर राजनीतिक समझौते संविधान के ढाँचे से परे भी विकसित होते हैं।
- **अनुच्छेद 370 का उन्मूलन—एकपक्षीय संघीय पुनर्गठन:** जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त कर इसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करना एक प्रमुख संघीय कदम था, जिसे राज्य की सलाह को दरकिनार करने के लिये आलोचना का सामना करना पड़ा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण को बनाए रखा, किंतु राज्य का दर्जा पुनः स्थापित करने का निर्देश दिया, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के संतुलन में न्यायपालिका की भूमिका स्पष्ट हुई।
- **केंद्रीय एजेंसियों का प्रयोग-स्वायत्तता पर निगरानी:** कुछ राज्यों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) जैसी केंद्रीय एजेंसियों के बढ़ते उपयोग ने केंद्र सरकार के अतिक्रमण और राज्य स्वायत्तता पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
- **केंद्र-प्रायोजित योजनाएँ (CSS) - शर्तों पर आधारित सहयोग:** केंद्र-प्रायोजित योजनाओं का विस्तार राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है, किंतु इससे राज्यों की वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता सीमित होती है। इन योजनाओं के तहत राज्यों को धनराशि साझा करनी होती है और सख्त दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है, जिससे अक्सर योजना संचालन में निर्णय की स्वतंत्रता या अतिरिक्त सहायता सुनिश्चित करने के लिये केंद्र के साथ समन्वय और वार्ता करनी पड़ती है।

निरंतर वार्ता के माध्यम से भारतीय संघवाद ने रचनात्मक सुधार और नवाचार को भी बढ़ावा दिया है:

- **आम सहमति से संचालित नीति-निर्माण:** GST ने भले ही राजकोषीय स्वायत्तता को कम कर दिया हो, लेकिन इसने एक साझा राष्ट्रीय बाज़ार का निर्माण किया तथा जीएसटी परिषद के माध्यम से संघीय संवाद को संस्थागत रूप दिया।
- **केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से सामाजिक क्षेत्र का विस्तार:** केंद्र-प्रायोजित योजनाओं ने सीमाओं के बावजूद स्वास्थ्य (आयुष्मान भारत), शिक्षा और ग्रामीण अवसंरचना (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) में प्रगति को गति दी, क्योंकि इनमें केंद्र और राज्यों के संसाधनों को मिलाकर उपयोग किया गया।
- **आपातकालीन वित्तीय सहायता:** कोविड-19 के दौरान, केंद्र और राज्यों ने जीएसटी मुआवज़ा ऋण, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 5% तक उधारी सीमा का विस्तार और लक्षित कल्याण योजनाओं के माध्यम से राहत सहयोगात्मक रूप से प्रदान की।
- **अंतर-संघीय संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण:** वित्त आयोग, अंतर-राज्य परिषद और नीति आयोग सभी ऐसे संस्थागत मंच के रूप में विकसित हुए हैं, जहाँ राज्यों और केंद्र के बीच संवाद एवं समझौता होता है, जिससे प्रतिस्पर्द्धी मांगों का संतुलन बनता है।
- क्षेत्रीय आकांक्षाओं का राष्ट्रीय नीति में समावेश: संघीय विवाद ने कभी-कभी सुधारों को प्रेरित किया है। उदाहरण के लिये- जलवायु कार्य योजनाएँ, नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य और डिजिटल सेवा वितरण को राज्यस्तरीय प्रयोगों के माध्यम से आकार दिया गया, जिन्हें बाद में राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया।

निष्कर्ष:

भारतीय संघवाद एक प्रवाही और विकसित ढाँचा है, जो निरंतर राजकोषीय एवं राजनीतिक अंतःक्रियाओं से आकार लेता है। इसे संविधान की मूल विशेषता के रूप में मान्यता प्राप्त है (एस.आर. बोम्मई मामला, 1994) और यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र-राज्य संबंध लचीले हों, किंतु संवैधानिक सिद्धांतों में दृढ़ता से आधारित रहें।

प्रश्न : "प्रशासनिक अधिकरण भारत की न्याय-प्रणाली का एक अनिवार्य सहायक अंग हैं।" हाल के अधिकरण सुधारों के औचित्य एवं त्वरित न्याय पर उनके प्रभाव का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- प्रशासनिक अधिकरणों का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- हाल के अधिकरण सुधारों के औचित्य का परीक्षण कीजिये।
- शीघ्र न्याय पर उनके प्रभाव पर चर्चा कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा अनुच्छेद 323A और 323B के अंतर्गत स्थापित अधिकरणों की स्थापना लोक सेवा, कराधान, श्रम, चुनाव एवं विनियमन जैसे क्षेत्रों में विशेषीकृत तथा त्वरित न्याय प्रदान करने के लिये की गई थी। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 ने उन्हें उच्च न्यायपालिका के सहायक के रूप में कार्य करने हेतु अर्द्ध-न्यायिक निकायों के रूप में संचालित किया, जिससे नियमित न्यायालयों पर भार कम हुआ।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

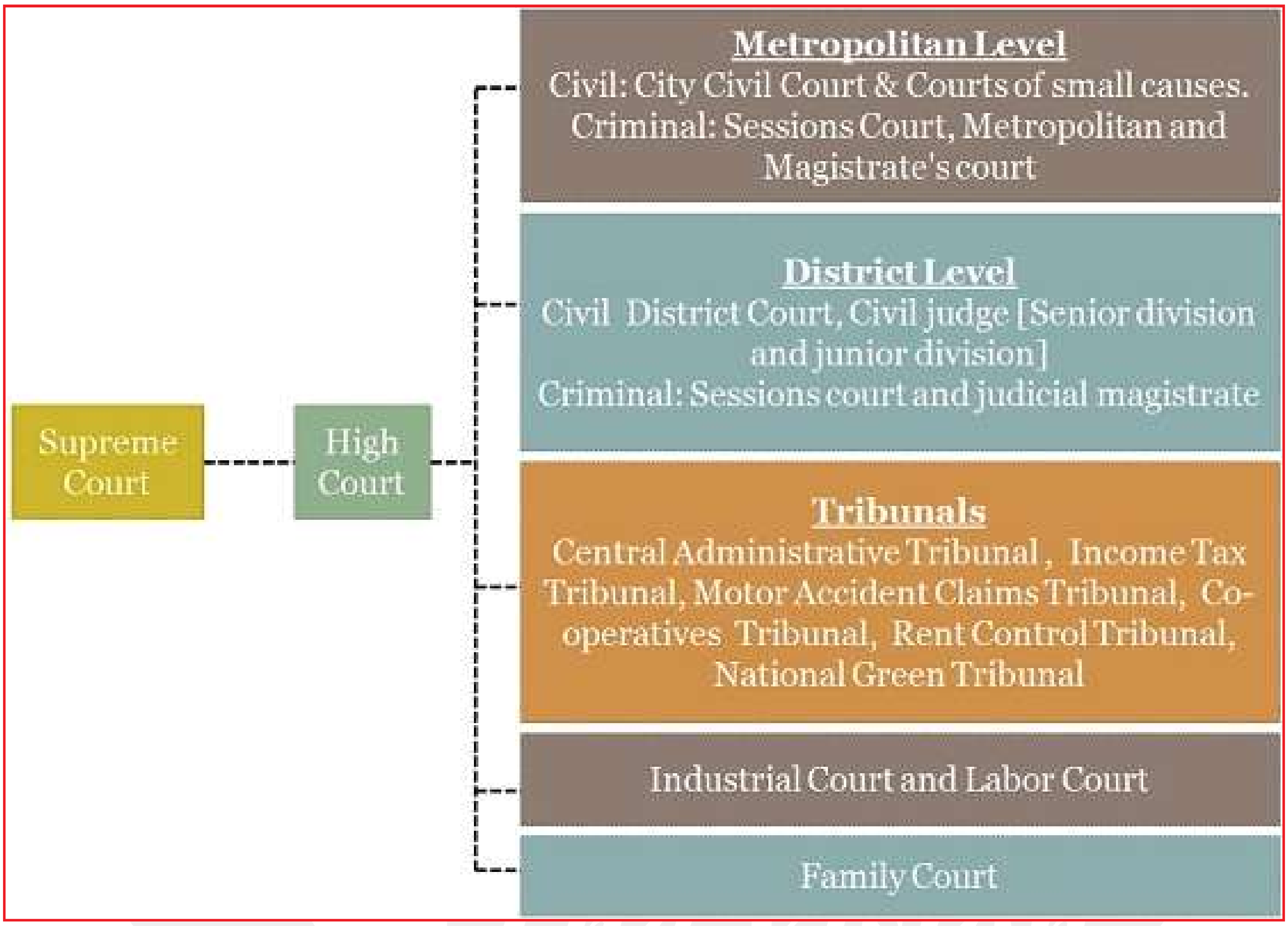

मुख्य भाग:

हालिया अधिकरण सुधारों का औचित्य

- **सुव्यवस्थीकरण और युक्तिकरण:** अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 ने फिल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण जैसे कई अपीलीय अधिकरणों का विघटन कर दिया तथा उनके अपीलीय कार्यों को उच्च न्यायालयों और वाणिज्यिक न्यायालयों जैसे मौजूदा न्यायिक मंचों को हस्तांतरित कर दिया, ताकि पुनरावृत्ति एवं अक्षमता को कम किया जा सके।
- **समान नियुक्तियाँ:** नियुक्तियों में अनियमितता/मनमानी को कम करने के उद्देश्य से एक खोज-सह-चयन समिति का गठन किया गया।
- **स्वतंत्रता सुनिश्चित करना:** न्यायिक स्वायत्तता की रक्षा के लिये निश्चित कार्यकाल और सेवा शर्तों पर सुरक्षा उपाय प्रदान किये गए।
- **वित्तीय विवेक:** युक्तिकरण ने प्रशासनिक व्यय और अवसंरचना के दोहराव को कम किया।

शीघ्र न्याय पर प्रभाव

- **सकारात्मक प्रभाव:** राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) जैसे विशिष्ट अधिकरणों ने अपने क्षेत्राधिकार में लंबित मामलों को बहुत कम कर दिया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **चिंताएँ:** कुछ अधिकरणों को समाप्त करने से मामले पहले से ही भारग्रस्त उच्च न्यायालयों में वापस स्थानांतरित हो गए हैं। उदाहरण के लिये, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विवाद अब सीधे उच्च न्यायालयों में जाते हैं, जिससे समाधान की प्रक्रिया धीमी हो सकती है।
- **न्यायिक निगरानी:** एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि दक्षता और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाए रखने के लिये अधिकरणों को न्यायिक समीक्षा के अधीन रहना चाहिये।

आगे की राह

- **स्वायत्तता को मज़बूत करना:** सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश के अनुसार, अधिकरणों की नियुक्ति, कार्यप्रणाली और प्रशासन की निगरानी के लिये एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना की जानी चाहिये।
- **पर्याप्त स्टाफ:** रिक्तियों की शीघ्र भर्ती और स्वीकृत पदों में वृद्धि की जानी चाहिये।
- **डिजिटल एकीकरण:** तीव्र निपटान के लिये ई-फाइलिंग और वर्चुअल सुनवाई का उपयोग किया जाना चाहिये।
- **क्षमता निर्माण:** अधिकरण के सदस्यों और कर्मचारियों के लिये निरंतर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये।
- **सुगम्यता:** यात्रा और मुकदमेबाज़ी की लागत कम करने के लिये क्षेत्रीय पीठों की स्थापना की जानी चाहिये।

निष्कर्ष:

प्रशासनिक अधिकरण न्याय वितरण प्रणाली के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन सुधारों से वास्तविक स्वायत्तता, पर्याप्त स्टाफ और डिजिटल एकीकरण सुनिश्चित होना चाहिये। कार्यपालिका के प्रभुत्व को रोकते हुए NGT जैसे सफल मॉडलों को सुदृढ़ करने से विशिष्टता और त्वरित न्याय के दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

प्रश्न : "पर्यावरणीय दबाव समूहों को अक्सर भागीदारी लोकतंत्र के उत्प्रेरक के रूप में देखा जाता है।" भारत में विकास की आवश्यकताओं और पारिस्थितिकीय स्थिरता के बीच सामंजस्य स्थापित करने में वे कितनी हद तक सफल रहे हैं? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- पर्यावरणीय दबाव समूहों का परिचय दीजिये।
- भागीदारी लोकतंत्र में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालिये।
- भारत में विकास की अनिवार्यताओं को पारिस्थितिक स्थिरता के साथ सामंजस्य स्थापित करने में उनकी सफलता और सीमाओं पर चर्चा कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

पर्यावरणीय दबाव समूह नागरिकों द्वारा संचालित संगठन हैं जो पारिस्थितिकी संरक्षण, सतत् विकास और संरक्षण हेतु समर्थन करते हैं। ये समूह भागीदारी लोकतंत्र के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, जनमत को संगठित करते हैं, नीतियों को प्रभावित करते हैं और सरकारों तथा उद्योगों को जवाबदेह ठहराते हैं। जबकि इन्होंने जागरूकता बढ़ाने और नीतियों को आकार देने में सफलता प्राप्त की है, भारत में तीव्र आर्थिक विकास को पारिस्थितिकी स्थिरता के साथ सामंजस्य स्थापित करना एक जटिल चुनौती बनी हुई है।

मुख्य भाग:

भागीदारी लोकतंत्र में भूमिका

- **नीतिगत प्रभाव:** समूहों ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010, वन अधिकार अधिनियम 2006 और पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) में सुधार जैसी पर्यावरणीय नीतियों को आकार दिया है।
  - इनके सुझाव यह सुनिश्चित करते हैं कि नीतिगत ढाँचे में नागरिकों के दृष्टिकोण और पारिस्थितिकीय चिंताओं को शामिल किया जाए।
- **कानूनी हस्तक्षेप:** समूहों ने जनहित याचिकाओं (PIL) का उपयोग किया है, जो पर्यावरणीय कानूनों को लागू कराने का एक प्रभावी साधन रही हैं।
  - एम.सी. मेहता गंगा प्रदूषण मामला और ताज ट्रेपेज़ियम मामला जैसे ऐतिहासिक निर्णयों ने औद्योगिक प्रदूषण को कम करने में सहायता की और सख्त निगरानी उपायों को अनिवार्य किया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **जनजागरूकता एवं समर्थन:** वनों की कटाई (वनोन्मूलन), वन्यजीव शिकार, औद्योगिक प्रदूषण और वायु प्रदूषण के विरुद्ध अभियानों ने नागरिकों को संगठित किया और व्यापक पर्यावरणीय चेतना का निर्माण किया।
  - चिपको आंदोलन और अप्पिको आंदोलन जैसे आंदोलनों ने ज़मीनी स्तर पर सक्रियता को उजागर किया, जिसने लोकतांत्रिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया।

विकास और स्थिरता के बीच संतुलन में सफलताएँ

- **पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्र निर्धारण:** शहरी और औद्योगिक परियोजनाओं के आसपास बफर ज़ोन और पर्यावरणीय स्वीकृतियों के समर्थन ने पारिस्थितिक क्षति को कम किया है।
- **समुदाय-नेतृत्व संरक्षण:** नियमगिरि पहाड़ियों के विरोध जैसे आंदोलनों ने जनजातीय भूमि अधिकारों की रक्षा की और खनन से होने वाले पर्यावरणीय ह्रास को रोका।
- **कॉर्पोरेट जवाबदेही:** दबाव समूह यह सुनिश्चित करते हैं कि उद्योग पर्यावरणीय नियमों का पालन करें, जैसे नदी घाटी प्रबंधन, तटीय विनियमन क्षेत्र (Coastal Regulation Zone-CRZ) का अनुपालन और नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना।
- **नीति सुधार का समर्थन:** इनके लगातार अभियानों ने जलवायु कार्ययोजनाओं को प्रभावित किया है और नवीकरणीय ऊर्जा पहलों को बढ़ावा दिया है, जिससे राष्ट्रीय विकास एजेंडे में स्थिरता को एकीकृत किया जा सका है।

चुनौतियाँ एवं सीमाएँ

- **आर्थिक आवश्यकताओं से टकराव:** बड़े बुनियादी ढाँचे की परियोजनाएँ, बाँध और राजमार्ग अक्सर संरक्षण लक्ष्यों से टकराते हैं।
- **राजनीतिक और नौकरशाही प्रतिरोध:** विलंब, नियामकीय शिथिलता और सीमित प्रवर्तन वकालत प्रयासों के प्रभाव को अप्रभावी करते हैं।
- **सीमित पहुँच:** कई समूह क्षेत्रीय स्तर पर काम करते हैं, जिससे हाशिये पर रहने वाले या ग्रामीण समुदायों का प्रतिनिधित्व अधूरा रह जाता है।
- **न्यायिक और क्रियान्वयन संबंधी कमियाँ:** यहाँ तक कि ऐतिहासिक जनहित याचिकाएँ (PIL) भी कभी-कभी अप्रभावी प्रवर्तन का शिकार होती हैं, जिससे उनकी दीर्घकालिक प्रभावशीलता घट जाती है।

आगे की राह

- **कानूनी ढाँचे को मज़बूत करना:** पर्यावरणीय कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए और तेज़ न्यायिक निवारण सुनिश्चित किया जाए।
- **सतत् विकास मॉडलों को बढ़ावा देना:** परियोजनाओं की स्वीकृति में प्रबल पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) और सामाजिक प्रभाव आकलन को शामिल किया जाए।
- **जनभागीदारी का विस्तार:** नागरिक विज्ञान, हितधारक परामर्श और स्थानीय शासन में भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए।
- **कॉर्पोरेट ज़िम्मेदारी:** ESG मानकों को दृढ़ किया जाए और पर्यावरणीय रूप से सतत् औद्योगिक प्रथाओं के लिये प्रोत्साहन प्रदान किया जाए।

निष्कर्ष:

भारत में पर्यावरणीय दबाव समूहों ने भागीदारी लोकतंत्र और पारिस्थितिक जागरूकता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है। यद्यपि उन्होंने विकास और स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित करने में आंशिक सफलता प्राप्त की है, फिर भी वर्तमान चुनौतियाँ समेकित शासन, सक्रिय जनभागीदारी और नवोन्मेषी नीतिगत हस्तक्षेप की मांग करती हैं। जैसा कि अमर्त्य सेन ने उचित ही कहा है- "सतत् विकास के लिये आर्थिक प्रगति और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच संतुलन आवश्यक है", जो यह रेखांकित करता है कि विकास लक्ष्यों और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच सामंजस्य स्थापित करना अनिवार्य है।

प्रश्न : लद्दाख की छठी अनुसूची में शामिल किये जाने की मांग राष्ट्रीय एकीकरण और क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच संतुलन की परीक्षा लेती है। इस सामरिक रूप से संवेदनशील केंद्रशासित प्रदेश को छठी अनुसूची के संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता और चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- लद्दाख की छठी अनुसूची की मांग के संदर्भ का संक्षेप में परिचय दीजिये।
- लद्दाख को छठी अनुसूची संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता और चुनौतियों की समालोचनात्मक समीक्षा कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

परिचय:

लद्दाख, जिसे वर्ष 2019 में जम्मू -कश्मीर के विभाजन के बाद एक पृथक् केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया, अपनी जनजातीय और सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा के लिये छठी अनुसूची संरक्षण की मांग कर रहा है। यह क्षेत्र, जो चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के पास रणनीतिक रूप से स्थित है, मुख्यत: जनजातीय समुदायों का निवास स्थान है। यह मांग राष्ट्रीय एकीकरण और क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच संवेदनशील संतुलन को उजागर करती है और भू-राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में शासन, विकास और सुरक्षा संबंधी मुद्दों को सामने लाती है।

मुख्य भाग:

छठी अनुसूची संरक्षण की आवश्यकता

- **राजनीतिक स्वायत्तता:** वर्ष 2019 से विधायिका रहित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में निर्वाचित प्रतिनिधियों और विधायी शक्तियों का अभाव है।
- **जनजातीय पहचान और संस्कृति:** लगभग 97% से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है; छठी अनुसूची उनके रीति-रिवाज़, भूमि अधिकार और सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा करता है।
- **भूमि और संसाधनों का संरक्षण:** ग्लेशियर, उच्च पर्वतीय चरागाह और संकटग्रस्त प्रजातियों जैसे संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्रों को अधिक जनसंख्या और औद्योगिकीकरण के दबाव से बचाने की आवश्यकता है।
- **स्थानीय आर्थिक विकास:** छठी अनुसूची का दर्जा लक्षित आधारभूत संरचना, शिक्षा, रोज़गार और स्वास्थ्य सेवाओं की सुनिश्चितता करता है, जिससे उच्च स्नातक बेरोज़गारी (26.5%) जैसी समस्याओं को दूर किया जा सके।
- **सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता:** विवादित सीमाओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ क्षेत्रीय स्वायत्तता के संतुलन के लिये प्रशासनिक नियंत्रण आवश्यक है।

छठी अनुसूची संरक्षण प्रदान करने में चुनौतियाँ

- **कानूनी बाधाएँ: छठी अनुसूची मुख्यत:** पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों के लिये बनाई गई है; लद्दाख पर इसे लागू करने हेतु संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी।
- **प्रशासनिक जटिलता:** अतिरिक्त नौकरशाही स्तर दूरदराज़ और रणनीतिक क्षेत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं। वर्तमान विकास सहायता: केंद्र शासित प्रदेश पहले ही पर्याप्त निधि और बढ़ी हुई आरक्षण सुविधाएँ प्राप्त कर रहा है (वर्ष 2025 के अनुसार अनुसूचित जनजाति आरक्षण 80%)।
- **आर्थिक विकास संबंधी चिंता:** भूमि और संसाधनों पर प्रतिबंध निवेश और बुनियादी ढाँचे परियोजनाओं को हतोत्साहित कर सकते हैं।
- **पूर्ववर्ती जोखिम:** छठी अनुसूची को लागू करने से अन्य जनजातीय क्षेत्रों में समान मांगें बढ़ सकती हैं, जिससे संघीय शासन में जटिलता उत्पन्न हो सकती है।

आगे की राह

- स्थानीय प्रशासन, संसाधन प्रबंधन और सांस्कृतिक संरक्षण हेतु लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (LAHDC) के अधिकारों का विस्तार करना।
- अनुच्छेद 240 के तहत विशेष विधायी दर्जा प्रदान करना, जिससे स्थानीय कानून बनाने की शक्तियाँ प्राप्त हो सकें।
- स्वायत्तता के लिये अनुकूलित छठी अनुसूची ढाँचे (Tailored Sixth Schedule Framework) की संभावना पर विचार करना, जिसमें जवाबदेही सुनिश्चित हो।
- वित्तीय हस्तांतरण और विकास अनुदान बढ़ाना, ताकि सतत् आधारभूत संरचना और रोज़गार सुनिश्चित हो सके।
- लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन (LPSC) की स्थापना करना, ताकि स्थानीय निवासियों के लिए भर्ती सुनिश्चित हो।
- स्थानीय और केंद्र शासित निकायों के साथ संवाद और संघर्ष समाधान प्लेटफॉर्म को संस्थागत रूप प्रदान करना।
- कानूनी सुरक्षा उपाय लागू करना ताकि सांस्कृतिक धरोहर और संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा हो सके।

निष्कर्ष:

लद्दाख का राज्यत्व, छठी अनुसूची दर्जा और अधिक स्वायत्तता की मांग समावेशी शासन, सांस्कृतिक संरक्षण और सतत् विकास की आवश्यकता को दर्शाती है, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। एक क्रमिक और परामर्शपूर्ण दृष्टिकोण- LAHDC को सशक्त करना, स्थानीय रोज़गार सुनिश्चित करना और पारिस्थितिक

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

संतुलन को बढ़ावा देना, सबसे उचित मार्ग प्रस्तुत करता है, जैसा कि गांधीजी ने कहा था: ***"दुनिया में हर किसी की ज़रूरतों के लिये पर्याप्त है, लेकिन हर किसी की लालच के लिये नहीं।"***

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रश्न : "व्यापारिक शुल्क (Trade Tariffs) अब केवल आर्थिक सुरक्षा कवच नहीं रहे, बल्कि 21वीं सदी में ये भू-राजनीतिक अस्त्रों के रूप में उभरकर नए गठबंधनों और प्रतिद्वंद्विताओं को नया रूप दे रहे हैं।" भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस कथन का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- किसी वर्तमान घटना के उदहारण के साथ कथन की पुष्टि करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- आर्थिक ढाल से भू-राजनीतिक अस्त्रीकरण तक व्यापारिक शुल्कों के विकास पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- भारतीय संदर्भ में इसके निहितार्थों पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

वर्ष 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारतीय आयातों पर शुल्क लगाया। इसका औचित्य यह बताया गया कि भारत पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूसी तेल का आयात कर रहा है। यह घटना इस बात का संकेत है कि शुल्कों का प्रयोग अब केवल आर्थिक साधन के रूप में नहीं, बल्कि भू-राजनीतिक उपकरण के रूप में भी किया जाने लगा है।

शुल्क का विकास: आर्थिक सुरक्षा कवच से लेकर भू-राजनीतिक अस्त्र तक

- **आर्थिक सुरक्षा कवच:**
  - **घरेलू उद्योगों की रक्षा:** ऐतिहासिक रूप से शुल्कों ने घरेलू उद्योगों की रक्षा की, आयातों को नियंत्रित किया और सरकार के लिये राजस्व उत्पन्न किया।
  - **सरकारों के लिये राजस्व सृजन:** शुल्क परंपरागत रूप से राजस्व का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत रहे हैं, विशेषकर उन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, जहाँ कराधान का ढाँचा सीमित रहा है।
  - **व्यापार घाटे का संतुलन:** शुल्क आयातित वस्तुओं को अधिक महँगा बनाकर व्यापार असंतुलन को कम करने में सहायक होते हैं तथा स्थानीय वस्तुओं की घरेलू खपत को प्रोत्साहित करते हैं।
- **भू-राजनीतिक अस्त्र:**
  - **राजनीतिक दबाव:** वर्तमान समय में शुल्क ऐसे उपागम के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, जिनके माध्यम से देशों को व्यापक विदेश नीति लक्ष्यों के अनुरूप होने के लिये विवश किया जाता है। उदाहरणस्वरूप, अमेरिका द्वारा इस्पात और एल्युमिनियम पर लगाए गए शुल्क, जिनका औचित्य राष्ट्रीय सुरक्षा बताया गया, किंतु वास्तविकता में उन्होंने सहयोगी देशों पर दबाव बनाने का कार्य किया।
  - **आपूर्ति शृंखलाओं पर प्रभाव:** शुल्क वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित कर सकते हैं, जिससे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर निर्भरता अथवा दबाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
    - उदाहरणस्वरूप, वर्ष 2010 में चीन द्वारा जापान पर दुर्लभ धातुओं के निर्यात पर लगाई गई पाबंदियों ने जापान की व्यापारिक तथा प्रौद्योगिकीय नीतियों को प्रभावित किया।
  - **प्रतिबंधों का उपकरण:** शुल्क प्राय: आर्थिक प्रतिबंधों का स्थान ले लेते हैं अथवा उन्हें पूरक रूप में प्रयुक्त किया जाता है। भू-राजनीतिक विवादों के बीच अमेरिका द्वारा भारत के निर्यात को लक्ष्य बनाना इस प्रकार के 'अस्त्रीकरण' का समकालीन उदाहरण है।

आर्थिक एवं रणनीतिक निहितार्थ: भारतीय परिप्रेक्ष्य

- **आर्थिक निहितार्थ:**
  - **निर्यात में संभावित गिरावट:** अमेरिका द्वारा लगाया गया शुल्क भारत के कुल अमेरिकी निर्यात का लगभग 10% सीधे प्रभावित करेगा, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 87 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं पर प्रभाव पड़ेगा। इसमें औषधि, वस्त्र तथा अभियांत्रिकी क्षेत्र सर्वाधिक दबाव का सामना करेंगे।
  - **मुद्रास्फीति का दबाव:** शुल्क भारतीय निर्यातकों एवं आयातकों की लागत बढ़ा देते हैं, जिससे उन क्षेत्रों में घरेलू मूल्य वृद्धि की संभावना उत्पन्न होती है, जो अमेरिकी बाज़ारों पर निर्भर हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **बाज़ारों का विविधीकरण:** इस दबाव ने भारत को अफ्रीका, लैटिन अमेरिका तथा आसियान जैसे वैकल्पिक बाज़ारों की खोज के लिये प्रेरित किया है।
- **स्टार्टअप्स एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर प्रभाव:** छोटे तथा मध्यम उद्यम, जो निर्यात पर अत्यधिक निर्भर होते हैं, नकदी प्रवाह में कमी और रोज़गार अवसरों में हानि का सामना कर सकते हैं। उदाहरणस्वरूप, अमेरिकी बाज़ार में निर्यात करने वाले भारतीय वस्त्र एमएसएमई शुल्क के आघातों के कारण अपने कार्यबल को घटाने के लिये विवश हो सकते हैं।
- **आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन:** शुल्क 'मेक इन इंडिया' तथा 'आत्मनिर्भर भारत' जैसे उपक्रमों को प्रोत्साहित करते हैं और घरेलू मूल्य संवर्द्धन को बढ़ावा देते हैं। इससे आयात पर निर्भरता घटती है तथा औद्योगिक क्षमता में वृद्धि होती है।

- **रणनीतिक निहितार्थ:**
  - **भारत-रूस-चीन की निकटता:** शुल्क विवाद ने भारत की रूस और चीन के साथ सहभागिता को तीव्र किया है, जिसका उदाहरण वर्ष 2025 के शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में देखा गया। इससे क्षेत्रीय गठबंधनों का पुनर्गठन हुआ है तथा बहुध्रुवीय रणनीतिक संतुलन का संकेत मिला है।
  - **रणनीतिक स्वायत्तता का संरक्षण:** ऊर्जा आयातों और विदेश नीति पर भारत का दृष्टिकोण स्वतंत्र निर्णय-निर्माण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह संकेत देता है कि बाहरी आर्थिक दबाव राष्ट्रीय विकल्पों को निर्धारित नहीं कर सकते।

निष्कर्ष:

वर्तमान समय में शुल्क केवल वाणिज्यिक उपकरण नहीं रह गए हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और रणनीतिक विकल्पों को प्रभावित करने वाले साधन बन चुके हैं। "शुल्क केवल व्यापार पर लगाया गया कर नहीं है, यह शक्ति का संकेत है, गठबंधनों की परीक्षा है और राष्ट्रों के प्रतिस्पर्द्धी परिदृश्य में प्रयुक्त एक साधन है।" भारत के लिये ऐसे कदम चुनौतियाँ और अवसर प्रस्तुत करते हैं, जो उसे बाज़ारों का विविधीकरण करने तथा अपनी वैश्विक साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिये प्रेरित करते हैं।

प्रश्न : ग्लोबल साउथ की सामूहिक आवाज़ के रूप में BRICS किस हद तक सफल रहा है? ऐसे कौन-से उपाय हैं, जिनसे भारत बिना अपने मूल हितों को कमज़ोर किये इस समूह में अपनी भागीदारी को मज़बूत कर सकता है? (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- BRICS का संक्षिप्त परिचय लिखिये।
- ग्लोबल साउथ के सामूहिक प्रतिनिधित्व के रूप में BRICS की सफलताओं और इसकी सीमाओं की विवेचना कीजिये।
- BRICS में भारत की भागीदारी को मज़बूत करने की आवश्यकता को रेखांकित कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

BRICS उभरती अर्थव्यवस्थाओं के एक प्रमुख, किंतु जटिल गठबंधन के रूप में विकसित हुआ है, जो स्वयं को पश्चिमी प्रभुत्व वाली वैश्विक व्यवस्था के विरुद्ध ग्लोबल साउथ की सामूहिक आवाज़ के रूप में प्रस्तुत करता है।

- "Strengthening Global South Cooperation and Promoting a More Inclusive and Sustainable Global Governance" (अर्थात् ग्लोबल साउथ सहयोग को मज़बूत करने और अधिक समावेशी एवं सतत् वैश्विक शासन को बढ़ावा देना) 17वें BRICS शिखर सम्मेलन ने इसी विषय पर आयोजित दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित किया।

मुख्य भाग:

- ग्लोबल साउथ की सामूहिक आवाज़ के रूप में BRICS विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिये एक प्रभावशाली मंच के रूप में उभरा है, फिर भी इसकी एकता और प्रभावशीलता मिश्रित रही है।
  - **ग्लोबल साउथ के सामूहिक प्रतिनिधित्व के रूप में BRICS की सफलताएँ:**
    - **वैकल्पिक वित्त:** न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) और कंटिंजेंट रिज़र्व अरेंजमेंट (CRA) जैसी व्यवस्थाएँ, पश्चिमी प्रभुत्व वाले संस्थानों, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) एवं विश्व बैंक के विकल्प प्रस्तुत करती हैं। ये

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

संस्थाएँ सतत् विकास के लिये वित्त उपलब्ध कराती हैं तथा चलनिधि (Liquidity) सुनिश्चित करती हैं।
- ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने व्यापक वि-डॉलरीकरण के प्रयास के एक भाग के रूप में BRICS रिज़र्व करेंसी सर्जन पर चर्चा की है।

- **एजेंडा-निर्धारण की क्षमता:** BRICS देशों ने ग्लोबल साउथ की मांगों को प्रमुखता से उठाया है, जिनमें वैश्विक शासन संस्थाओं (जैसे: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद) में सुधार करना और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देना शामिल है।
- **हाल की विस्तार प्रक्रिया:** मिस्र, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे नये देशों के जुड़ने से BRICS का जनांकिक एवं आर्थिक भार बढ़ा है, जिससे इसे व्यापक ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधि होने का आधार और अधिक मज़बूत होता है।

- **ग्लोबल साउथ के सामूहिक प्रतिनिधित्व के रूप में BRICS की सीमाएँ:**
  - **आंतरिक विभाजन:** भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, विशेषकर भारत-चीन सीमा विवाद, आपसी भरोसे की कमी को गहरा करती है और सामूहिक कार्रवाई में बाधा डालती है।
  - **चीन का प्रभुत्व:** चीन की विशाल आर्थिक शक्ति असममित शक्ति संतुलन और निर्णय प्रक्रिया पर उसके प्रभाव को लेकर चिंता उत्पन्न करती है, जिससे समान एवं न्यायसंगत निर्णय लेना कठिन हो जाता है।
  - **परस्पर विरोधी हित:** सदस्य देशों की विदेश नीति के रुख अलग-अलग हैं, भारत की बहु-संरेखित (multi-aligned) नीति चीन और रूस के अधिक मतभेद वाले रुख के विपरीत है।

- **भारत की BRICS भागीदारी को मज़बूत करना:** भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए आर्थिक सहयोग और बहुपक्षीय सुधार को प्राथमिकता देने वाली व्यावहारिक रणनीति अपनाकर BRICS में अपनी भूमिका को मज़बूत कर सकता है।
  - **मुद्रा-आधारित आर्थिक सहयोग का विस्तार:**
    - **व्यापार विविधीकरण:** ब्राज़ील जैसे वस्तु-समृद्ध सदस्यों और संयुक्त अरब अमीरात जैसे ऊर्जा उत्पादकों के साथ संबंधों को मज़बूत करके, विशेष रूप से चीन के साथ व्यापार असंतुलन को ठीक करने के लिये विस्तारित BRICS मंच का लाभ उठाने की आवश्यकता है।
    - **तकनीकी नेतृत्व:** प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) में सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जहाँ भारत तुलनात्मक रूप से लाभ में है।

- BRICS में UPI मॉडल को बढ़ावा देने से अंतर-समूह डिजिटल व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है।
    - **स्थानीय मुद्रा व्यापार:** अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिये स्थानीय मुद्राओं में व्यापार की पहलों का सक्रिय रूप से समर्थन किया जाना चाहिये, जिससे भारत और उसके सहयोगियों (जैसे: रुपया-रूबल समझौते) के लिये वित्तीय लचीलापन बढ़े।
  - **संस्थागत तंत्रों को मज़बूत करना:**
    - **संस्थागत सुधार:** समान निर्णय लेने को सुनिश्चित करने और किसी एक सदस्य के वर्चस्व को रोकने के लिये, स्पष्ट सदस्यता मानदंड निर्धारित करने तथा NDB को मज़बूत करने जैसे दृढ़ संस्थागत सुधारों की अनुशंसा की जानी चाहिये।
    - **जन-जन संबंध:** सदस्य देशों के बीच दीर्घकालिक सद्भावना और आपसी समझ बनाने के लिये शैक्षणिक आदान-प्रदान, पर्यटन एवं सांस्कृतिक पहलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

हालाँकि BRICS ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करने में आंशिक रूप से सफल रहा है, फिर भी आंतरिक मतभेद इसकी पूरी क्षमता को सीमित कर देते हैं। भारत कूटनीति का लाभ उठाकर, सामंजस्य को बढ़ावा देकर, नवाचार को प्रोत्साहन देकर तथा साझा हितों की अनुशंसा करके एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है, जिससे अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं से समझौता किये बिना समूह को मज़बूती मिल सके।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रश्न : "ऊर्जा सुरक्षा केवल एक आर्थिक आवश्यकता ही नहीं, बल्कि एक भू-राजनीतिक साधन भी है।" महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता के युग में भारत को अपनी ऊर्जा कूटनीति को किस प्रकार पुनर्संयोजित करना चाहिये? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ऊर्जा सुरक्षा के महत्त्व पर चर्चा कीजिये।
- भारत की ऊर्जा सुरक्षा के समक्ष प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित कीजिये।
- महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता के युग में भारत की ऊर्जा कूटनीति को पुनर्संयोजित करने के उपायों को प्रस्तावित कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

ऊर्जा सुरक्षा का तात्पर्य किफायती मूल्य पर ऊर्जा की निर्बाध उपलब्धता से है। भारत के लिये, यह न केवल एक आर्थिक आवश्यकता है, बल्कि एक भू-राजनीतिक उत्प्रेरक भी है, जो उसके बाह्य संबंधों एवं रणनीतिक स्वायत्तता को आकार देता है। भारत अपनी 85% से अधिक कच्चे तेल एवं लगभग 50% गैस की मांग का आयात करता है, इसलिये महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता तथा बदलते वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों के बीच यह मुद्दा और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

मुख्य भाग:

भारत की ऊर्जा सुरक्षा के समक्ष चुनौतियाँ

- **उच्च आयात निर्भरता:** भारत वैश्विक मूल्य झटकों, जैसे रूस-यूक्रेन संघर्ष (2022) के दौरान ब्रेंट क्रूड की अस्थिरता के प्रति संवेदनशील बना हुआ है।
- **भू-राजनीतिक तनाव:** पश्चिम एशिया में अशांति या होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे अवरोधों से आपूर्ति को खतरा है।
- **महाशक्तियों की प्रतिस्पर्द्धा:** अफ्रीका और मध्य पूर्व में चीन की आक्रामक ऊर्जा कूटनीति भारत की अभिगम्यता को बाधित करती है।
- **स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण:** पेरिस समझौते के तहत जलवायु लक्ष्यों के साथ जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को संतुलित करना।
- **गंभीर खनिज की कमी:** हरित प्रौद्योगिकियों के लिये महत्त्वपूर्ण लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा खनिज, कुछ ही शक्तियों के प्रभुत्व में हैं।

भारत की ऊर्जा कूटनीति का पुनर्संतुलन

- **स्रोतों का विविधीकरण:**
  - पश्चिम एशिया पर निर्भरता कम करने के लिये अमेरिका, रूस, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका से तेल/LNG आयात का विस्तार।
  - उदाहरण: पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से रियायती कच्चे तेल के आयात में वृद्धि की।
- **दीर्घकालिक अनुबंध और इक्विटी हिस्सेदारी:**
  - कतर LNG सौदे और वियतनाम, मोज़ाम्बिक व रूस में तेल ब्लॉकों में ONGC विदेश निवेश के माध्यम से आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- **रणनीतिक भंडार और अवसंरचना को मज़बूत करना:**
  - वर्तमान 39 MMT रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार केवल लगभग 9.5 दिनों के लिये ही पर्याप्त हैं; इसे 87 दिनों तक बढ़ाने का काम चल रहा है।
- **स्वच्छ ऊर्जा कूटनीति:**
  - 120 से अधिक सदस्यों वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में नेतृत्व।
  - ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनने की महत्त्वाकांक्षा।
- **महत्त्वपूर्ण खनिज साझेदारी:**
  - लिथियम और कोबाल्ट आपूर्ति शृंखलाओं के लिये ऑस्ट्रेलिया, चिली और अफ्रीकी देशों के साथ सहयोग।
- **क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग:**
  - महाशक्तियों के दबावों से बचाव के लिये क्वाड की स्वच्छ ऊर्जा पहलों और G20 ऊर्जा मंचों में भागीदारी।

निष्कर्ष:

महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता के युग में, भारत की ऊर्जा कूटनीति में विविधीकरण, अवसंरचना की धारणीयता, नवीकरणीय ऊर्जा का अंगीकरण और क्षेत्रीय सहयोग को एकीकृत करने की आवश्यकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

जैसा कि ऊर्जा विद्वान डैनियल येरगिन कहते हैं, ***"ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा से अविभाज्य है।"*** — यह स्मरण कराता है कि भारत के आज के ऊर्जा विकल्प कल उसकी वैश्विक शक्ति स्थिति को आकार देंगे।

प्रश्न : सऊदी-पाकिस्तान आपसी रक्षा समझौता क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता के पुनर्गठन का संकेत देती है। भारत की रणनीतिक गणना पर इसके प्रभावों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- सऊदी-पाकिस्तान पारस्परिक रक्षा समझौते का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- समझौते की प्रमुख शर्तों पर चर्चा कीजिये।
- भारत की रणनीतिक गणना और क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता पर इसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

सितंबर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट (SMDA) पर हस्ताक्षर मध्य पूर्व और दक्षिण एशियाई भू-राजनीति में एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ। यह कूटनीतिक उन्नयन न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों को पुनः परिभाषित करता है, बल्कि वैश्विक व्यवस्था पर भी प्रभाव डालते हुए भारत के सामने नई रणनीतिक चुनौतियाँ खड़ी करता है।

मुख्य भाग:

समझौते की प्रमुख शर्तें:

- स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट (SMDA) सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच सामूहिक रक्षा को औपचारिक रूप देता है, जिसमें कहा गया है कि "*Any aggression against either country shall be considered an aggression against both* ***अर्थात्*** किसी भी देश के विरुद्ध कोई आक्रमण दोनों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा।"
- यह समझौता स्थायी समन्वय के लिये तंत्र स्थापित करता है, जिसमें एक संयुक्त सैन्य समिति, खुफिया साझाकरण व्यवस्थाएँ (Intelligence Sharing Arrangements) और विस्तारित प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।
- यह पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही सैन्य उपस्थिति को सऊदी अरब में औपचारिक रूप प्रदान करता है और यह सऊदी अरब के आशय को दर्शाता है कि वह फारस की खाड़ी की सुरक्षा में पाकिस्तान की रणनीतिक भूमिका को बढ़ाना चाहता है।

भारत और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रभाव:

- **खाड़ी और पश्चिम एशियाई सुरक्षा संरचना का पुनः संतुलन:** SMDA पाकिस्तान की पश्चिम एशिया में औपचारिक सुरक्षा भूमिका को संस्थागत रूप देता है, जो क्षेत्र पारंपरिक रूप से अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर निर्भर रहा है।
    - समझौता दोनों देशों को यह प्रतिबद्धता देता है कि किसी एक पर आक्रमण को दोनों पर आक्रमण माना जाएगा, जो NATO के अनुच्छेद 5 जैसी सामूहिक रक्षा मॉडल की ओर संकेत करता है।
- **परमाणु प्रसार संबंधी चिंताएँ और रणनीतिक स्थिरता के जोखिम:** कहा जाता है कि इस समझौते में पाकिस्तान के परमाणु छत्र को सऊदी अरब तक विस्तारित करने के प्रावधान शामिल हैं, जो पहले से तनावपूर्ण क्षेत्र में प्रसार संबंधी चिंताओं को बढ़ाते हैं।
- **भारत के सापेक्ष पाकिस्तान का संवर्द्धित रणनीतिक आत्मविश्वास:** यह समझौता पाकिस्तान की भू-राजनीतिक स्थिति को सशक्त बनाता है, संभावित रूप से भारत के विरुद्ध उसकी निवारक रणनीति को सशक्त करता है।
    - सऊदी अरब के समर्थन के साथ, इस्लामाबाद कश्मीर और सीमा-पार आतंकवाद पर अधिक साहसी रुख अपना सकता है, जिससे नई दिल्ली के लिये सुरक्षा जोखिम बढ़ते हैं।
    - पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक संभावित भारत-पाकिस्तान युद्ध में सऊदी समर्थन की पुष्टि करते हुए बदलते सुरक्षा पैमानों को रेखांकित किया है।
- **भारत-सऊदी अरब संबंधों और कूटनीतिक संतुलन पर प्रभाव:** समझौते के बावजूद, सऊदी अरब भारत के सबसे बड़े ऊर्जा आपूर्तिकर्त्ताओं और आर्थिक साझेदारों में से एक बना हुआ है।
    - नई दिल्ली को दिये गए रियाद के आश्वासन इस बात पर ज़ोर देते हैं कि इस्लामाबाद के साथ अपने विकसित होते गठबंधन का प्रबंधन करते हुए वह रणनीतिक साझेदारी को जारी रखेगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

भारत, अपनी सामरिक हितों की रक्षा के लिये अपनाए जाने वाले नीतिगत उपाय:

- **सऊदी अरब और खाड़ी देशों के साथ रणनीतिक और रक्षा सहयोग को दृढ़ करना:** भारत को सऊदी अरब के साथ अपने रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को दृढ़ करना चाहिये, जिसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास, खुफिया जानकारी साझाकरण और रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग का विस्तार शामिल हो।
- **कूटनीतिक संवाद और बहुपक्षीय पहुँच को बढ़ाना:** भारत को संयुक्त राष्ट्र, G20 और I2U2 जैसे बहुपक्षीय मंचों का उपयोग करना चाहिये ताकि क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों, जिनमें समझौते से उत्पन्न परमाणु प्रसार संबंधी जोखिम शामिल हैं, के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके।
- **सैन्य आधुनिकीकरण और खुफिया क्षमताओं को तेज़ करना:** सऊदी समर्थन के माध्यम से पाकिस्तान में बढ़े हुए रणनीतिक आत्मविश्वास और इस समझौते (SMDA) को देखते हुए, भारत को अपनी सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तीव्रता लानी चाहिये, विशेष रूप से पारंपरिक खतरों और सीमा-पार आतंकवाद का सामना करने के लिये।
- **खाड़ी क्षेत्र और उससे परे ऊर्जा और आर्थिक साझेदारियों में विविधता लाना:** सऊदी अरब भारत के लिये एक महत्त्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्तिकर्त्ता और आर्थिक साझेदार है।
    - इन संबंधों की सुरक्षा करते हुए, भारत को अन्य खाड़ी देशों के साथ संबंध दृढ़ करके और खाड़ी अर्थव्यवस्थाओं से जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश करके ऊर्जा स्रोतों में विविधता लानी चाहिये।
    - पश्चिम एशिया में अपने हितों का संतुलन बनाए रखने हेतु, भारत ईरान के साथ संबंधों को रणनीतिक रूप से दृढ़ कर सकता है, विशेष रूप से चाबहार परियोजना को पुनर्जीवित करके, जो वर्तमान में अमेरिकी प्रतिबंध छूट के कारण तनाव में है, जबकि यह सुनिश्चित करता है कि इसका दृष्टिकोण इज़रायल के साथ संबंधों को कमज़ोर न करे।

निष्कर्ष:

जैसा कि विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर अक्सर कहते हैं, ***"भारत का मार्ग यह होना चाहिये कि वह अधिक निर्णयकर्त्ता या रूपरेखाकार बने, न कि परहेज करने वाला... न कि विघटनकारी, बल्कि एक स्थिरीकरण शक्ति जो अपनी क्षमताओं का उपयोग वैश्विक कल्याण के लिये करे।"*** सऊदी-पाकिस्तान रक्षा समझौता इस आवश्यक कदम को और दृढ़ता प्रदान करता है, जो भारत को प्रतिक्रियाशील रुख से आगे बढ़कर सक्रिय, रणनीतिक रूप से स्वतंत्र और कूटनीतिक रूप से सक्रिय भूमिका अपनाने के लिये प्रेरित करता है।

सामाजिक न्याय

प्रश्न : "सामाजिक न्याय के लिये दान की नहीं, बल्कि अभिगम्यता और गरिमा की आवश्यकता होती है।" दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिये भारत के प्रयासों का मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उद्धरण की संक्षेप में व्याख्या कीजिये।
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की उपलब्धियों की चर्चा कीजिये।
- कार्यान्वयन में लगातार आ रही कमियों और चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए, उनसे निपटने के लिये उपयुक्त उपायों को भी प्रस्तावित कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

दिव्यांग व्यक्तियों (दिव्यांगजनों) का सशक्तीकरण सामाजिक न्याय का एक प्रमुख आयाम है, जो केवल चैरिटी के बजाय समान अधिकारों, अभिगम्यता और सम्मान पर ज़ोर देता है।

- अमर जैन बनाम भारत संघ एवं अन्य (2025) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि दिव्यांगजनों के लिये समावेशी डिजिटल एक्सेस जीवन और स्वतंत्रता के मूल अधिकार (A-21) का हिस्सा है, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने दिव्यांगजनों को अधिकार-धारक के रूप में मान्यता देते हुए डिजिटल KYC प्रक्रिया को सुलभ बनाने का निर्देश दिया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 इस उद्देश्य से बनाया गया है कि दिव्यांगजनों के अधिकार केवल सैद्धांतिक या आदर्श स्तर पर न रह जाएँ बल्कि उन्हें सुनिश्चित करने हेतु ठोस एवं व्यावहारिक उपाय लागू किये जा सकें।

मुख्य भाग:

- **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की उपलब्धियाँ:**
  - **विस्तारित परिभाषा और कानूनी क्षमता:** इस अधिनियम ने निर्दिष्ट दिव्यांगताओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि अधिक व्यक्ति इसके दायरे में आएँ।
    - इसमें 'सीमित संरक्षकता' की भी शुरुआत की गई है, जो संयुक्त निर्णय-निर्माण को बढ़ावा देती है और दिव्यांगजनों की स्वायत्तता का सम्मान करती है।
  - **सकारात्मक कार्रवाई:** यह मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिये सरकारी नौकरियों में 4% और उच्च शिक्षा में 5% आरक्षण अनिवार्य करता है, जिससे सशक्तीकरण के लिये संस्थागत तंत्र उपलब्ध होते हैं।
  - **भेदभाव से सुरक्षा:** यह अधिनियम दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है और सार्वजनिक एवं निजी प्रतिष्ठानों में 'उचित समायोजन' को अनिवार्य करता है, जिससे समावेशिता सुनिश्चित करने के लिये संस्थाएँ कानूनी तौर पर बाध्य होती हैं।
  - **समर्पित निधि और शिकायत निवारण:** राष्ट्रीय और राज्य निधियों का सृजन, चैरिटी मॉडल से आगे बढ़कर, वित्तीय सहायता को संस्थागत बनाता है। अधिनियम के उल्लंघनों को दूर करने के लिये प्रत्येक ज़िले में विशेष न्यायालय स्थापित किये गए हैं, जिससे न्याय तक अभिगम्यता में सुधार हुआ है।
    - राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) की स्थापना दिव्यांगजनों (PwDs) के आर्थिक सशक्तीकरण हेतु वित्तपोषित करने और उनको बढ़ावा देने के लिये की गई है।
- **कार्यान्वयन में जारी कमियाँ और चुनौतियाँ:**
  - **असमान अभिगम्यता:** सुगम्य भारत अभियान जैसी पहलों के बावजूद, कार्यान्वयन धीमा और असंगत है, कई सार्वजनिक भवनों एवं परिवहन प्रणालियों में अभी भी आधारभूत अभिगम्यता सुविधाओं का अभाव है।
    - वर्ष 2018 की एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, दिव्यांगजनों के लिये केवल 3% भवन ही पूरी तरह से सुगम्य थे।
  - **दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिनियम, 2016 का अप्रभावी प्रवर्तन:** दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का क्रियान्वयन प्रभावी नहीं है, क्योंकि निगरानी और प्रवर्तन की व्यवस्था कमज़ोर है, जिसके कारण अनुपालन का स्तर भी बहुत कम रहता है।
    - कई सरकारी वेबसाइटें अभी भी दुर्गम हैं, विशेषकर एसिड अटैक सर्वाइवर्स और दृष्टिबाधित व्यक्तियों को प्रभावित कर रही हैं।
  - **आर्थिक गतिविधियों और संसाधनों से वंचन:** नौकरी आरक्षण कोटा प्रायः अधूरा रह जाता है और कई निजी कंपनियाँ अनुपालन से बचती हैं।
    - व्यापक सामाजिक कलंक, विशेष रूप से दिव्यांग महिलाओं के लिये, रोज़गार की संभावनाओं को भी सीमित करता है।
    - सरकारी आँकड़े बताते हैं कि 2.6 करोड़ दिव्यांगजनों में से केवल 36% ही कार्यरत हैं।
  - **प्रशासनिक बाधाएँ:** विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID) कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रायः धीमी एवं अक्षम होती है, जिससे पात्रता प्राप्त करने में बाधा आती है।
    - भारत में 40% से भी कम दिव्यांग व्यक्तियों के पास UDID है।

दिव्यांगजनों के लिये 'ENABLE' फ्रेमवर्क

- **E - Enforcement (कानूनों का प्रवर्तन):**
  - RPwD अधिनियम, 2016 की सख्त निगरानी और अनुपालन न करने पर दंड।
  - सार्वजनिक भवनों, वेबसाइटों और परिवहन प्रणालियों का नियमित सुगम्यता ऑडिट।
- **N - Navigation-friendly Infrastructure (नेविगेशन-अनुकूल अवसंरचना):**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- शहरी नियोजन में सार्वभौमिक डिज़ाइन (रैंप, स्पर्शनीय फर्श, सुलभ शौचालय, साइनबोर्ड)।
- समयबद्ध लक्ष्यों के साथ सुगम्य भारत अभियान का विस्तार।

- **A - Awareness & Social Inclusion (जागरूकता और सामाजिक समावेशन):**
  - दिव्यांगजनों, विशेषकर महिलाओं के प्रति सामाजिक कलंक को दूर करने के लिये व्यापक जन-जागरण अभियान का संचालन।
  - दिव्यांगता संवेदनशीलता के लिये मीडिया, स्कूलों और कार्यस्थलों को प्रशिक्षित करना।
- **B - Building Economic Empowerment (आर्थिक सशक्तीकरण का निर्माण):**
  - नौकरी हेतु आरक्षण में लंबित पदों पर भर्ती; समावेशी नियोजन के लिये निजी फर्मों को प्रोत्साहित करना।
  - नए युग के क्षेत्रों (IT, हरित अर्थव्यवस्था, डिजिटल सेवाएँ) में कौशल प्रशिक्षण।
- **L - Leveraging Technology (प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना):**
  - सुलभ सरकारी पोर्टल, AI-संचालित सहायक उपकरण और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म।
  - स्क्रीन रीडर, गतिशीलता सहायक उपकरण और अनुकूलित उपकरणों के लिये सब्सिडी।
- **E - Efficient Governance & Delivery (कुशल शासन और वितरण):**
  - डिजिटल ट्रैकिंग, शिकायत निवारण और घर-घर सेवाओं के साथ UDID प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।
  - दिव्यांगजनों के लिये राज्य आयुक्तों, जैसे संस्थागत तंत्रों को मज़बूत करना।

निष्कर्ष:

अंबेडकर के सामाजिक लोकतंत्र के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर भारत को दिव्यांगजनों के लिये सम्मान और सुलभ अवसर सुनिश्चित करने के लिये चैरिटी से आगे बढ़ना होगा। सर्वोच्च न्यायालय का ***वर्ष 2024 का निपुण मल्होत्रा निर्णय*** इस बात पर और बल देता है कि वास्तविक समावेशन के लिये विधिक प्रवर्तन तथा सांस्कृतिक परिवर्तन दोनों की आवश्यकता होती है।

प्रश्न : ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की समावेशिता भारत के समता अवसंरचना की सुदृढ़ता की परीक्षा लेती है। उनके समाज में पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु बाधाओं और आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेपों पर विवेचना कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:
- भारत के समता अवसंरचना में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शामिल करने की आवश्यकता का संक्षेप में परिचय दीजिये।
- समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक बाधाओं और नीतिगत हस्तक्षेपों पर विवेचना कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारत का संवैधानिक ढाँचा अनुच्छेद 14, 15 और 21 के अंतर्गत समता, गैर-भेदभाव और गरिमा को सुनिश्चित करता है। नालसा बनाम भारत संघ (2014) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 'थर्ड जेंडर' के रूप में मान्यता दी तथा उनकी आत्म-पहचान और सामाजिक समावेश के अधिकारों की पुष्टि की। फिर भी प्रगतिशील निर्णयों और कानूनों के बावजूद, समाज में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी कलंक, बहिष्कार तथा संस्थागत कमियों के कारण सीमित है।

मुख्य भाग:

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के समक्ष आने वाली प्रमुख बाधाएँ

- **सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव:**
  - परिवार द्वारा व्यापक अस्वीकृति, उत्पीड़न और कलंक।
  - हमसफर ट्रस्ट द्वारा किये गए एक अध्ययन में पाया गया कि मुंबई और दिल्ली में 29.8% ट्रांसजेंडर महिलाओं ने आत्महत्या का प्रयास किया, जो गहरे सामाजिक संकट को दर्शाता है।
- **शिक्षा में बाधाएँ:**
  - साक्षरता दर 56.1% है, जो राष्ट्रीय औसत 74% (2011 की जनगणना) से काफी कम है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- लैंगिक-संवेदनशील पाठ्यक्रम और सुरक्षित शिक्षण स्थलों का अभाव।
- लैंगिक-तटस्थ शौचालयों का अभाव है।

- **आर्थिक बहिष्कार और बेरोज़गारी:**
  - 92% लोग आर्थिक बहिष्कार का सामना कर रहे हैं (NHRC, 2018) और 48% बेरोज़गार हैं (ILO, 2022)।
  - हिंदू, मुस्लिम और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियमों के तहत उत्तराधिकार कानून ट्रांसजेंडर उत्तराधिकारियों को बाहर रखते हैं।
- **स्वास्थ्य सेवा चुनौतियाँ:**
  - 27% को चिकित्सा देखभाल से वंचित रखा गया (NALSA सर्वेक्षण)।
  - दिल्ली CR में 42.7% ट्रांस महिलाएँ मध्यम से गंभीर अवसाद से पीड़ित हैं और 48% दुश्चिंता/PTSD का सामना करती हैं।
- **राजनीतिक समावेशन की कमी:**
  - विधानसभाओं और निर्णय लेने वाली संस्थाओं से लगभग अनुपस्थित।
  - वर्ष 2019 के चुनावों में ट्रांसजेंडर मतदाताओं में से केवल 25% ने मतदान किया।
- **कानूनी और नौकरशाही बाधाएँ:**
  - ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत, वर्ष 2023 तक केवल 65% पहचान पत्र आवेदनों पर ही कार्रवाई की गई, जो प्राय: कानूनी समय सीमा से परे विलंबित हो जाते हैं।

आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेप

- वर्ष 2019 के अधिनियम को सरल स्व-पहचान प्रक्रिया और अधिकारियों के प्रशिक्षण के साथ लागू करना।
  - उदाहरण: पहचान मान्यता और निवारण के लिये दिल्ली के 2025 के नियम।
- SMILE योजना, RBI द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण और कॉर्पोरेट विविधता भर्ती (जैसे, टाटा स्टील) का विस्तार करना।
  - विश्व बैंक (2021): ट्रांसजेंडर कार्यबल समावेशन से सकल घरेलू उत्पाद में 1.7% की वृद्धि हो सकती है।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये AIIMS CoE, आयुष्मान भारत TG प्लस और टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार करना।
- समावेशी शिक्षा को लागू करने के लिये स्कूलों में लैंगिक-तटस्थ शौचालय, एंटी-बुलिंग नीतियाँ और परामर्श की व्यवस्था की जानी चाहिये।
- गरिमा गृह आश्रयों को SHG फ्रेमवर्क से जुड़े सशक्तीकरण केंद्रों में विस्तारित करना।
- नीतियों को सूचित करने के लिये नियमित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण सुनिश्चित करना, जैसा कि अमेरिकी BRFSS मॉडल में देखा गया है।
- बोर्न2विन ट्रस्ट जैसे ट्रांस-नेतृत्व वाले गैर-सरकारी संगठनों का समर्थन करना।

निष्कर्ष

जैसा कि बी.आर. अंबेडकर ने ज़ोर देकर कहा था, "राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता, जब तक कि उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र ना हो।" भारत के समता अवसंरचना की सच्ची दृढ़ता की परीक्षा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये सम्मान, अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने की उसकी क्षमता से होगी। सतत् विकास लक्ष्य 5 (लैंगिक समानता) और सतत् विकास लक्ष्य 10 (असमानताओं में कमी) के अनुरूप, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का सशक्तीकरण एक न्यायसंगत, समावेशी और धारणीय लोकतंत्र के निर्माण हेतु आवश्यक है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सामान्य अध्ययन पेपर-3

अर्थव्यवस्था

प्रश्न : 21वीं सदी में तकनीकी संप्रभुता राष्ट्रीय शक्ति की आधारशिला के रूप में उभर रही है। परीक्षण कीजिये कि भारत वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में बने रहते हुए अर्द्धचालक (Semiconductors), अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा महत्त्वपूर्ण खनिजों में किस प्रकार आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकता है। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- 21वीं सदी में तकनीकी संप्रभुता किस प्रकार राष्ट्रीय शक्ति की आधारशिला के रूप में उभर रही है? स्पष्ट कीजिये।
- वैश्विक संबंधों के साथ स्वायत्तता को संतुलित करने की अनिवार्यता पर गहराई से विचार कीजिये।
- आत्मनिर्भरता की दिशा में उनकी स्थिति और उठाए गए कदमों के साथ-साथ क्षेत्रीय दृष्टिकोणों पर भी प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय

21वीं सदी में, तकनीकी संप्रभुता रणनीतिक स्वायत्तता का पर्याय बन गई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को शक्ति प्रदान करने वाले अर्द्धचालकों से लेकर सुरक्षित संचार को सक्षम करने वाले उपग्रहों और हरित परिवर्तनों को गति देने वाले महत्त्वपूर्ण खनिजों तक, राष्ट्रीय शक्ति तेज़ी से तकनीकी नियंत्रण पर टिकी हुई है। भारत के लिये, वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (GVC) का लाभ उठाते हुए, इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करना आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

मुख्य भाग:

वैश्विक संबंधों के साथ स्वायत्तता को संतुलित करने की अनिवार्यता

- **आत्मनिर्भरता के माध्यम से रणनीतिक स्वायत्तता:** घरेलू क्षमताओं का निर्माण आपूर्ति शृंखला में व्यवधान, प्रतिबंधों और व्यापार के शस्त्रीकरण के जोखिम को कम करता है।
  - उदाहरण: चीन को उन्नत चिप निर्यात पर अमेरिकी प्रतिबंध बाहरी आपूर्तिकर्त्ताओं पर अत्यधिक निर्भरता की कमज़ोरियों को उजागर करता है।
- **वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के माध्यम से नवाचार और पैमाना:** जीवीसी में भागीदारी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों, निवेश और निर्यात बाज़ारों तक पहुँच प्रदान करती है, जो ज्ञान और प्रतिस्पर्द्धात्मकता के प्रसार को तेज़ करती है।
  - उदाहरण: भारत की आईटी सेवाएँ और फार्मास्यूटिकल्स अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति शृंखलाओं में गहराई से शामिल होकर वैश्विक अग्रणी बन गए।
- **सहक्रियात्मक दृष्टिकोण:** पृथक आत्मनिर्भरता के स्थान पर भारत को "चयनात्मक आत्मनिर्भरता" की आवश्यकता है - पूरक शक्तियों के लिये अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का लाभ उठाते हुए महत्त्वपूर्ण घरेलू क्षमताओं का विकास करना।
  - उदाहरण: एस सेमीकंडक्टर एटीएमपी संयंत्र (गुजरात में माइक्रोन) घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण के साथ विदेशी निवेश को जोड़ते हैं।

क्षेत्रीय मार्ग

- **अर्द्धचालक**
  - **वर्तमान स्थिति:** आयात पर निर्भरता, भारत ज़्यादातर चिप डिज़ाइन और असेंबली तक सीमित।
- **आत्मनिर्भरता के लिये कदम:**
  - चिप डिज़ाइन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना (चिप टू स्टार्टअप कार्यक्रम, क्षमता के प्रमाण के रूप में इसरो के स्वदेशी 32-बिट 'विक्रम' माइक्रोप्रोसेसर का लाभ उठाना)।
  - ATMP (असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग) सुविधाओं का विस्तार (गुजरात में माइक्रोन का 2.75 बिलियन डॉलर का प्लांट)।
  - भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ओडिशा में पहला वाणिज्यिक SiC फैब) के अंतर्गत परिपक्व नोड्स के लिये फैब को प्रोत्साहित करना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

    - स्वच्छ ऊर्जा, जल और प्रतिभा पाइपलाइनों के साथ अर्द्धचालक क्लस्टर बनाएँ।
- **GVC में बने रहना:** प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिये रणनीतिक संयुक्त उद्यम (टाटा-पावरचिप, माइक्रोन-गुजरात)।
    - निर्यातोन्मुख फैबलेस डिज़ाइन हाउसों को वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में एकीकृत करने के लिये प्रोत्साहित करना।
- **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी**
    - **वर्तमान स्थिति:** इसरो की सफलता (चंद्रयान-3, आदित्य-एल1) और निजी प्रवेश (स्काईरूट, अग्निकुल)।
        - भारत अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल है, लेकिन वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में इसका योगदान केवल ~2% है।
    - **आत्मनिर्भरता के लिये कदम:**
        - उन्नत गगनयान (2025) और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर निर्माण (2035)
        - स्वदेशी प्रक्षेपण प्रणालियाँ और उपग्रह उप प्रणालियाँ (क्रायोजेनिक इंजन, एवियोनिक्स) विकसित करना चाहिये।
        - नई अंतरिक्ष नीति (2023) के अनुसार विनिर्माण और लघु उपग्रह तारामंडल के लिये IN-SPACe, NSIL के माध्यम से निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना चाहिये।
        - मौसम पूर्वानुमान के लिये INSAT-3DS को मज़बूत करना, स्वतंत्र नेविगेशन और भू-स्थानिक खुफिया जानकारी के लिये NavIC समूह का विस्तार करना चाहिये।
    - **GVC में बने रहना:** निर्यात प्रक्षेपण सेवाएँ (भारत लागत लाभ प्रदान करता है), अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (नासा-इसरो निसार मिशन, आर्टेमिस समझौते)।
- **महत्त्वपूर्ण खनिज**
    - **वर्तमान स्थिति:** भारत में लिथियम (रियासी, जम्मू और कश्मीर, ~ 5.9 मीट्रिक टन), कोबाल्ट, दुर्लभ पृथ्वी, थोरियम के भंडार हैं, लेकिन अधिकांश महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिये आयात पर निर्भर है।
        - लिथियम और कोबाल्ट का 80% से अधिक आयात चीन से होता है, जिससे रणनीतिक कमज़ोरी उत्पन्न होती है।
- **आत्मनिर्भरता के लिये कदम:**
    - ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अफ्रीका के साथ KABIL JV के माध्यम से विदेशी परिसंपत्तियों को सुरक्षित करना चाहिये।
        - ओपन विंडो मंज़ूरी, अनुकूल अन्वेषण-सह-खनन लाइसेंस के साथ नीलामी को सुव्यवस्थित करना; निजी और एफडीआई भागीदारी को प्रोत्साहित करना (उदाहरण के लिये, वेदांता, ओला इलेक्ट्रिक बोलियाँ)।
        - कच्चे अयस्क निर्यात → घरेलू शोधन → मूल्यवर्द्धित विनिर्माण की ओर बढ़ने के लिये पीपीपी के साथ एकीकृत खनिज प्रसंस्करण पार्क स्थापित करना।
        - परियोजना की वैधता और गति के लिये आवश्यक, पारिस्थितिक एवं जनजातीय अधिकारों के साथ खनन को संतुलित करने के लिये मज़बूत ईएसजी ढाँचे को अपनाना।
    - **जीवीसी में बने रहना:** खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP) के साथ-साथ सुनिश्चित आपूर्ति के लिये ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चिली और अफ्रीका के साथ संबंधों को गहरा करना, जबकि जापान/EU के साथ प्रसंस्करण साझेदारी को आगे बढ़ाना।

निष्कर्ष

तकनीकी संप्रभुता की ओर भारत का मार्ग अलगाव में नहीं, बल्कि रणनीतिक एकीकरण में निहित है - वैश्विक नेटवर्क में अंतर्निहित रहते हुए अर्द्धचालकों, अंतरिक्ष और महत्त्वपूर्ण खनिजों में घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना। यह दोहरा दृष्टिकोण स्वायत्तता सुनिश्चित करेगा, निवेश आकर्षित करेगा और बहुध्रुवीय 21वीं सदी में भारत को एक तकनीकी शक्ति के रूप में स्थापित करेगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रश्न : विश्लेषण कीजिये कि डेटा भारत की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार 'उत्पादन का नया तत्त्व' बनकर उभरा है। इसके नियमन, स्वामित्व और गोपनीयता के संदर्भ में कौन-कौन सी चुनौतियाँ सामने आती हैं? (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- रिपोर्टों/सूचकांकों में आँकड़ों (Data) की भूमिका का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- उत्पादन के नए कारक के रूप में डेटा का विश्लेषण कीजिये।
- डेटा के नियमन, स्वामित्व और निजता के संदर्भ में चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।
- एक विश्वसनीय डेटा के निर्माण की विवेचना कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

पारंपरिक अर्थव्यवस्था भूमि, श्रम और पूंजी जैसे उत्पादन के कारकों पर आधारित थी। किंतु डिजिटल युग में 'डेटा' नये उत्पादन कारक के रूप में उभरा है, जिसकी तुलना आर्थिक महत्त्व में तेल से की जा रही है। उदाहरणस्वरूप, भारत का डेटा सेंटर बाज़ार वर्ष 2030 तक 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है।

मुख्य भाग:

'उत्पादन के नए कारक' के रूप में डेटा:

- **वित्तीय समावेशन और नए बाज़ारों को सक्षम बनाना:** डेटा जोखिम आकलन और नई सेवाओं की संभावनाएँ खोलता है, जिससे वे लोग भी औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनते हैं, जिनके पास पारंपरिक परिसंपत्तियाँ नहीं हैं तथा यह उन लोगों के लिये 'डिजिटल कैपिटल' के रूप में कार्य करता है।
  - एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) भारी मात्रा में लेन-देन संबंधी डेटा उत्पन्न करता है।
  - पेटीएम और बजाज फिनसर्व जैसी फिनटेक कंपनियाँ इस डेटा का विश्लेषण करके व्यक्तियों, यहाँ तक कि बिना औपचारिक क्रेडिट इतिहास वाले व्यक्तियों का भी विस्तृत वित्तीय विवरण तैयार करती हैं।
- **ई-कॉमर्स में अति-वैयक्तिकरण:** ऑनलाइन खुदरा विक्रेता ग्राहक डेटा के ब्राउज़िंग हिस्ट्री, पूर्व खरीद और सर्च क्वेरी से व्यक्तिगत खरीदारी का अनुभव प्रदान करते हैं, जिससे बिक्री और ग्राहक निष्ठा बढ़ती है।
  - फ्लिपकार्ट और मिंत्रा उपयोगकर्त्ता डेटा का विश्लेषण करने के लिये परिष्कृत AI एवं मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग करते हैं।
  - इससे उन्हें अपने अनुशंसा इंजन ("Customers also bought…") को सशक्त बनाने, उपयोगकर्त्ता के होमपेज को प्रासंगिक उत्पादों के साथ अनुकूलित करने और लक्षित प्रचार ऑफर भेजने में सहायता मिलती है।
- **सार्वजनिक नीति और शासन को सूचित करना:** सरकारें अब अधिक प्रभावी नीतियाँ बनाने, कुशलतापूर्वक सेवाएँ प्रदान करने तथा सार्वजनिक धन के उपयोग को अनुकूलित करने के लिये बड़े पैमाने पर डेटा का उपयोग कर सकती हैं।
  - वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) व्यावसायिक लेन-देन डेटा विश्व के सबसे बड़े भंडारों में से एक है।
  - भारत सरकार इस डेटा से आर्थिक प्रवृत्तियों का रियल-टाइम आकलन करती है, राजस्व पूर्वानुमान अधिक सटीक बनाती है और कर अपवंचन पर नज़र रखती है।
- **प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना:** कई आधुनिक डिजिटल व्यवसायों के लिये, डेटा केवल एक सहायक संपत्ति नहीं है, बल्कि यह एक मुख्य संपत्ति है।
  - ये प्लेटफॉर्म विभिन्न उपयोगकर्त्ता समूहों को जोड़कर और उनके इंटरैक्शन से उत्पन्न डेटा का लाभ उठाकर मूल्य सृजन करते हैं।
  - डेल्हीवरी जैसी लॉजिस्टिक्स कंपनियाँ और ज़ोमैटो व स्विगी जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म का पूरा बिज़नेस मॉडल डेटा पर आधारित है।

विनियमन, स्वामित्व और निजता से जुड़ी चुनौतियाँ

- **नियामक ओवरलैप और अनुपालन संबंधी मुद्दे:** IT अधिनियम, RBI मानदंडों और नए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (2023) में नियामक ओवरलैप अनुपालन को जटिल बनाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **डेटा स्वामित्व पर अस्पष्टता:** डेटा का स्वामित्व व्यक्ति, प्लेटफॉर्म या राज्य किसके पास हो? इस असमंजस से विदेशी कंपनियों द्वारा 'डेटा उपनिवेशीकरण' का खतरा बढ़ता है।
- **निजता संबंधी चिंताएँ:** निजता संबंधी चिंताएँ बनी रहती हैं, जैसे: Consent Fatigue – यह वह थकान और उदासीनता है जो उपयोगकर्त्ता को बार-बार डेटा संग्रह एवं प्रयोग के लिये सहमति देने की प्रक्रिया से गुजरते हुए अनुभव करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे बिना पूरी तरह समझे ही सहमति प्रदान कर देते हैं।
  - प्रोफाइलिंग और राज्य निगरानी: इसके अलावा, बड़ी तकनीकी कंपनियों के बीच डेटा के संकेंद्रण से डिजिटल डिवाइड में वृद्धि का खतरा है।
  - कई अध्ययनों के अनुसार, AI एल्गोरिदम व्यसनकारी व्यवहार और ADHD जैसी मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का कारण बनते हैं।

एक विश्वसनीय डेटा अर्थव्यवस्था का निर्माण:

- **नियमन को सुदृढ़ करना:** बिग टेक कंपनियों के प्रभुत्व पर नियंत्रण हेतु सख्त प्रतिस्पर्द्धा कानून लागू किये जाने चाहिये।
  - राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील डेटा का स्थानीयकरण किया जाना चाहिये।
- **नागरिक-केंद्रित डेटा स्वामित्व:** व्यक्तियों को व्यक्तिगत डेटा के वास्तविक स्वामी के रूप में मान्यता की आवश्यकता है, साथ ही प्लेटफॉर्म को केवल प्रत्ययी के रूप में भूमिका निभानी चाहिये।
  - सहमति-आधारित, पोर्टेबल और सुरक्षित डेटा साझाकरण को सक्षम करने के लिये अकाउंट एग्रीगेटर जैसे ढाँचों का विस्तार किया जाना चाहिये।
- **मज़बूत गोपनीयता और नियामक सुरक्षा उपाय:** एक स्वतंत्र नियामक के साथ डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 का कड़ाई से प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
  - उच्चतम न्यायालय के पुट्टस्वामी (2017) निर्णय के अनुसार निजता गरिमा और स्वतंत्रता का मूल है, इसलिये इसे संरक्षित करना अनिवार्य है।

निष्कर्ष:

विश्व बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट- 2021: डेटा फॉर बेटर लाइव्स में कहा गया है कि डेटा केवल गतिविधियों का उप-उत्पाद नहीं है, बल्कि पूंजी का नया रूप है। भारत के सामने चुनौती यह है कि इस पूंजी को सार्वजनिक हित में बदला जाए, साथ ही गरिमा की रक्षा हो, समानता बनी रहे और संप्रभुता सुरक्षित रहे। तभी डेटा क्रांति (डेटा को नई ज़मीन या आधार मानते हुए) वास्तव में समावेशी और सतत् विकास की नींव बन सकती है।

प्रश्न : मानव विकास सूचकांक (HDI) क्षमता को दर्शाता है, जबकि असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक (IHDI) प्रदर्शन को प्रकट करता है। भारत के संदर्भ में विवेचना कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- HDI और IHDI के संबंध में संक्षिप्त परिचय देते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- संभावना के संकेतक के रूप में HDI का गहन अध्ययन कीजिये।
- वास्तविक प्रदर्शन के प्रतिबिंब के रूप में IHDI पर प्रकाश डालिये।
- समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ने के उपाय सुझाइये।
- उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा प्रस्तुत मानव विकास सूचकांक (HDI) किसी देश की स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन-स्तर के संदर्भ में संभावनाओं को मापता है। परंतु जब इसे असमानता के लिये समायोजित किया जाता है तो असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक (IHDI) वास्तव में लोगों द्वारा अनुभव किये गए वास्तविक प्रदर्शन को दर्शाता है।

मुख्य भाग:

HDI: क्षमता का संकेतक

- **रैंक और मूल्य में सुधार:** भारत की HDI रैंक 133 (2022) से बढ़कर 130 (2023) हो गई है, जबकि मूल्य 0.676 से

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

बढ़कर 0.685 हो गया है, जो "उच्च मानव विकास (High Human Development)" श्रेणी की ओर बढ़ने का संकेत है।

- **दीर्घकालिक प्रगति:** 1990 से भारत का HDI मूल्य 53% से अधिक बढ़ा है, जो वैश्विक और दक्षिण एशियाई औसत से तेज़ है, यह समावेशी विकास की क्षमता को इंगित करता है।
- **नीतिगत सफलता:** ***आयुष्मान भारत, पीएम पोषण, समग्र शिक्षा अभियान*** और ***स्किल इंडिया*** जैसी योजनाओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के परिणामों में सुधार किया है।

IHDI: वास्तविक प्रदर्शन का प्रतिबिंब

- **उच्च असमानता हानि:** असमानता के कारण भारत को HDI में 30.7% की हानि होती है, जो क्षमता और वास्तविक अनुभव के बीच के अंतर को रेखांकित करता है।
- **आय असमानता:** सबसे गरीब 40% के पास राष्ट्रीय आय का केवल 20.2% है, जबकि सबसे अमीर 10% के पास 25.5% है, जो असंतुलित वितरण को दर्शाता है।
- **लैंगिक असमानता:** महिला श्रम भागीदारी, वेतन असमानता और शैक्षिक अवसरों में कमी से मानव विकास के प्रभावी लाभ घट जाते हैं।
- **क्षेत्रीय असंतुलन:** दक्षिणी और पश्चिमी राज्य अक्सर उत्तरी और पूर्वी राज्यों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जिससे विकास का असमान परिदृश्य बनता है।

समावेशी मानव विकास की ओर

- **समावेशी विकास नीतियाँ:** लक्षित सब्सिडी और प्रगतिशील कराधान जैसी पुनर्वितरणीय नीतियों को सुदृढ़ करना।
- **शिक्षा एवं कौशल पर ध्यान:** गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अवसर असमानता को कम करना।
- **लैंगिक मुख्यधारा में लाना:** महिलाओं की कार्यबल भागीदारी बढ़ाने हेतु बाल देखभाल, अनुकूलनशील रोज़गार और सुरक्षा उपायों को प्रोत्साहित करना।
- **क्षेत्रीय संतुलन:** पिछड़े राज्यों को केंद्रीय निधियों और अवसंरचनात्मक निवेश में प्राथमिकता देना।
- **डेटा-आधारित शासन:** असमानता की निगरानी और नीतियों को परिष्कृत करने हेतु वास्तविक समय के पृथक् आँकड़ों का उपयोग।

निष्कर्ष:

भारत का बढ़ता मानव विकास सूचकांक (HDI) इसके मानव पूंजी की क्षमता को दर्शाता है, जबकि असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक (IHDI) में हानि यह बताती है कि असमानता के कारण वास्तविक प्रदर्शन पिछड़ रहा है। इस अंतर को पाटने के लिये समावेशी विकास, समान अवसर और लक्षित सामाजिक नीतियों की सतत् आवश्यकता है, ताकि मानव विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँच सकें।

प्रश्न : "भारत को कृषि उपज को खेतों से उपभोक्ताओं तक पहुँचाने में असमर्थताओं के कारण महत्त्वपूर्ण खाद्य अपव्यय का सामना करना पड़ता है। भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने में 'फार्म-टू-फोर्क' आपूर्ति श्रृंखला की भूमिका की समीक्षा कीजिये।" (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत में खाद्य अपव्यय के मुद्दों का संक्षेप में परिचय दीजिये।
- भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और फसल कटाई के बाद होने वाले अपव्यय को कम करने में खेत से भोजन तक आपूर्ति श्रृंखला की भूमिका का परीक्षण कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारत विरोधाभासी रूप से खाद्य अधिशेष और खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अनुमान है कि वार्षिक उपज के बाद के नुकसान ₹92,000 करोड़ हैं, जिसमें लगभग 40% फल और सब्ज़ियाँ आपूर्ति श्रृंखला की अक्षमताओं के कारण नष्ट हो जाती हैं। इस संदर्भ में *फार्म-टू-फोर्क आपूर्ति श्रृंखला,* जो उत्पादन से उपभोग तक निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती है, खाद्य अपव्यय को संबोधित करने और खाद्य सुरक्षा को प्रबल करने हेतु महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मुख्य भाग:

भारत में खाद्य अपव्यय के कारण

- **कोल्ड चेन की कमी:**
  - भारत में 10% से भी कम नाशवान उपज को तापमान-नियंत्रित भंडारण या परिवहन से लाभ मिलता है, यह एक महत्त्वपूर्ण अंतर है, जिसके कारण उपज काफी मात्रा में नष्ट हो जाती है।
  - विशेषकर फल, सब्जियाँ, डेयरी और मछली को प्रभावित करने वाला कमज़ोर कोल्ड चेन उत्पादन से बाज़ार तक तेज़ी से खराब होने का कारण बनता है।
- **परिवहन में बाधाएँ:**
  - FAO और NABCONS के अध्ययन के अनुसार प्रमुख फसलों में फसल कटाई के बाद वार्षिक नुकसान:
    - फल: 15% तक (अमरूद सबसे अधिक प्रभावित), सामान्य सीमा 6–15%
    - दालें: 6.74% तक
    - अनाज: 5.92% तक
  - अपर्याप्त रेफ्रिजरेटेड परिवहन और लंबी दूरी की देरी से अत्यधिक नाशवान वस्तुएँ परिवहन के दौरान खराब हो जाती हैं।
- **खंडित आपूर्ति शृंखलाएँ:**
  - कई मध्यस्थों और आपूर्ति शृंखला के कमज़ोर एकीकरण के कारण मूल्य वृद्धि, अक्षमता और अपव्यय होता है, भारत में घरेलू और खुदरा स्तर पर खाद्य अपव्यय का अनुमान लगभग 7.8 करोड़ टन प्रति वर्ष है।
  - नाशवान वस्तुएँ आपूर्ति और वितरण की बिखरी हुई एवं विलंबित प्रक्रियाओं में गुणवत्ता और मूल्य दोनों खो देती हैं।
- **कीमतों में अस्थिरता और संकटकालीन बिक्री:**
  - नाशवान वस्तुएँ, विशेष रूप से टमाटर और प्याज, मौसमी मूल्य उतार-चढ़ाव और आपूर्ति अधिकता से प्रभावित होती हैं।
  - कोल्ड स्टोरेज या किफायती भंडारण सुविधाओं के अभाव में किसानों को अक्सर विवशता में अपनी उपज कम कीमत पर बेचनी पड़ती है।
- बाज़ार की अस्थिरता के कारण किसान खुदरा बाज़ार मूल्य से कहीं कम कमाई कर पाते हैं, जिससे बेहतर फसल-उपरांत प्रबंधन में निवेश करने की उनकी रुचि घट जाती है तथा नुकसान और बढ़ जाता है।

अपव्यय को कम करने में फार्म-टू-फोर्क आपूर्ति शृंखला की भूमिका

- कुशल लॉजिस्टिक्स/रसद और कोल्ड चेन – रेफ्रिजरेटेड वैन, वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज में निवेश से अपव्यय कम होता है। उदाहरण: *अमूल का डेयरी कोऑपरेटिव नेटवर्क।*
- प्रत्यक्ष किसान–उपभोक्ता संपर्क – *किसान उत्पादक संगठन (FPO) और ई-नाम (e-NAM)* बेहतर कीमत सुनिश्चित करते हैं और मध्यस्थों की भूमिका को कम करते हैं।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म – *निंजाकार्ट* जैसे एग्री-टेक स्टार्टअप किसान और खुदरा विक्रेताओं को AI-आधारित लॉजिस्टिक्स से जोड़ते हैं, जिससे परिवहन के दौरान होने वाला अपव्यय घटता है।
- खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्द्धन– *प्रधानमंत्री किसान SAMPADA योजना* और मेगा फूड पार्क कृषि-प्रसंस्करण को बढ़ावा देते हैं, जिससे शेल्फ लाइफ बढ़ती है।
- नीतिगत पहलें – APMC अधिनियमों में सुधार, ऑपरेशन ग्रीन्स ("TOP to Total") जैसी योजनाएँ नाशवान फसलों की कीमत स्थिर करती हैं।
- **खाद्य सुरक्षा में योगदान :**
  - उत्पादन बढ़ाए बिना अपव्यय कम करके खाद्य उपलब्धता में वृद्धि।
  - नाशवान खाद्य पदार्थों की बेहतर गुणवत्ता से पोषण सुरक्षा।
  - प्रत्यक्ष बाज़ार पहुँच से किसानों की आय में वृद्धि, गरीबी-जनित खाद्य असुरक्षा में कमी।
  - SDG 2 (शून्य भूख/ज़ीरो हंगर) और SDG 12 (उत्तरदायी खपत) के साथ सामंजस्य।

आगे की चुनौतियाँ

- कोल्ड चेन अवसंरचना की ऊँची पूंजी लागत।
- छोटे जोत वाले खेत, जो किसानों की मोलभाव की क्षमता को सीमित करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- APMC विनियमों और प्रत्यक्ष विपणन मॉडलों के बीच नीतिगत विरोधाभास।
- डिजिटल डिवाइड, जो किसानों की ई-प्लेटफार्म तक पहुँच को सीमित करती है।

निष्कर्ष :

एक प्रबल *फार्म-टू-फोर्क आपूर्ति श्रृंखला* भारत के प्रचुरता के बीच भूख के विरोधाभास को पाटने हेतु अनिवार्य है। किसान उत्पादक संगठन (FPO) को सशक्त करना, कृषि अवसंरचना निधि/एग्री इंफ्रा फंड (₹1 लाख करोड़) के तहत कोल्ड चेन अवसंरचना का विस्तार करना और जापान के जस्ट-इन-टाइम डिलीवरी मॉडल या इज़रायल की कृषि-लॉजिस्टिक्स नवाचारों जैसे वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना महत्त्वपूर्ण है। जैसा कि नॉर्मन बोरलॉग ने सही कहा, ***"You can't build a peaceful world on empty stomachs अर्थात् खाली पेट दुनिया नहीं जीती जाती।"*** अत: भारत को आपूर्ति श्रृंखला सुधारों का लाभ प्राप्त कर किसानों की आजीविका और नागरिकों के पोषण दोनों को सुरक्षित करना होगा।

जैवविविधता एवं पर्यावरण

प्रश्न : कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS) को प्राय: 'ब्रिज टेक्नोलॉजी' कहा जाता है, जो शून्य-उत्सर्जन की वैश्विक संक्रमण प्रक्रिया में सहायक है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसकी क्षमता और चुनौतियों की परीक्षा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- CCUS प्रौद्योगिकी के संबंध में संक्षिप्त परिचय देते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- CCUS का एक 'ब्रिज टेक्नोलॉजी' के रूप में गहन अध्ययन कीजिये।
- CCUS की क्षमता और भारत के लिये इससे जुड़ी चुनौतियों पर प्रकाश डालिये।
- CCUS तकनीक के प्रभावी उपयोग की दिशा में आगे बढ़ने के उपाय सुझाइये।
- उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS) उन प्रौद्योगिकियों का समूह है जो बड़े उत्सर्जन स्रोतों या सीधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित एवं पृथक् करने का कार्य करती हैं और इसके पश्चात् उसे या तो दीर्घकालिक रूप से भूमिगत भंडारित (CCS) किया जाता है या मूल्यवर्द्धित उत्पादों (CCU) में परिवर्तित एवं पुन: उपयोग किया जाता है।

- जब विश्व नेट ज़ीरो की दिशा में अग्रसर है और भारत ने भी 2070 तक शून्य-उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है तो CCUS को विविधीकृत डिकार्बोनाइज़ेशन रणनीति (decarbonisation strategy) का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है, विशेषकर उन क्षेत्रों के लिये जहाँ उत्सर्जन समाप्त करना कठिन है।

मुख्य भाग:

CCUS एक 'ब्रिज टेक्नोलॉजी' के रूप में

भूमिका	विवरण
समय-सेतु (Time-Bridge)	यह जीवाश्म ईंधनों के क्रमिक चरणबद्ध घटाव (Phase-down) का मार्ग प्रदान करता है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य स्वच्छ प्रौद्योगिकियाँ (जैसे हरित हाइड्रोजन) पर्याप्त रूप से विकसित होकर ग्रिड को स्थिर कर सकें।
क्षेत्र-सेतु (Sector-Bridge)	यह "हार्ड-टू-अबैट क्षेत्रों" (जैसे सीमेंट, इस्पात, उर्वरक) के लिये एकमात्र व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य समाधान है, जिनका उत्सर्जन रासायनिक प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है और केवल नवीकरणीय विद्युत से प्रतिस्थापित करके समाप्त नहीं किया जा सकता।

CCUS की क्षमता:

- **हार्ड-टू-अबैट क्षेत्रों का डिकार्बोनाइज़ेशन:** सीमेंट, इस्पात, रिफाइनरी, रसायन, उर्वरक और कुछ विशिष्ट प्रक्रिया उद्योग ऐसे उद्योग हैं, जो सांद्रित CO_2 धाराओं का उत्सर्जन करते हैं, जिन्हें केवल विद्युतीकरण के माध्यम से समाप्त करना कठिन है।
  - भारत स्टील और सीमेंट का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। CCUS इन क्षेत्रों में गहन कटौती (गहन उत्सर्जन

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

कमी) संभव बनाता है, जबकि वैकल्पिक प्रक्रियाएँ विकसित हो रही होती हैं।

- **विद्युत क्षेत्र में अनुकूलन क्षमता और ऊर्जा संक्रमण:** कोयला भारत के ऊर्जा मिश्रण में प्रमुख है और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
  - जहाँ ग्रिड स्थिरता या संक्रमणकालीन क्षमता के लिये निर्बाध जीवाश्म ऊर्जा उत्पादन जारी रहता है, वहाँ थर्मल प्लांट या ताप विद्युत संयंत्रों पर CCUS उत्सर्जन को निम्न कर सकता है और नवीकरणीय ऊर्जा, भंडारण तथा ग्रिड उन्नयन के विस्तार होने तक कीमती समय प्रदान कर सकता है।
- **कार्बन-रहित ईंधन और रसायनों को संभव बनाना:** संग्रहित/कैप्चर्ड CO_2 का उपयोग (निम्न-कार्बन वाले हाइड्रोजन के साथ) सिंथेटिक ईंधन, मेथनॉल, यूरिया या पॉलिमर के उत्पादन के लिये किया जा सकता है, जिससे परिवहन और रसायन उद्योग का डिकार्बोनाइज़ (कार्बनमुक्तीकरण) करने में सहायता मिलती है, जहाँ प्रत्यक्ष विद्युतीकरण मुश्किल है।
- **नकारात्मक उत्सर्जन मार्ग:** जब इसे बायोएनर्जी (BECCS) या नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित डायरेक्ट एयर कैप्चर (DAC) के साथ जोड़ा जाता है तो CCUS शुद्ध नकारात्मक उत्सर्जन (नेट नेगेटिव एमिशन) प्रदान कर सकता है, जो अवशिष्ट उत्सर्जन के संतुलन और दीर्घकालिक कार्बन बजट को पूरा करने के लिये उपयोगी है।
- **औद्योगिक क्लस्टर और रोज़गार सृजन:** क्लस्टर किये गए CCUS हब (अवक्षेपण स्थल/कैप्चर साइट्स + साझा परिवहन/भंडारण) भारत में स्किल्ड ग्रीन जॉब्स/रोज़गार सृजित कर सकते हैं, अवक्षेपण/कैप्चर उपकरणों के विनिर्माण को प्रोत्साहित कर सकते हैं और एक घरेलू आपूर्ति शृंखला का समर्थन कर सकते हैं।

भारत के लिये प्रमुख चुनौतियाँ एवं सीमाएँ:

- **उच्च लागत और ऊर्जा हानि:** अवक्षेपण/कैप्चर प्रौद्योगिकियाँ पूंजी-गहन हैं और परिचालन लागत बढ़ाती हैं, साथ ही वे एक ऊर्जा हानि भी लगाती हैं (शुद्ध संयंत्र दक्षता कम हो जाती है)। प्रबल कार्बन मूल्य निर्धारण या सब्सिडी के बिना, इसकी आर्थिक व्यवहार्यता कमज़ोर है।
- **आधारभूत ढाँचे की आवश्यकता:** CCUS के लिये CO_2 के परिवहन (पाइपलाइनों) और सुरक्षित भंडारण स्थलों के नेटवर्क की आवश्यकता होती है। एक सुरक्षित एवं एकीकृत परिवहन और भंडारण नेटवर्क का निर्माण उच्च प्रारंभिक लागत और लंबे क्रियान्वयन समय की मांग करता है।
- **भूवैज्ञानिक भंडारण आकलन और दायित्व:** भारत को उपयुक्त जलाशयों (रिज़र्वॉयर) की पहचान करने के लिये व्यापक, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध भूवैज्ञानिक मूल्यांकन (Geological Appraisals) की आवश्यकता है, साथ ही संग्रहीत CO_2 की दीर्घकालिक ज़िम्मेदारी, स्वामित्व और निगरानी पर स्पष्ट कानूनों की भी आवश्यकता है।
- **अवसर लागत और प्रौद्योगिकी विकल्प:** सावधानीपूर्वक प्राथमिकता न दिये जाने पर, CCUS में निवेश दुर्लभ सार्वजनिक और निजी पूंजी को नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड भंडारण और ऊर्जा दक्षता जैसे किफायती विकल्पों से हटा सकता है।
- **सीमित घरेलू उद्योग और अनुसंधान एवं विकास (R&D):** बड़े पैमाने की अवक्षेपण प्रणालियों, कंप्रेसरों और CO_2-सहनशील सामग्रियों की स्वदेशी क्षमता अभी प्रारंभिक अवस्था में है, जिसके लिये अनुसंधान एवं विकास और विनिर्माण के पैमाने में विस्तार की आवश्यकता है।

CCUS प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग की दिशा में कदम:

- **एक स्पष्ट राष्ट्रीय CCUS रणनीति तैयार करना:** बिंदु स्रोतों, संभावित भंडारण स्थलों का मानचित्रण करना और प्रारंभिक हब्स के लिये प्राथमिकता वाले औद्योगिक क्लस्टरों की पहचान करना। समयसीमाओं एवं ज़िम्मेदारियों के साथ एक रोडमैप प्रकाशित करें।
- **विश्वसनीय कार्बन मूल्य निर्धारण/ राजकोषीय प्रोत्साहन लागू करना:** बाज़ार की विफलताओं को ठीक करने के लिये कार्बन मूल्य निर्धारण, कर छूट, पूंजीगत सब्सिडी, व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वायेबिलिटी गैप फंडिंग) और निम्न-कार्बन वाले उत्पादों के लिये उत्पादन प्रोत्साहनों को संयोजित करना।
- **CCUS हब्स एवं साझा अवसंरचना विकसित करना:** सार्वजनिक-निजी साझेदारी में क्षेत्रीय केंद्रों/regional hubs को

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रोत्साहित किया जाए, जहाँ विभिन्न उद्योग लागत और जोखिम कम करने के लिये अवक्षेपण/कैप्चर, परिवहन और भंडारण सुविधाओं का सामूहिक उपयोग कर सकें।

- **विनियामक और कानूनी ढाँचा:** साइट परमिटिंग, CO_2 संपदा अधिकार, दीर्घकालिक दायित्व तथा निगरानी और सत्यापन मानकों के लिये कानून बनाएँ। दायित्व हस्तांतरण की समयसीमा और एक संरक्षक व्यवस्था को परिभाषित करें।
- **अनुसंधान एवं विकास (R&D) और घरेलू विनिर्माण में निवेश:** कम लागत वाले अवक्षेपण विलायकों, ठोस अवशोषकों, झिल्ली प्रौद्योगिकियों, डायरेक्ट एयर कैप्चर (DAC) तथा कंप्रेसरों और पाइपलाइन निर्माण के पैमाने में विस्तार हेतु अनुसंधान को सहायता प्रदान करना।
- **हाइड्रोजन और औद्योगिक डिकार्बोनाइज़ेशन के साथ एकीकरण:** CCUS नीति को ग्रीन/ब्लू हाइड्रोजन रणनीतियों और औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन योजनाओं के साथ संरेखित करना चाहिये, ताकि समन्वित लाभ उत्पन्न हो सकें (उदाहरण के लिये, संक्रमणात्मक विकल्प के रूप में ब्लू हाइड्रोजन के साथ CCS)।

निष्कर्ष:

CCUS कोई चमत्कारिक समाधान नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक पुल है, विशेषकर भारत के उन उद्योगों के लिये जिनके उत्सर्जन में कमी लाना कठिन (हार्ड-टू-अबैट) है और जहाँ आवश्यक हो वहाँ नकारात्मक उत्सर्जन प्रदान करने के लिये। इसकी संभावना विशाल है, परंतु यह सशर्त है: सफलता पैमाने के माध्यम द्वारा लागत कम करने, सक्षम करने वाली नीतिगत और राजकोषीय रूपरेखाएँ बनाने, अवसंरचना और घरेलू क्षमता विकसित करने तथा पारदर्शी विनियमन और सामुदायिक सहमति सुनिश्चित करने पर निर्भर करती है।

आंतरिक सुरक्षा

प्रश्न : भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सशस्त्र विद्रोह को बढ़ावा देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिये और पिछले दशक में सरकार द्वारा की गई हस्तक्षेप एवं शांति समझौतों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में विद्रोह के मुद्दे का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में विद्रोह को बढ़ावा देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिये।
- पिछले दशक में सरकारी हस्तक्षेपों और शांति समझौतों की प्रभावशीलता का आकलन कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसमें आठ राज्य शामिल हैं और जिसकी चीन, म्याँमार, बांग्लादेश और भूटान के साथ 5,400 किलोमीटर से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ साझा करता है, ऐतिहासिक रूप से विद्रोह का केंद्र रहा है। जातीय विविधता, राजनीतिक अलगाव और सामाजिक-आर्थिक उपेक्षा ने अशांति को बढ़ावा दिया है। हालाँकि गृह मंत्रालय ने 2014 और 2023 के बीच विद्रोह की घटनाओं में 80% की गिरावट दर्ज की है, लेकिन इसके मूल कारण अभी भी अनसुलझे हैं, जिससे यह मुद्दा आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय एकीकरण के लिये एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है।

मुख्य भाग:

विद्रोह में योगदान देने वाले कारक:

- **ऐतिहासिक-राजनीतिक अलगाव:**
  - औपनिवेशिक काल की "बहिष्कृत क्षेत्र" नीति ने मुख्यधारा की शासन व्यवस्था के प्रति अविश्वास उत्पन्न किया।
  - स्वतंत्रता के पश्चात्, राजनीतिक एकीकरण में देरी और मनमाने राज्यीय सीमांकन ने अलगाववादी आकांक्षाओं को बढ़ावा दिया (जैसे- नगा स्वतंत्रता की मांग, असम की संप्रभुता हेतु ULFA का आंदोलन)।
- **जातीय पहचान और जनसांख्यिकीय चिंताएँ:**
  - 200 से अधिक जातीय समूह अपनी विशिष्ट भाषाओं और परंपराओं के साथ मौजूद हैं।
  - प्रवासन, विशेषकर बांग्लादेश से असम और त्रिपुरा में आने वाले प्रवासियों के कारण जनसांख्यिकीय संतुलन बिगड़ने का भय, असम आंदोलन (1979–85) और वर्तमान NRC-CAA विरोध प्रदर्शनों जैसे आंदोलनों को प्रेरित करता रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **सामाजिक-आर्थिक बहिष्करण:**
  - रणनीतिक महत्त्व रखने के बावजूद उत्तर-पूर्व भारत का देश की GDP में योगदान मात्र लगभग 3% है।
  - युवाओं में उच्च स्तर की बेरोज़गारी व्याप्त है।
  - **संसाधन शोषण की धारणाएँ:** असम में कच्चे तेल और अरुणाचल में जलविद्युत परियोजनाएँ, जिनसे स्थानीय लाभ सीमित हैं।
- **भौगोलिक और बाह्य कारक:**
  - छिद्रपूर्ण सीमाएँ (Porous Borders) हथियारों, मादक पदार्थों और विद्रोहियों की आवाजाही को सुगम बनाती हैं।
  - म्याँमार का सागाइंग क्षेत्र लंबे समय से नगा और मणिपुरी विद्रोहियों के लिये एक सुरक्षित आश्रय स्थल रहा है।
  - 1960-70 के दशक में नगा समूहों को चीन के कथित समर्थन की स्मृति आज भी धारणाओं को प्रभावित करती है।
- **शासन की कमी और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:**
  - AFSPA (1958) के अत्यधिक उपयोग ने अविश्वास को जन्म दिया; मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगातार बने हुए हैं।
  - कमज़ोर संस्थाएँ और भ्रष्टाचार, शिकायत निवारण तंत्र को बाधित करते हैं।
  - अंतर-जातीय तनाव, जैसे वर्ष 2023 का मणिपुर संघर्ष, शासन तंत्र की संवेदनशीलता को उजागर करते हैं।

सरकारी हस्तक्षेप और शांति समझौते (2014-2024)

- **शांति समझौते:**
  - ***बोडो समझौता (2020):*** बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (BTR) का गठन, अधिक स्वायत्तता और विकास निधि का प्रावधान।
  - ***नगा फ्रेमवर्क समझौता (2015):*** नगा की विशिष्ट पहचान को मान्यता; ध्वज और संविधान पर वार्ता अब भी अनसुलझी।
  - ***कार्बी आंगलोंग समझौता (2021):*** 1,000 से अधिक कैडरों ने हथियार डाले, स्वायत्तता बढ़ाने के प्रावधान किये गए।
- **सुरक्षा उपाय:**
  - असम, नगालैंड और मणिपुर के बड़े हिस्सों से AFSPA को वापस लिया गया (2022–23)।
  - विद्रोह रोधी अभियानों को तेज़ किया गया, सीमा पर बाड़ लगाई गई और म्याँमार व बांग्लादेश के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया गया।
- **विकास और संपर्क सुधार:**
  - एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने उत्तर-पूर्व को आसियान बाज़ारों से जोड़ा।
  - उत्तर-पूर्व विशेष बुनियादी ढाँचा विकास योजना (NESIDS) और PM-DevINE ने सड़कों, स्वास्थ्य सेवाओं और नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया।
  - बोगीबील ब्रिज, धोला-सदिया ब्रिज और कालादान मल्टी-मॉडल परियोजना ने क्षेत्र की संपर्क सुविधा में सुधार किया।
- **संस्थागत तंत्र:**
  - उत्तरी-पूर्वी परिषद (NEC) को सशक्त बनाया गया।
  - वित्त आयोगों और उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) के आवंटनों के माध्यम से अधिक वितरण बढ़ाया गया।

प्रभावशीलता:

- **उपलब्धियाँ:**
  - 2014-2023 के बीच उग्रवाद की घटनाएँ 80% तक कम हुईं और नागरिक हत्याएँ 90% घट गईं।
  - पिछले दशक में 9,000 से अधिक हथियारबंद विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया।
  - कई क्षेत्रों से AFSPA हटाए जाने से विश्वास बढ़ा।
- **सीमाएँ:**
  - नगा मुद्दा अभी भी अनसुलझा; मुख्य मांगों पर शांति वार्ता स्थगित।
  - मणिपुर में जातीय हिंसा (2023) ने गहरे निहित पहचान संघर्षों को उजागर किया।
  - सुरक्षा पर अधिक ज़ोर; विकास अक्सर असमान या विलंबित रहा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- सीमा प्रबंधन अप्रभावी बना हुआ है; गोल्डन ट्रायंगल में मादक पदार्थों का व्यापार बढ़ रहा है।

निष्कर्ष:

जहाँ समझौते और विकासात्मक प्रयासों ने कुछ परिणाम दिखाए हैं, वहाँ सतत् शांति के लिये पहचान, शासन और आजीविका से संबंधी मुद्दों को संबोधित करना आवश्यक है। उत्तरी-पूर्व में स्थायी शांति के लिये बहुआयामी दृष्टिकोण, राजनीतिक संवाद, आर्थिक सशक्तीकरण, सांस्कृतिक मान्यता और दृढ़ सुरक्षा सहयोग ही एकमात्र व्यवहार्य मार्ग है।

आपदा-प्रबंधन

प्रश्न : क्या तटबंध और बाँध (Embankments) जैसे संरचनात्मक उपाय बाढ़ की दीर्घकालिक समस्या का समाधान प्रदान करते हैं, अथवा वे नई सुभेद्यताएँ उत्पन्न कर देते हैं? समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत में बाढ़ की संवेदनशीलता के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हुए उत्तर लिखिये।
- संरचनात्मक हस्तक्षेपों से प्राप्त लाभों और उभरती कमज़ोरियों एवं चुनौतियों का गहन विश्लेषण कीजिये।
- सतत् बाढ़ प्रबंधन की दिशा में आगे की राह के लिये कौन-से उपाय अपनाए जा सकते हैं, प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय

बाढ़ भारत की सबसे आवर्ती और विनाशकारी आपदाओं में से एक है, जिसका हालिया उदाहरण पंजाब में आई बाढ़ है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के अनुसार, देश में 40 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र बाढ़ संभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

- तटबंधों और बाँधों जैसे संरचनात्मक उपाय लंबे समय से भारत की बाढ़ प्रबंधन रणनीति का मुख्य आधार रहे हैं। यद्यपि ये त्वरित राहत और कुछ सहायक लाभ प्रदान करते हैं, परंतु इनकी दीर्घकालिक स्थायित्व एवं प्रभावशीलता पर गंभीर प्रश्न उठते रहे हैं।

मुख्य भाग:

संरचनात्मक हस्तक्षेप के लाभ:

- **बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण:** हीराकुंड (महानदी) और भाखड़ा-नांगल (सतलज-व्यास) जैसे बाँधों ने निचले इलाकों में बाढ़ के चरम स्तर को कम कर दिया है।
- **बहुउद्देशीय लाभ:** जल विद्युत, सिंचाई और जल आपूर्ति से वर्ष भर लाभ सुनिश्चित होता है।
  - सूखा निवारण में सहायता और कृषि को स्थिर करना।
- **घनी बस्तियों के लिये महत्त्वपूर्ण बफर्स:** शहरी क्षेत्रों या कस्बों में तटबंध और रिंग बंड उन परिसंपत्तियों की सुरक्षा करते हैं, जहाँ पीछे हटना संभव या व्यावहारिक नहीं होता।
- **मनोवैज्ञानिक आश्वासन और आर्थिक विकास:** सुरक्षा की धारणा बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे में निवेश को प्रोत्साहित करती है।

उभरती कमज़ोरियाँ और चुनौतियाँ:

- **तटबंध प्रभाव और विनाशकारी जोखिम:** तटबंध संरक्षित बाढ़ के मैदानों में अतिक्रमण को बढ़ावा देते हैं, जब वे टूट जाते हैं, तो नुकसान अत्यधिक होता है।
  - कुसहा (नेपाल) के निकट कोसी नदी के तटबंध के टूटने (2008) से उत्तर बिहार का विशाल क्षेत्र जलमग्न हो गया, जबकि राज्य में 3,000 किलोमीटर से अधिक लंबे तटबंध हैं।
- **गाद जमाव और तल वृद्धि:** नदियों को सीमित करने से उनमें गाद जमाव बढ़ जाता है, जिससे नदी का तल (जैसे- ब्रह्मपुत्र में) ऊँचा हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप तटबंधों को और ऊँचा करना पड़ता है तथा तटबंधों के पीछे जल निकासी में बाधा उत्पन्न होती है।
- **परिचालन संबंधी जोखिम:** संरचनात्मक हस्तक्षेप, यद्यपि सुरक्षा के लिये डिज़ाइन किये गए हैं, अक्सर परिचालन संबंधी चुनौतियों और जोखिमों का सामना करते हैं।
  - खराब समन्वय, अपर्याप्त बाँध नियम वक्र तथा अप्रत्याशित अपस्ट्रीम घटनाएँ (जैसे- GLOF या बादल फटना) बाढ़ को कम करने के बजाय उसे और बढ़ा सकती हैं।
    - उदाहरण के लिये, वर्ष 2023 में दक्षिण ल्होनक झील से हिमनद झील के प्रस्फुटन के कारण अचानक बाढ़ आई, जिसने चुंगथांग बाँध को क्षतिग्रस्त कर दिया और निचले

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

इलाकों में गंभीर क्षति पहुँचाई। यह घटना उच्च हिमालय में बढ़ते भौगोलिक और जल-प्रबंधन संबंधी खतरों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

- **बाँधों के नीचे तलछट की कमी:** तलछट के अवरोध से डेल्टा और नदी के किनारे (जैसे- गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना और गोदावरी डेल्टा) का क्षरण होता है, जिससे उछाल/बाढ़ की आशंका बढ़ जाती है।
- **सामाजिक-पारिस्थितिक लागत:** बड़े पैमाने पर संरचनात्मक हस्तक्षेप अक्सर दीर्घकालिक सामाजिक और पर्यावरणीय बाह्य प्रभाव उत्पन्न करते हैं जो समुत्थानशीलता को मज़बूत करने के बजाय उसे कमज़ोर कर देते हैं।
    - बाँधों के कारण गाँव जलमग्न हो जाते हैं, जनजातीय और हाशिये पर पड़े समूह विस्थापित हो जाते हैं, जिससे आजीविका का नुकसान होता है एवं सामाजिक असंतोष उत्पन्न होता है।
        - उदाहरण: पुनर्वास प्रयासों के बावजूद सरदार सरोवर बाँध के कारण लगभग 40,000 परिवार विस्थापित हो गए।

सतत् बाढ़ प्रबंधन की ओर:

- **हाइब्रिड बाढ़ प्रबंधन:** संरचनात्मक उपायों (जैसे- बाँध और तटबंध) को गैर-संरचनात्मक उपायों (जैसे- बाढ़ क्षेत्रीकरण, बीमा, पूर्व चेतावनी) के साथ संयोजित किया जाना चाहिये। इससे अल्पकालिक सुरक्षा के साथ-साथ दीर्घकालिक अनुकूलन भी सुनिश्चित होता है।
- **जलवायु-अनुकूल डिज़ाइन:** जलवायु परिवर्तन के कारण तीव्र होती चरम स्थितियों के अनुरूप बाढ़ मानकों, जलाशय संचालन प्रोटोकॉल और नियम वक्रों के डिज़ाइन को अद्यतन करना चाहिये।
    - बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 ऑडिट के लिये एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है, लेकिन सक्रिय जलवायु एकीकरण की आवश्यकता है।
- **प्रकृति-आधारित समाधान:** अतिरिक्त जल को अवशोषित करने और जलभृतों को पुनर्भरित करने के लिये आर्द्रभूमि, मैंग्रोव एवं प्राकृतिक बाढ़ के मैदानों को बफर के रूप में पुनर्स्थापित करना चाहिये।
    - नदियों को जगह देने के लिये निरंतर तटबंधों के स्थान पर सेटबैक तटबंधों को अपनाना चाहिये।
    - भारत नीदरलैंड के "नदी के लिये जगह" कार्यक्रम से सीख सकता है।
- **तलछट-स्मार्ट प्रबंधन:** जलाशयों और नदी तलों में गाद जमाव को कम करने के लिये स्लुइसिंग, तलछट बाईपास एवं समय-समय पर गाद हटाने का तरीका अपनाना चाहिये। तटबंधों के पीछे नदी तल के ऊँचा होने से बचने के लिये तटबंधों का डिज़ाइन नदी की आकृति विज्ञान के अनुरूप होना चाहिये।
- **प्रौद्योगिकी और पूर्व चेतावनी प्रणालियों का उपयोग:** समय पर निकासी और जोखिम में कमी के लिये एआई-आधारित बाढ़ पूर्वानुमान, उपग्रह निगरानी एवं मोबाइल-आधारित अलर्ट तैनात करना चाहिये।
- **समुदाय-आधारित शासन:** तटबंध की निगरानी, रखरखाव और जल निकासी योजना में स्थानीय समुदायों को सम्मिलित करना एवं इसे अंतिम सीमा तक पूरी तरह तैयार रखना सुनिश्चित करना।
    - पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों और आपदा स्वयंसेवकों के माध्यम से क्षमता निर्माण करना चाहिये।

निष्कर्ष

संरचनात्मक हस्तक्षेप आवश्यक हैं, किंतु पर्याप्त नहीं। आगे का मार्ग एकीकृत बाढ़ प्रबंधन में निहित है, जिसमें सुव्यवस्थित बाँध और तटबंध के साथ-साथ पारिस्थितिक पुनर्स्थापन, जोखिम क्षेत्रीकरण एवं अनुकूल समुदाय शामिल हों।

प्रश्न : "हिमालयी क्षेत्र भारत के लिये एक साथ 'जलस्तंभ' और 'आपदा का केंद्र' दोनों है।" ग्लेशियरों के विगलन और जलविद्युत क्षमता के विस्तार के आलोक में इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- हिमालय के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।
- 'जलस्तंभ': उपमहाद्वीप की जीवन रेखा' के रूप में हिमालय की भूमिका पर चर्चा कीजिये।
- हिमालय में विकास बनाम आपदा का विश्लेषण कीजिये।
- विकास और संवहनीयता में संतुलन के उपायों को प्रस्तावित कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

परिचय:

हिमालय, जिसे प्राय: 'तृतीय ध्रुव' कहा जाता है, आर्कटिक और अंटार्कटिक से परे हिम का सबसे विशाल भंडार है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी प्रमुख नदियों का स्रोत है, इसलिये इसे 'भारत का जलस्तंभ' कहा जाता है। साथ ही यह क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील, भू-गर्भीय रूप से नवोदित और भूकंपीय रूप से सक्रिय है, जो इसे आपदा का केंद्र बनाता है।

मुख्य भाग:

भारत के जलस्तंभ के रूप में हिमालय:

- **ग्लेशियरों का विगलन और नदियाँ:** हिमालय स्थायी नदी प्रणालियों का पोषण करता है, जो भारत में 60 करोड़ से अधिक लोगों के लिये खाद्य, जल और ऊर्जा सुरक्षा के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।
- **जलविद्युत क्षमता:** सरकारी आँकड़े बताते हैं कि हिमालय में 115,550 मेगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। यह इस क्षेत्र को भारत की नवीकरणीय ऊर्जा महत्त्वाकांक्षाओं का आधार बनाता है।
- **कृषि पर निर्भरता:** हिमालय से पोषित नदियाँ सिंधु-गंगा के मैदानों को उपजाऊ और जीवित रखती हैं, जो विश्व के सबसे उर्वर क्षेत्रों में से एक हैं।

आपदा का केंद्र हिमालय:

- **हिमनद-विगलन:** मानवजनित गतिविधियों के कारण ग्लेशियरों के द्रव्यमान में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जिससे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) का खतरा बढ़ गया है।
- **भूकंपीय संवेदनशीलता:** हिमालय भूकंपीय क्षेत्र IV और V में स्थित है, जो भूकंप और भूस्खलन के लिये प्रवण है, जिसके कारण हिमालयी क्षेत्रों में आपदाओं की प्रवृत्ति बढ़ रही है।
- **जलविद्युत जोखिम:** उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसी परियोजनाओं से ढलान अस्थिरता, निर्वनीकरण और फ्लैश फ्लड की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जैसा कि चमोली आपदा (वर्ष 2021) में देखा गया।
- **अनियोजित विकास और अवसंरचना:** हिमालयी क्षेत्रों का तीव्र और अव्यवस्थित विकास आपदाओं की आवृत्ति एवं तीव्रता में उल्लेखनीय वृद्धि का कारण बना है, उदाहरण के लिये जोशीमठ भूस्खलन।

विकास और स्थायित्व में संतुलन

- **अवसंरचना पर भार कम करना:** 'हाइड्रोपावर-लाइट' मॉडल अपनाना चाहिये, जिसमें छोटे, रन-ऑफ-द-रिवर परियोजनाओं के माध्यम से पहले से संवेदनशील भू-आकृतियों पर दबाव कम किया जा सके।
- **संवेदनशील विकास दृष्टिकोण:** लगातार विकास के बजाय हिमालयी भू-आकृतियों में अवसंरचनात्मक विकास के लिये संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।
- **चेतावनी तंत्रों को सुदृढ़ करना:** ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) और भूस्खलन के लिये पूर्व चेतावनी प्रणालियों को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।
- **भू-आकृतियों का मानचित्रण और पूर्वानुमान:** नए अवसंरचना निर्माण से पहले वहन क्षमता अध्ययन लागू करना आवश्यक है।
- **समन्वय को बढ़ावा:** अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र (ICIMOD) जैसी पहलों के तहत क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

जैसा कि NITI आयोग की हिमालयी संवहनीयता पर रिपोर्ट चेतावनी देती है, अनियंत्रित दोहन पारिस्थितिकी और आजीविका दोनों को खतरे में डाल सकता है। भविष्य-उन्मुख नीति में हिमालय को केवल एक संसाधन आधार के रूप में नहीं, बल्कि एक सुभेद्य पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में देखा जाना चाहिये, जिसके लिये समुत्थानशील, समावेशी और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील विकास की आवश्यकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सामान्य अध्ययन पेपर-4

केस स्टडीज़

प्रश्न : आप एक महानगर के ज़िलाधिकारी हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रेडिक्टिव पुलिसिंग प्रणाली लागू की है, जिसका उद्देश्य अपराध की पूर्वानुमानित रोकथाम है। इसके लिये नागरिकों से संबंधित बिग डाटा, जैसे: CCTV फुटेज, मोबाइल रिकॉर्ड, ऑनलाइन गतिविधियों के पैटर्न आदि का विश्लेषण किया जा रहा है।

हालाँकि इस प्रणाली ने सड़क अपराधों को कम करने और प्रतिक्रिया समय में सुधार करने में प्रारंभिक सफलता तो दिखाई है, फिर भी कई चिंताएँ सामने आई हैं। नागरिक समाज समूहों और डिजिटल अधिकार कार्यकर्त्ताओं का आरोप है कि यह तकनीक सीमांत समुदायों को असमान रूप से निशाना बनाती है, जिससे भेदभाव और प्रोफाइलिंग जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। आम नागरिकों ने बिना सहमति लिये डाटा संग्रहण और सामूहिक निगरानी (Mass Surveillance) की संभावना पर आपत्ति जताई है।

इसी बीच गृह विभाग आप पर दबाव डाल रहा है कि सभी थानों में इस प्रणाली का विस्तार किया जाए, क्योंकि यह दक्ष, कम लागत वाली और विधि-व्यवस्था के लिये लाभकारी बताई जा रही है। दूसरी ओर, कुछ पुलिस अधिकारी अनौपचारिक रूप से यह चिंता जता रहे हैं कि AI पर अंध-निर्भरता के कारण उनकी व्यावसायिक समझ और विवेक (Discretion) कमज़ोर हो सकता है।

आपसे अपेक्षा की गई है कि आप राज्य सरकार के लिये एक रिपोर्ट तैयार करें, जिसमें सार्वजनिक सुरक्षा तथा मूल अधिकारों के संरक्षण की दोहरी अनिवार्यताओं को संतुलित किया गया हो।

प्रश्न:

A. प्रेडिक्टिव पुलिसिंग को लेकर उठी चिंताओं पर आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होगी?

B. इस मामले में निहित नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कर उनकी विवेचना कीजिये।

C. यदि आपसे सार्वजनिक सुरक्षा हेतु AI के उपयोग को उचित ठहराने के लिये कहा जाए तो आप कौन-से तार्किक और नैतिक तर्क प्रस्तुत करेंगे?

D. एक लोकसेवक के रूप में आप कौन-से ठोस उपाय सुझाएँगे, ताकि शासन में AI का प्रयोग करते समय उत्तरदायित्व, निष्पक्षता तथा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित किया जा सके?

हल करने का दृष्टिकोण:

- विषय का परिचय दीजिये।
- स्थिति पर तत्काल प्रतिक्रिया लिखिये।
- इसमें शामिल नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कर उनकी विवेचना कीजिये।
- जन सुरक्षा के लिये AI के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिये।
- नागरिकों के उत्तरदायित्व, निष्पक्षता और अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों को प्रस्तावित कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

एक महानगरीय क्षेत्र के ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में मेरे समक्ष दोहरी चुनौती है— एक ओर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित प्रेडिक्टिव पुलिसिंग जैसी नवीन तकनीक के माध्यम से जन-सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा दूसरी ओर नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना और पक्षपात, सहमति एवं निगरानी से जुड़ी आशंकाओं का समाधान करना। इस मामले में संवैधानिक मूल्यों के साथ अपराध रोकथाम में दक्षता का संतुलन बनाना नैतिक अनिवार्यता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मुख्य भाग:

A. चिंताओं पर तत्काल प्रतिक्रिया

- **चिंताओं की स्वीकृति और संवाद:** नागरिक समाज समूहों, डिजिटल अधिकार कार्यकर्त्ताओं और सीमांत समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श किया जाना चाहिये, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी चिंताओं को औपचारिक रूप से दर्ज किया जाए।
  - ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिये, जहाँ नागरिक प्रेडिक्टिव पुलिसिंग के दुरुपयोग की शिकायत दर्ज करा सकें और चुनौती दे सकें।
- **पारदर्शिता सुनिश्चित करना:** जन-सामान्य को तकनीक की सीमा व सुरक्षा उपायों के बारे में स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिये, ताकि विश्वास कायम हो।
  - कार्रवाई से पूर्व प्रशिक्षित पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रत्येक AI जनित अलर्ट या पूर्वानुमान का सत्यापन और पुष्टिकरण अनिवार्य किया जाना चाहिये।
- **गोपनीयता और सहमति की सुरक्षा:** डेटा का सख्त न्यूनतमीकरण सुनिश्चित करने के लिये निर्देश जारी किया जाना चाहिये, केवल आवश्यक एवं आनुपातिक डेटा ही एकत्रित और उपयोग किया जाना चाहिये।
  - संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा को अज्ञात रूप में सुरक्षित करने और एन्क्रिप्शन एडॉप्शन पर बल दिया जाना चाहिये, ताकि उसके दुरुपयोग या अनधिकृत अभिगम्यता को रोका जा सके।
- **स्वतंत्र ऑडिट करना:** पूर्वाग्रह, प्रोफाइलिंग और डेटा के दुरुपयोग के जोखिमों का आकलन करने के लिये AI टूल का तकनीकी एवं नैतिक ऑडिट करवाने की आवश्यकता है।
- **अस्थायी सुरक्षा उपाय:** निगरानी तंत्र और शिकायत निवारण, जैसे प्रारंभिक सुदृढ़ सुरक्षा उपाय लागू होने तक विस्तार को स्थगित रखा जाना चाहिये।
  - आवश्यक पायलट परियोजनाएँ शुरू की जानी चाहिये और ज़मीनी स्तर पर विस्तार से पहले समीक्षा की जानी चाहिये।

B. शामिल नैतिक मुद्दे

- **गोपनीयता बनाम निगरानी:** बिना सहमति के डेटा संग्रह नागरिकों के निजता के अधिकार (पुत्तास्वामी प्रकरण) को चुनौती देता है।
- **पक्षपात और भेदभाव:** एल्गोरिद्म के कारण हाशिये के वर्गों पर असमान रूप से निशाना साधा जा सकता है।
- **स्वायत्तता एवं मानवीय निर्णय:** AI पर अत्यधिक निर्भरता पुलिस विवेक और उत्तरदायित्व को कम कर सकती है।
- **पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व:** 'ब्लैक बॉक्स' स्वरूप होने के कारण गलत परिणामों का उत्तरदायित्व तय करना कठिन होता है।
- **लोकविश्वास:** निर्णय-प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी का अभाव लोकतांत्रिक वैधता को प्रभावित कर सकता है।

C. सार्वजनिक सुरक्षा के लिये AI का औचित्य सिद्ध करना

- **दक्षता और सक्रिय अपराध रोकथाम:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) विशाल आँकड़ों का विश्लेषण कर अपराध के रुझानों को पहचान सकती है, जिससे अपराध घटित होने से पहले ही उसकी रोकथाम संभव हो जाती है।
- **संसाधन अनुकूलन:** यह सीमित पुलिस बल का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करती है और त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता बढ़ाती है।
- **साक्ष्य-आधारित पुलिसिंग:** व्यक्तिपरक निर्णय की तुलना में डेटा-आधारित अंतर्दृष्टि मनमानी को कम कर सकती है।
- **नैतिक औचित्य:** उपयोगितावादी दृष्टिकोण सार्वजनिक सुरक्षा को अधिकतम करता है तथा अधिकतम लोगों को होने वाले नुकसान को कम करता है।
- **तुलनात्मक शिक्षा:** कई वैश्विक नगर सख्त निगरानी में AI-संचालित पुलिसिंग का सफलतापूर्वक उपयोग करते हैं, जिससे पता चलता है कि अगर इसे नियंत्रित किया जाए तो यह कारगर सिद्ध हो सकती है।

D. उत्तरदायित्व, निष्पक्षता और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय

- **विधि का शासन और निगरानी:** प्रेडिक्टिव पुलिसिंग में AI के उपयोग की निगरानी के लिये स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिये, जिसकी रिपोर्टिंग संसदीय/राज्य विधानमंडल द्वारा हो।
- **एल्गोरिदमिक पारदर्शिता:** AI मॉडल, प्रशिक्षण डेटासेट और निर्णय लेने के मानदंडों का प्रकटीकरण अनिवार्य किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **पूर्वाग्रह निवारण:** प्रणालीगत भेदभाव को कम करने के लिये समय-समय पर तृतीय-पक्ष ऑडिट एवं विविध डेटासेट का समावेश सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- **डेटा सुरक्षा:** सूचित सहमति, गुमनामी और सीमित डेटा प्रतिधारण सुनिश्चित करते हुए उपयोग को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अनुरूप बनाया जाना चाहिये।
- **ह्यूमन-इन-द-लूप:** AI को केवल सहायक साधन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिये, न कि उसके स्थानापन्न के रूप में। अंतिम निर्णय का उत्तरदायित्व हमेशा उत्तरदायी पुलिस अधिकारियों का ही होना चाहिये।
- **नागरिक शिकायत तंत्र:** शिकायत निवारण मंच बनाए जाने चाहिये, जहाँ व्यक्ति AI-आधारित प्रोफाइलिंग या कार्रवाइयों को चुनौती दे सकें।
- **क्षमता निर्माण:** पुलिस अधिकारियों को प्रौद्योगिकी के उपयोग की नैतिकता, डिजिटल अधिकारों और ज़िम्मेदार AI प्रथाओं का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।

यदि सूचित सहमति, निगरानी और उत्तरदायित्व के साथ लागू किया जाए तो प्रेडिक्टिव पुलिसिंग जन सुरक्षा एवं नागरिकों के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित कर सकती है, जिससे लोकतंत्र में वैधता सुनिश्चित होती है।

निष्कर्ष

जैसा कि अरस्तू ने कहा है, ***"कानून वह तर्क है जो पक्षपात से मुक्त होता है।"*** उसी प्रकार, प्रौद्योगिकी को बिना किसी पूर्वाग्रह के न्याय प्रदान करना चाहिये। प्रेडिक्टिव पुलिसिंग जन सुरक्षा के लिये एक मूल्यवान साधन सिद्ध हो सकती है, लेकिन केवल तभी जब इसे पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और संवैधानिक सुरक्षा उपायों के सख्त पालन के साथ लागू किया जाए। ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में! मेरी भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि नवाचार लोकतंत्र एवं नागरिकों के विश्वास को मज़बूत करे, न कि कम करे।

प्रश्न : अर्जुन एक IAS अधिकारी है, जो एक पिछड़े ज़िले में ज़िला मजिस्ट्रेट (DM) के रूप में नियुक्त है। हाल ही में इस ज़िले को 'आकांक्षी ज़िला' घोषित किया गया है तथा इसे शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसंरचना विकास हेतु विशेष निधि प्राप्त हो रही है।

नियमित समीक्षा के दौरान अर्जुन को पता चलता है कि शिक्षा हेतु प्राप्त बड़ी राशि का एक हिस्सा मध्य-स्तरीय अधिकारियों द्वारा एक नये VIP गेस्ट हाउस के निर्माण में लगा दिया गया है। इसके पीछे यह तर्क दिया गया है कि मंत्रियों एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के लगातार दौरे के लिये बेहतर आवास सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जिससे ज़िले पर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा और अप्रत्यक्ष रूप से नई परियोजनाएँ मिलने की संभावनाएँ बढ़ेंगी।

जब अर्जुन इस पर आपत्ति जताते हैं तो अधिकारी तर्क देते हैं कि:

इस परियोजना को राजनीतिक समर्थन प्राप्त है और इसे रोकना प्रभावशाली नेताओं की नाराज़गी का कारण बन सकता है।

गेस्ट हाउस 'तकनीकी दृष्टि से जनहित' में है। इस दुरुपयोग को उजागर करने से राजनीतिक प्रतिशोध के कारण अन्य योजनाओं में विलंब हो सकता है।

इसी बीच अर्जुन को स्थानीय नागरिक समाज समूहों से शिकायत मिलती है कि कई विद्यालयों में शौचालय, स्वच्छ पेयजल और शिक्षक जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। अर्जुन पाते हैं कि निधि का इस प्रकार दुरुपयोग जारी रहने पर बच्चों की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगी तथा असमानता और भी बढ़ेगी।

यदि वे इसका विरोध करते हैं तो राजनीतिक नेताओं से संबंध बिगड़ने, स्थानांतरण की संभावना और ज़िले में उनके कार्य की निरंतरता पर संकट उत्पन्न हो सकता है। यदि वे चुपचाप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो बच्चों के मूल अधिकारों का हनन होगा।

प्रश्न:

A. इस प्रकरण में अर्जुन किन नैतिक दुविधाओं का सामना कर रहे हैं?

B. यदि आप युवा लोक सेवकों को इस प्रकरण पर मार्गदर्शन दे रहे हों तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने हेतु आप किन नैतिक सिद्धांतों एवं नेतृत्व गुणों पर विशेष बल देंगे?

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

C. प्रशासनिक यथार्थवाद और नैतिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाते हुए, अर्जुन के लिये सर्वाधिक उपयुक्त कार्रवाई क्या हो सकती है?

परिचय:

हाल ही में 'आकांक्षी ज़िला' के रूप में घोषित एक पिछड़े ज़िले में तैनात IAS अधिकारी अर्जुन को कार्यभार सँभालने के बाद यह ज्ञात होता है कि शिक्षा के लिये निर्धारित धनराशि का दुरुपयोग कर उसे एक 'VIP गेस्ट हाउस' के निर्माण में लगाया जा रहा है। यह स्थिति अर्जुन के सामने एक गंभीर नैतिक द्वंद्व उत्पन्न करती है— एक ओर सुशासन और पारदर्शिता के सिद्धांतों को बनाए रखने का दायित्व है तो दूसरी ओर राजनीतिक दबावों से निपटने की चुनौती। यदि निधि का दुरुपयोग जारी रहता है तो बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी, जबकि इसका विरोध करने पर उन्हें प्रशासनिक और राजनीतिक प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ सकता है।

मुख्य भाग:

A. इस प्रकरण में अर्जुन किन नैतिक दुविधाओं का सामना कर रहे हैं?

- **जनहित बनाम राजनीतिक दबाव का संघर्ष:**
  - शिक्षा के लिये आवंटित निधि को VIP गेस्ट हाउस के निर्माण में लगाना राजनीतिक नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों को लाभ पहुँचा सकता है, परंतु यह बच्चों की शिक्षा को सीधे तौर पर नुकसान पहुँचाता है।
  - अर्जुन को यह निर्णय लेना है कि बच्चों के अधिकारों और जन कल्याण को प्राथमिकता देनी है या प्रशासनिक सुगमता के लिये राजनीतिक सद्भावना बनाए रखनी है।
- **अल्पकालिक प्रशासनिक सुविधा बनाम दीर्घकालिक नैतिक दायित्व:**
  - यदि अर्जुन वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव में आकर इस दुरुपयोग को स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें तात्कालिक राजनीतिक संघर्ष से बचने और अन्य परियोजनाओं के सुचारु संचालन की सुविधा मिल सकती है।
  - परंतु यह नैतिक शासन से समझौता करता है और सार्वजनिक धन के ज़िम्मेदार उपयोग के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जिससे दीर्घकालिक सामाजिक विकास प्रभावित होता है।
- **विधि का शासन बनाम तात्कालिक सुविधा:**
  - धन के दुरुपयोग को रोकना कानूनी और संवैधानिक कर्त्तव्य (शिक्षा के लिये निर्धारित धन का उपयोग शिक्षा के लिये ही किया जाना चाहिये) के अनुरूप है।
  - दूसरी ओर, राजनीतिक सुविधा के लिये इस उल्लंघन की अनदेखी करना न्याय और विधिसम्मत शासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर प्रश्न उठाता है तथा भ्रष्टाचार का प्रेरक बनाता है।
- **समानता और सामाजिक न्याय बनाम प्रतिशोध का भय:**
  - शिक्षा हेतु निधि का दुरुपयोग पिछड़े ज़िले के बच्चों के साथ अन्याय है और इससे शैक्षणिक असमानता बढ़ती है।
  - किंतु यदि अर्जुन इसका विरोध करते हैं तो उन्हें स्थानांतरण, पदोन्नति में बाधा या अन्य प्रशासनिक प्रतिशोध का सामना करना पड़ सकता है। यह व्यक्तिगत नैतिक साहस के लिये एक चुनौती है।
- **उत्तरदायित्व की नैतिकता बनाम व्यावहारिकता:**
  - यदि अर्जुन परियोजना को रोकते हैं या इसकी रिपोर्ट करते हैं तो यह पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की दिशा में कदम होगा।
  - जबकि केवल प्रशासनिक शांति बनाए रखने के लिये चुप रहना व्यावहारिक दृष्टि से सुविधाजनक तो हो सकता है, पर यह समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग— बच्चों के प्रति उनके नैतिक कर्त्तव्य का उल्लंघन होगा।

B. यदि आप युवा लोक सेवकों को इस प्रकरण पर मार्गदर्शन दे रहे हों तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने हेतु आप किन नैतिक सिद्धांतों एवं नेतृत्व गुणों पर विशेष बल देंगे?

नैतिक सिद्धांत:

- **सत्यनिष्ठा:** अधिकारियों को सत्यनिष्ठ होकर कार्य करना चाहिये और गेस्ट हाउस के लिये प्राप्त राजनीतिक समर्थन की परवाह किये बिना शिक्षा निधि के दुरुपयोग का विरोध करना चाहिये।
- **जनहित और सामाजिक न्याय:** प्राथमिक कर्त्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि पिछड़े ज़िलों के बच्चों को उचित शिक्षा, स्वच्छ पेयजल और बुनियादी सुविधाएँ प्राप्त हों।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **उत्तरदायित्व और पारदर्शिता:** धन के दुरुपयोग की जाँच होनी चाहिये और जनता का विश्वास बनाए रखने के लिये निर्णयों का दस्तावेज़ीकरण किया जाना चाहिये।
- **विधि का शासन:** शिक्षा के लिये आवंटित धन का उपयोग इसी उद्देश्य के लिये किया जाना चाहिये; सुविधा के लिये नियमों को तोड़ना सुशासन की भावना को कमज़ोर करता है।
- **साहस और नैतिक दृढ़ता:** संभावित व्यक्तिगत या करियर संबंधी जोखिमों के बावजूद, मध्यम स्तर के अधिकारियों और राजनीतिक दबाव के विरुद्ध खड़ा होना, नैतिक नेतृत्व को दर्शाता है।

नेतृत्व गुण:

- **जनकेंद्रित निर्णय (Citizen-Centric Decision-Making):** प्रशासनिक सुविधा या राजनीतिक लाभ के बजाय विद्यार्थियों और समाज के दीर्घकालिक कल्याण को प्राथमिकता देना।
- **साहसपूर्ण संवाद (Courageous Communication):** राजनीतिक नेताओं और अधिकारियों के साथ विवेकपूर्ण संवाद के माध्यम से निधि के सही उपयोग की दिशा में सहमति बनाना।
- **संघर्ष में धैर्य (Resilience):** स्थानांतरण या प्रतिशोध जैसी परिस्थितियों में भी नैतिक मानकों को बनाए रखना।
- **दूरदर्शी नेतृत्व (Visionary Leadership):** अल्पकालिक राजनीतिक लाभों के बजाय शिक्षा और सामाजिक विकास की दीर्घकालिक दृष्टि रखना।

C. **प्रशासनिक यथार्थवाद और नैतिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाते हुए, अर्जुन के लिये सर्वाधिक उपयुक्त कार्रवाई क्या हो सकती है?**

- **निधि का उद्देश्यपरक उपयोग सुनिश्चित करना (Ensure Funds Serve Their Intended Purpose):** शौचालय, स्वच्छ पेयजल, शिक्षकों और शिक्षण संसाधनों जैसी महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिये शिक्षा निधि के आवंटन को प्राथमिकता दी जानी चाहिये, जिससे बच्चों के शिक्षा के मूल अधिकार की रक्षा हो।
- **प्रमाण-आधारित प्रस्तुति:** शैक्षिक परिणामों पर धन के विचलन के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाने वाली एक डेटा-आधारित रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिये। निधि के दुरुपयोग से शिक्षा पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों का डेटा-आधारित विश्लेषण तैयार कर वरिष्ठ अधिकारियों और नीति-निर्माताओं के समक्ष रखना चाहिये। जिससे अनावश्यक राजनीतिक टकराव के बिना नैतिक संवाद स्थापित हो सके।
  - अनावश्यक राजनीतिक टकराव उत्पन्न किये बिना वरिष्ठ अधिकारियों और संबंधित हितधारकों को शामिल करने के लिये इस रिपोर्ट का उपयोग किया जाना चाहिये।
- **राजनयिक हितधारक सहभागिता (Diplomatic Stakeholder Engagement):** स्थानीय नागरिक संगठनों, विद्यालय प्रबंधन समितियों तथा प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों को सम्मिलित कर निधि के नैतिक उपयोग के लिये सामूहिक सहमति बनानी चाहिये।
  - इस विमर्श को संघर्ष के बजाय दीर्घकालिक ज़िला विकास और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
- **विधिक और नीतिगत साधनों का उपयोग (Leverage Legal and Policy Instruments):** दुरुपयोग रोकने के औचित्य के लिये आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम, वित्तीय नियमों और शिक्षा का अधिकार अधिनियम का हवाला दें। आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम, वित्तीय नियमावली और शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) का हवाला देकर निधि के दुरुपयोग को रोकने का औचित्य प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
  - VIP आवास के लिये ऐसे वैकल्पिक समाधान प्रस्तावित किये जाने चाहिये जो आवश्यक सेवाओं से समझौता न करते हों।
- **प्रशासनिक विश्वसनीयता की रक्षा (Protect Administrative Credibility):** सभी निर्णयों का विधिवत् दस्तावेज़ीकरण, औपचारिक रिपोर्टिंग और पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है। ताकि नैतिक उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित हो और व्यक्तिगत जोखिम भी न्यूनतम रहे।
  - यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक जोखिम को कम करते हुए नैतिक अनुपालन सुनिश्चित करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

निष्कर्ष:

अर्जुन को सत्यनिष्ठा और लोक-कर्त्तव्य की भावना के साथ यह सुनिश्चित करना चाहिये कि शिक्षा निधि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिये हो जिसके लिये वह निर्धारित की गई है। जब वे राजनीतिक सुविधा के बजाय बच्चों के कल्याण को प्राथमिकता देते हैं तो वे "लोकहित को व्यक्तिगत अथवा राजनीतिक लाभ से ऊपर रखने" की नैतिक भावना का परिचय देते हैं। इस प्रकार अर्जुन का आचरण यह सिद्ध करता है कि नैतिक नेतृत्व न केवल शासन की विश्वसनीयता को सुदृढ़ करता है, बल्कि दीर्घकालिक सामाजिक विकास और जनविश्वास की आधारशिला भी बनता है।

प्रश्न : आप भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी राहुल हैं, जो एक कृषि प्रधान ज़िले में ज़िला विकास अधिकारी के पद पर तैनात हैं। मौसमी बेरोज़गारी और संकटपूर्ण प्रवास से प्रभावित एक कृषि प्रधान ज़िले में ज़िला विकास अधिकारी के पद पर तैनात हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MNREGA) इस क्षेत्र के लिये जीवनयापन का प्रमुख सहारा है, जो ग्रामीण परिवारों को मज़दूरी-आधारित रोज़गार उपलब्ध कराता है तथा साथ ही संवहनीय ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण में सहायक है। हालाँकि हाल ही में, स्थानीय कार्यकर्त्ताओं और एक व्हिसलब्लोअर समूह ने कई ग्राम पंचायतों में MNREGA के कार्यान्वयन में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट तैयार की है।

रिपोर्ट में जिन अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है, वे हैं-

- **मस्टर रोल पर फर्जी लाभार्थी और फर्जी जॉब-कार्ड।**
- **ग्रामीण विकास कार्यों (जैसे- सड़कें, जल-संचयन संरचनाएँ आदि) का मापन और बिलों की राशि वास्तविकता से कहीं अधिक दिखाई गई, जबकि ज़मीनी स्तर पर काम बहुत कम हुआ है या बिल्कुल हुआ ही नहीं है।**
- **स्थानीय ठेकेदार, पंचायत पदाधिकारी और कुछ कनिष्ठ अधिकारी आपसी मिलीभगत से कमीशन का बँटवारा करते हैं।**
- **वेतन भुगतान में विलंब जिसके कारण श्रमिकों को शीघ्र भुगतान के लिये रिश्वत लेने के लिये विवश होना पड़ता है।**
- **निजी ठेकेदारों को धनराशि पहुँचाने के लिये कार्य का जानबूझकर अनुचित वर्गीकरण किया गया।**
- **हालिया सामाजिक अंकेक्षण से स्पष्ट हुआ कि कई परिसंपत्तियाँ न केवल अपूर्ण रहीं बल्कि गुणवत्ता मानकों पर भी खरी नहीं उतरीं।**
- **राज्य ग्रामीण विकास विभाग के पिछले ऑडिट नोट्स में भी इसी तरह के मुद्दों को उठाया गया था, लेकिन उन पर नाममात्र की कार्रवाई हुई।**

MNREGA के परिणामों का आकलन करने के लिये केंद्रीय मंत्रालय की एक टीम अगले सप्ताह ज़िले का दौरा करने वाली है। आपके राजनीतिक वरिष्ठों और ज़िला के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने आपको ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है जिसमें 'संचालन संबंधी बाधाओं' एवं प्राकृतिक कारकों (खराब मॉनसून, प्रवासन) को कमियों के लिये उत्तरदायी बताया गया हो तथा व्यवस्थागत भ्रष्टाचार का उल्लेख न किया गया हो। आपको चेतावनी दी गई है कि सच्चाई उजागर करने पर आपका तबादला हो सकता है, आपके सेवा रिकॉर्ड में नकारात्मक प्रविष्टियाँ दर्ज हो सकती हैं तथा आपके परिवार पर राजनीतिक प्रतिशोध हो सकता है। वहीं यदि आप आज्ञा का पालन कर के सच्चाई छुपाते हैं तो लाखों श्रमिकों के अधिकारों का वंचन होता रहेगा और भ्रष्टाचार जारी रहेगा।

स्थानीय ग्रामवासी, श्रमिक संघ और नागरिक समाज समूह एक पूर्ण, पारदर्शी सार्वजनिक रिपोर्ट, दोषियों पर मुकदमा चलाने, समय पर मज़दूरी भुगतान तथा वास्तविक MNREGA कार्यों की बहाली की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के मीडिया और उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (PIL) ने भी ज़िले की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रश्नः

A. **राहुल के समक्ष कौन-कौन सी नैतिक दुविधाएँ हैं?**

B. **उनके समक्ष उपलब्ध विकल्पों और प्रत्येक विकल्प के संभावित परिणामों का मूल्यांकन कीजिये।**

C. **राहुल के लिये सर्वोत्तम कार्ययोजना का सुझाव दीजिये।**

D. **नैतिक तर्क और सुशासन के सिद्धांतों के आधार पर अपनी अनुशंसा का औचित्य प्रस्तुत कीजिये।** (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोणः

- परिचय में संदर्भ प्रस्तुत करने के लिये स्थिति का संक्षेप में वर्णन कीजिये।
- इस मामले में राहुल के समक्ष नैतिक दुविधाओं की पहचान कीजिये और उन पर चर्चा कीजिये।
- उसके लिये उपलब्ध विकल्पों और प्रत्येक विकल्प के संभावित परिणामों का मूल्यांकन कीजिये।
- राहुल के लिये सर्वोत्तम कार्यवाई का सुझाव दीजिये।
- नैतिक तर्क और सुशासन के सिद्धांतों के साथ अपनी अनुशंसा को उचित ठहराइये।
- आगे की राह प्रस्तुत करके निष्कर्ष लिखिये।

परिचयः

ज़िला विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी राहुल, मौसमी बेरोज़गारी और संकटग्रस्त प्रवास से जूझ रहे ज़िले में एक जटिल नैतिक दुविधा का सामना कर रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MNREGA) मज़दूरी-आधारित रोज़गार उपलब्ध कराने और ग्रामीण परिसंपत्तियों के सृजन में अत्यंत महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ है।

किंतु, एक व्हिसलब्लोअर डोज़ियर तथा सामाजिक अंकेक्षण यह उजागर करते हैं कि व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसमें फर्जी लाभार्थी, बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए बिल, ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत, मज़दूरी के भुगतान में विलंब तथा निम्न-स्तरीय कार्य शामिल हैं। राजनीतिक एवं वरिष्ठ अधिकारियों का दबाव राहुल को इन अनियमितताओं को छिपाने के निर्देश देता है, जिससे व्यक्तिगत सुरक्षा और लोक-कर्त्तव्य के बीच गंभीर नैतिक द्वंद्व उत्पन्न होता है।

मुख्य भागः

- **नैतिक दुविधाएँ**
  - **सत्यनिष्ठा बनाम कॅरियर जोखिमः** सत्य को उजागर करना स्थानांतरण, प्रतिकूल टिप्पणियाँ और राजनीतिक प्रतिघात आमंत्रित कर सकता है, जबकि भ्रष्टाचार को छिपाना व्यक्तिगत सुरक्षा बनाए रखता है।
  - **लोकहित बनाम अनुपालनः** ग्रामीण जनता, श्रमिक संघ, नागरिक समाज और न्यायालय पारदर्शिता की मांग करते हैं, जो कमियों को संचालनगत बाधाओं से जोड़ने के निर्देशों के विपरीत है।
  - **जवाबदेही बनाम आज्ञाकारिताः** MNREGA के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का राहुल का कर्त्तव्य, प्रणालीगत भ्रष्टाचार के साक्ष्यों को दबाने के निर्देशों से टकराता है।
  - **अल्पकालिक सुविधा बनाम दीर्घकालिक सुशासनः** अनियमितताओं को छिपाना तात्कालिक संघर्ष से बचा सकता है, परंतु यह भ्रष्टाचार को स्थायी बना देता है, जिससे संस्थागत विश्वसनीयता कमज़ोर होती है।
  - **सुभेद्य वर्गों के प्रति नैतिक उत्तरदायित्वः** करोड़ों मज़दूर आजीविका हेतु MNREGA पर निर्भर हैं; भ्रष्टाचार को छिपाना सीधे तौर पर उनके हितों को आहत करता है।
- **विकल्पों और परिणामों का मूल्यांकन**
  - **निर्देशों का पालन करनाः** यह अस्थायी रूप से राहुल के कॅरियर और परिवार की सुरक्षा करता है, किंतु भ्रष्टाचार को स्थायी बनाता है, विधिक एवं नैतिक कर्त्तव्यों का उल्लंघन करता है तथा लोकविश्वास को कमज़ोर करता है।
  - **पूर्ण सत्य की रिपोर्टिंगः** यह सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही को बनाए रखता है, किंतु स्थानांतरण, राजनीतिक प्रतिघात तथा व्यक्तिगत लक्ष्य बनने के जोखिम साथ लाता है।
  - **आंशिक प्रकटीकरण/सूक्ष्म रिपोर्टिंगः** यह संचालनगत चुनौतियों को रेखांकित करते हुए अनियमितताओं की ओर संकेत करता है, जिससे जोखिम और नैतिक कर्त्तव्य के बीच संतुलन बनता है, परंतु जवाबदेही को कम कर सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **वैकल्पिक तंत्र:** सामाजिक अंकेक्षण, नागरिक समाज, मीडिया और विधिक ढाँचे का सहारा लेना पारदर्शिता को बढ़ाता है तथा व्यक्तिगत जोखिम को न्यूनतम करता है, यद्यपि इसका प्रभाव अपेक्षाकृत धीमा हो सकता है।

- **अनुशंसित कार्यवाई का मार्ग:**
  - राहुल को सभी अनियमितताओं के साक्ष्यों का सुव्यवस्थित दस्तावेज़ीकरण करना चाहिये, एक आधिकारिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिये जिसमें संचालनगत बाधाओं के साथ-साथ सत्यापित भ्रष्टाचार को भी रेखांकित किया जाए तथा केंद्रीय मंत्रालय की टीम द्वारा स्वतंत्र पर्यवेक्षण को सुगम बनाना चाहिये।
  - नागरिक समाज, श्रमिक संघों के साथ सहभागिता और सामाजिक अंकेक्षण का उपयोग जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
  - विधिक उपाय, जैसे जनहित याचिका (PIL) या व्हिसलब्लोअर संरक्षण, अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं।
  - यह दृष्टिकोण सत्यनिष्ठा को बनाए रखता है, पारदर्शिता को प्रोत्साहित करता है और व्यक्तिगत जोखिम को न्यूनतम करता है।

- **नैतिक औचित्य:**
  - **सत्यनिष्ठा:** परिस्थितिजन्य दबावों के बावजूद रिपोर्टिंग में ईमानदारी और निष्पक्षता बनाए रखना।
  - **जवाबदेही:** यह सुनिश्चित करना कि लोकधन अपने नियत उद्देश्य की पूर्ति करे।
  - **लोकहित:** व्यक्तिगत या राजनीतिक सुविधा से ऊपर MNREGA श्रमिकों के कल्याण को प्राथमिकता देना।
  - **कानून का शासन:** MNREGA के प्रावधानों, सामाजिक अंकेक्षण तथा भ्रष्टाचार-निरोधक विधानों के अनुरूप कार्य करना।
  - **उपयोगितावादी दृष्टिकोण:** सर्वाधिक संख्या में लोगों- अर्थात् करोड़ों श्रमिकों के लिये अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना।
  - **कर्त्तव्यनिष्ठ नैतिकता:** परिणामों की उपेक्षा करते हुए, गलत कार्यों की रिपोर्ट करने के एक लोक सेवक के रूप में अपने कर्त्तव्य का पालन करना।

निष्कर्ष:

राहुल का निर्णय रॉल्स के "न्याय को समानता के रूप में" (Justice as Fairness) के सिद्धांत को परिलक्षित करना चाहिये। MNREGA का उद्देश्य सबसे अधिक वंचित वर्गों को लाभ पहुँचाना है और भ्रष्टाचार उनके अधिकारों को कमज़ोर करता है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने से "सबसे कम लाभान्वित" (ग्रामीण श्रमिक, प्रवासी) अपना न्यायसंगत हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे शासन को समानता तथा निष्पक्षता के सिद्धांतों के अनुरूप बनाया जा सके।

प्रश्न : आप अनिल हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के एक अधिकारी, जो वर्तमान में एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील ज़िले में ज़िला निर्वाचन अधिकारी (DEO) के पद पर कार्यरत हैं। चुनाव आने वाले दो हफ्तों में होने वाले हैं तथा आपकी ज़िम्मेदारी एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।

पिछले कुछ दिनों में आपको राजनीतिक दलों, नागरिक समाज समूहों और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों से गंभीर अनियमितताओं की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कई वास्तविक मतदाताओं के नाम रहस्यमय ढंग से मतदाता सूची से हटा दिये गए हैं, जबकि मृत व्यक्तियों के नाम और फर्जी प्रविष्टियाँ अब भी बनी हुई हैं। सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशियों पर सरकारी वाहन, कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कर चुनाव प्रचार करने का आरोप है। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में विपक्षी कार्यकर्त्ताओं और मतदाताओं को डराने-धमकाने के लिये बाहुबलियों के उपयोग की भी रिपोर्ट मिली है। कुछ निम्न स्तर के चुनावी कर्मचारी पक्षपातपूर्ण दिखाई देते हैं और उन पर प्रभावशाली प्रत्याशियों से मिलीभगत करने का संदेह है। इसके अतिरिक्त, वोट खरीदने के लिये नकद, शराब और मुफ्त उपहार बाँटने के व्यापक आरोप भी सामने आए हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

जब आप इन मामलों को वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाते हैं तो आपको इन्हें "गैर-महत्त्वपूर्ण परिचालन संबंधी मुद्दे" मानकर आगे न बढ़ाने की सलाह दी जाती है। राजनेता आपको चेतावनी देते हैं कि सख्त कार्रवाई से अशांति उत्पन्न हो सकती है, हिंसा भड़क सकती है एवं आपके करियर व परिवार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर, नागरिक समाज समूह, चुनाव आयोग के प्रेक्षक एवं मीडिया के कुछ वर्ग जवाबदेही तथा चुनावी कानूनों के सख्त अनुपालन की मांग कर रहे हैं।

जोखिम बहुत अधिक हैं। एक ओर आपका कर्त्तव्य चुनावों की पवित्रता को बनाए रखना है, जो लोकतंत्र की नींव है। दूसरी ओर, यदि आप इस मामले को पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाते हैं तो आपको राजनीतिक प्रतिशोध, करियर में बाधाएँ और व्यक्तिगत जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है।

प्रश्न:

A. इस परिस्थिति में अनिल के समक्ष कौन-से नैतिक द्वंद्व उपस्थित हैं?

B. अनिल के समक्ष उपलब्ध विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन कीजिये तथा प्रत्येक विकल्प के संभावित परिणाम का विश्लेषण कीजिये।

C. संवैधानिक मूल्यों, नैतिक तर्क और सुशासन के सिद्धांतों के आलोक में अनिल के लिये सर्वोत्तम कार्यवाही का सुझाव दीजिये।

D. कैसे प्रणालीगत सुधारों को लागू किया जा सकता है ताकि लंबे समय में ऐसे चुनावी दुराचारों को कम किया जा सके? (250 शब्द)

परिचय:

निर्वाचन लोकतंत्र की आधारशिला हैं, जो जनता की सामूहिक इच्छा को प्रतिबिंबित करते हैं। ज़िला निर्वाचन अधिकारी (DEO) के रूप में अनिल के पास संवैधानिक ज़िम्मेदारी है कि वह अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करें। हालाँकि, मतदाता सूची में हेरफेर, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग, धमकी और रिश्वत जैसे व्यापक निर्वाचन दुराचार के आरोप गंभीर नैतिक दुविधाएँ उत्पन्न करते हैं।

मुख्य भाग:

A. अनिल के समक्ष नैतिक द्वंद्व

- **कर्त्तव्य बनाम व्यक्तिगत जोखिम:** चुनावी अखंडता बनाए रखना राजनीतिक प्रतिशोध, धमकियों या करियर में बाधाओं को आमंत्रित कर सकता है।
- **निष्पक्षता बनाम दबाव:** वरिष्ठ अधिकारी और सत्ताधारी पार्टी के नेता समानुभूति दिखाने के लिये दबाव डालते हैं, जिससे निष्पक्ष निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है।
- **पारदर्शिता बनाम सार्वजनिक व्यवस्था:** अनियमितताओं को उजागर करना अशांति को जन्म दे सकता है, फिर भी उन्हें अनदेखा करना लोकतांत्रिक संस्थानों में विश्वास को कमज़ोर करता है।
- **अल्पकालिक बनाम दीर्घकालिक लोकतांत्रिक स्वास्थ्य:** निष्क्रियता तत्काल शांति बनाए रख सकती है, लेकिन समय के साथ चुनावी वैधता को खतरे में डालती है।

B. विकल्प एवं उनके परिणाम

विकल्प A - शिकायतों की अनदेखी करना:

- लाभ: व्यक्तिगत और राजनीतिक जोखिमों से बचाव।
- हानि: लोकतंत्र को कमज़ोर करना, संवैधानिक कर्त्तव्य का उल्लंघन, कानूनी ज़िम्मेदारी का खतरा और जनता के विश्वास में गिरावट।

विकल्प B - आंशिक या सूक्ष्म कार्रवाई:

- लाभ: तत्काल संघर्ष को कम करना; कुछ मुद्दों का समाधान करना।
- हानि: पक्षपात की छवि बन सकती है; दुराचार जारी रहते हैं; नैतिक समझौता।

विकल्प C - निर्णायक और पारदर्शी कार्रवाई (अनुशंसित):

- लाभ: कानून का शासन बनाए रखना, लोकतांत्रिक संस्थानों को दृढ़ करना, जनता के विश्वास को पुनर्स्थापित करना।
- हानि: व्यक्तिगत धमकियाँ, राजनीतिक प्रतिक्रिया, संभावित अशांति।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

C. अनुशंसित कार्रवाई का मार्ग

- तत्काल उपाय: शिकायतों की पुष्टि करना, तटस्थ कर्मचारियों को तैनात करना और मतदान क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- निर्वाचन आयोग के साथ समन्वय: मुद्दों की औपचारिक रिपोर्ट करना; पर्यवेक्षक तैनाती और कानून प्रवर्तन समर्थन का अनुरोध करना।
- सार्वजनिक संचार: नागरिक समाज और मीडिया को सूचित करने के लिये सतर्क पारदर्शिता बनाए रखना, ताकि गलत जानकारी कम हो।
- नैतिक औचित्य: यह संवैधानिक कर्त्तव्य, निष्पक्षता और जवाबदेही पर आधारित है, जो कर्त्तव्यवादी-नैतिकता (deontological ethics) के सिद्धांतों के अनुरूप है, जहाँ भय की परवाह किये बिना कर्त्तव्य सर्वोपरि होता है।

D. दीर्घकालिक प्रणालीगत सुधार

- डिजिटल और स्वच्छ मतदाता सूची: पास्ट और डुप्लीकेट एंट्रीज़ को रिमूव करने के लिये आधार से लिंक्ड सत्यापन।
- स्वतंत्र और सुरक्षित निर्वाचन कर्मचारी: रोटेशन, सख्त आचरण संहिता और राजनीतिक प्रभाव से सुरक्षा।
- मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सख्ती से पालन: संसाधनों के दुरुपयोग, वोट खरीदने और धमकाने पर दंड।
- पारदर्शिता उपाय: अभियान वित्त और व्यय की वास्तविक समय में रिपोर्टिंग।
- मतदाता जागरूकता कार्यक्रम: नागरिकों को दबाव या रिश्वत के विरुद्ध शिक्षित करना।
- प्रौद्योगिकी-संचालित निगरानी: CCTV, ड्रोन और ऐप आधारित शिकायत निवारण प्रणाली।
- अधिकारियों के लिये कानूनी सुरक्षा: निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु व्हिसलब्लोअर सुरक्षा और इम्युनिटी।

निष्कर्ष:

अनिल का द्वंद्व लोकतांत्रिक शासन में नैतिक ज़िम्मेदारी, कानूनी कर्त्तव्य और व्यक्तिगत जोखिम के जटिल अंत:क्रिया को उजागर करता है। निर्णायक, पारदर्शी और संवैधानिक आदेशों के अनुसार कार्रवाई करना कांटियन नैतिकता और अच्छे शासन के सिद्धांतों दोनों को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें तात्कालिक लाभ की तुलना में कर्त्तव्य को प्राथमिकता दी जाती है। जबकि अल्पकालिक चुनौतियाँ अनिवार्य हैं, संस्थागत सुधार, डिजिटलीकरण, बढ़ी हुई जवाबदेही और नागरिक सहभागिता चुनावी अखंडता की रक्षा कर सकती हैं और लोकतंत्र को दृढ़ कर सकती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि जनता की आवाज़ दुराचार और राजनीतिक तात्कालिकता पर विजय पाए।

सैद्धांतिक प्रश्न

प्रश्न : लोक सेवा को प्राय: करुणा और अनासक्ति के बीच संतुलन के रूप में वर्णित किया जाता है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ इस कथन का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- किसी प्रासंगिक उद्धरण के साथ परिचय दीजिये।
- लोक सेवा में करुणा।
- लोक सेवा में अनासक्ति।
- असंतुलन से उत्पन्न जोखिम।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

लोक सेवा का मूल उद्देश्य निष्पक्षता बनाए रखते हुए नागरिकों की सहानुभूतिपूर्वक सेवा करना है। जैसा कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में उल्लेख किया है, "राजा को प्रजा की भलाई उसी प्रकार करनी चाहिये, जैसे पिता अपने बच्चों की देखभाल करता है।"

- इसके लिये करुणा की आवश्यकता होती है अर्थात् लोगों के दुखों के प्रति सहानुभूति रखना और उसे दूर करने के लिये सक्रिय रूप से कार्य करना तथा वैराग्य के साथ संतुलन बनाना, जिससे भावनाओं और पूर्वाग्रहों को नियंत्रण में रखकर निष्पक्षता सुनिश्चित हो।

मुख्य भाग:

लोक सेवा में करुणा:

- **ऊर्ध्वगामी दृष्टिकोण प्रदान करना:** करुणा प्रशासनिक अधिकारियों को गरीबों और वंचितों के जीवन के वास्तविक अनुभवों को समझने में सक्षम बनाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

- **नैतिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना:** करुणा नैतिक उत्तरदायित्व और सेवा की भावना सुनिश्चित करती है।
  - उत्तराखंड बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान, लोक सेवकों ने करुणा का परिचय देते हुए सक्रिय रूप से बचाव और पुनर्वास कार्यों को अंजाम दिया।
- **विश्वास और वैधता का निर्माण:** जब लोक सेवक सच्ची संवेदनशीलता और सहानुभूति का प्रदर्शन करते हैं तो वे सरकार और जनता, विशेषकर वंचित समुदायों के बीच विश्वास और जुड़ाव को दृढ़ करते हैं।
  - जब नागरिक प्रशासन में निष्पक्षता और सहानुभूति का अनुभव करते हैं तो वे सहयोग करने के लिये अधिक तत्पर होते हैं।
  - करुणा सुनिश्चित करने के लिये नीतिगत स्तर पर हस्तक्षेप, जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी कल्याणकारी योजनाएँ संवेदनशील और समावेशी अभिगम्यता सुनिश्चित करने हेतु सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण की मांग करती हैं।
- **सामाजिक समानता को बढ़ावा देना:** करुणामय दृष्टिकोण का मूल भाव यह है कि यह कल्याण को सर्वोपरि मानते हुए असमानताओं के निवारण पर बल देता है, जिससे विकासात्मक कार्यक्रम यांत्रिक प्रक्रिया न बनकर प्रभावी रूप में वास्तविक ज़रूरतमंदों तक पहुँच सके।

लोक सेवा में अनासक्ति:

- **व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से बचाव:** अलगाव यह सुनिश्चित करता है कि प्रशासनिक अधिकारी अपनी व्यक्तिगत पसंद, नापसंद या रिश्तों को आधिकारिक निर्णयों को प्रभावित करने की अनुमति न दें।
- **करुणा और वस्तुनिष्ठता में संतुलन:** जहाँ करुणा सहानुभूति को प्रेरित करती है, वहीं वैराग्य यह सुनिश्चित करता है कि कार्य न्यायसंगत और सिद्धांतों पर आधारित रहें तथा पक्षपात या भावनात्मक अतिरेक से बचा जा सके।
  - उदाहरण के लिये राशन वितरण में व्यक्तिगत अपीलों के बावजूद पात्रता मानदंडों को समान रूप से लागू किया जाना चाहिये।
- **व्यावसायिक धैर्य/समुत्थानशक्ति बनाए रखना:** अलगाव अधिकारियों को तनाव, आलोचना या चुनौतीपूर्ण स्थितियों को शांतिपूर्वक सँभालने में सहायता करता है, जिससे सार्वजनिक सेवा में निरंतर प्रभावशीलता संभव होती है।

असंतुलन से उत्पन्न जोखिम

- **अत्यधिक करुणा:** पक्षपात, नीतिगत कमज़ोरी और आर्थिक अनियंत्रण का जोखिम होता है। उदाहरण के लिये अव्यवस्थित ऋण माफी से अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है।
- **अत्यधिक अलगाव:** नौकरशाही की उदासीनता, जनता के बीच विश्वास का क्षरण और दूरी पैदा होने का खतरा होता है। उदाहरण के लिये पुनर्वास के बिना कठोर बेदखली अभियान सामाजिक अशांति को और गहरा कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

एक लोक सेवक को एक बेहतरीन संतुलन बनाए रखना चाहिये, अत्यधिक करुणा से बचना चाहिये, जो पक्षपात की ओर ले जाती है और अत्यधिक उदासीनता/अनासक्ति से बचना चाहिये, जो प्रशासनिक उदासीनता का कारण बनता है। लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं ने इस संतुलन का आदर्श प्रस्तुत किया, जिन्होंने किसानों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए, आपातकालीन परिस्थितियों में अनुशासित खाद्य प्रबंधन सुनिश्चित किया। अंततः जैसा कि गांधीजी ने हमें स्मरण कराया था, "सबसे गरीब का चेहरा याद करो," करुणा को निर्णयों का मार्गदर्शन करना चाहिये, जबकि संवैधानिक कर्त्तव्य आवश्यक वैराग्य तथा निष्पक्ष शासन सुनिश्चित करता है।

प्रश्न : "अंतरात्मा आत्मा की आवाज़ है, समाज की प्रतिध्वनि नहीं।" लोक सेवकों के लिये निर्णय लेने में अंतरात्मा की भूमिका का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- संक्षेप में समझाइये कि अंतरात्मा क्या है।
- लोक सेवा में अंतरात्मा की भूमिका लिखिये।
- अंतरात्मा की अनदेखी के जोखिमों पर विस्तार से चर्चा कीजिये।
- लोक सेवा में अंतरात्मा को कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसका सुझाव दीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

परिचय:

अंतरात्मा (Conscience) उस आंतरिक नैतिक भावना को दर्शाता है, जो बाहरी दबावों या सामाजिक अपेक्षाओं से परे व्यक्ति को सही और गलत में अंतर करने का मार्गदर्शन करती है। लोक सेवकों के लिये अंतरात्मा की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि उनके निर्णय केवल कानूनी ही नहीं, बल्कि नैतिक दृष्टि से भी उचित हों।

मुख्य भाग:

लोक सेवा में अंतरात्मा की भूमिका

- **नैतिक मार्गदर्शक:** जब कानून या नियम स्पष्ट दिशा न दें तो अंतरात्मा नैतिक समझौते को रोकती है। उदाहरण के लिये IAS अधिकारी अशोक खेमका ने राजनीतिक दबाव के बावजूद धोखाधड़ी वाले ज़मीन सौदों को रद्द कर दिया।
  - इसी प्रकार IAS अधिकारी टी.वी. अनुपमा ने केरल में सशक्त लॉबीज़ के विरोध के बावजूद कड़ा रुख अपनाया और अपने आंतरिक नैतिक विश्वास के आधार पर प्रतिरोध के बावजूद मिलावटी खाद्य पदार्थों को ज़ब्त कर लिया।
- **ईमानदारी को बनाए रखने का साहस:** अंतरात्मा जोखिमों का सामना करते हुए ईमानदारी से कार्य करने का साहस पैदा करता है।
  - सत्येंद्र दुबे, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना में एक मुखबिर (व्हिसलब्लोअर) थे, उन्होंने गंभीर व्यक्तिगत जोखिम के बावजूद भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया।
  - इसी तरह IAS अधिकारी के. वासुकी ने तिरुवनंतपुरम की ज़िलाधिकारी के रूप में कार्य करते हुए अपशिष्ट प्रबंधन में राजनीतिक हस्तक्षेप का डटकर विरोध किया और यह उनकी अंतरात्मा से प्रेरित नैतिक साहस का प्रतीक था।
- **प्रशासन का मानवीकरण:** अंतरात्मा प्रशासनिक अधिकारियों को कठोर प्रक्रियाओं से आगे बढ़कर लोगों से सहानुभूति के साथ जुड़ने में सक्षम बनाती है।
  - वर्ष 2018 में केरल बाढ़ के दौरान, लोक सेवकों ने राहत कार्य चलाया, समुदायों के साथ समन्वय किया और तत्काल सहायता प्रदान की तथा अंतरात्मा द्वारा निर्देशित करुणा एवं सहानुभूति का प्रदर्शन किया।
- **कानून और न्याय में संतुलन:** न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के न्यायिक दर्शन ने अक्सर इस विचार को उजागर किया कि अंतरात्मा के बिना कानून न्याय को कमज़ोर करता है।
  - अधिकारी नीतियों की व्याख्या करने में विवेक का प्रयोग करते हैं, जिससे निष्पक्षता और गरिमा बनी रहे।

अंतरात्मा की अनदेखी के जोखिम

- **यांत्रिक आज्ञाकारिता और गलत कार्यों में सहभागिता:** आदेशों का बिना सोच-विचार पालन करना अधिकारियों को भ्रष्टाचार या अन्याय में अनजाने में सहभागी बना सकता है (उदाहरण के लिये, 1975 के आपातकाल के दौरान अधिकार का दुरुपयोग या बड़े घोटालों में अधिकारियों की भूमिका)।
- **नागरिकों के प्रति उदासीनता और विश्वास का क्षय:** अंतरात्मा की कमी से शासन तटस्थ और असंवेदनशील हो जाता है, जिससे जनता में विच्छेद और अलगाव बढ़ता है (जैसे, पुनर्वास के बिना कठोर बेदखली अभियान)। इससे धीरे-धीरे प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास कम होने लगता है।
- **संस्थागत और नैतिक पतन:** यदि अंतरात्मा को लगातार नज़रअंदाज़ किया जाता है तो यह अनैतिक व्यवहार को सामान्य बना देता है, जिससे संस्थागत ईमानदारी कमजोर होती है और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर भी बुरा असर पड़ता है (उदाहरण के लिये, भर्ती घोटालों में प्रणालीगत भ्रष्टाचार)।

लोक सेवा में अंतरात्मा सुनिश्चित करने के उपाय:

- **नैतिक प्रशिक्षण:** प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को उन्नत और संवेदनशील बनाकर नैतिक तर्क का निर्माण करना, गाँवों में जाकर ज़मीनी स्तर पर संपर्क स्थापित करने और हाशिये पर पड़े समुदायों के साथ सीधे संपर्क पर जोर देना।
- **जवाबदेही को मज़बूत करना:** सूचना का अधिकार (RTI) और लोकपाल अधिनियम जैसे कानून शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं तथा सार्वजनिक अधिकारियों को ज़िम्मेदारी और कर्त्तव्यनिष्ठा से कार्य करने के लिये बाध्य करते हैं।
  - प्रशासनिक कार्यों को नागरिकों के लिये दृश्यमान बनाकर, ये ढाँचे नैतिक निर्णय लेने को सुदृढ़ बनाते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **व्यक्तिगत चिंतन एवं मूल्य:** ध्यान, आत्मचिंतन और नैतिक आत्मनिरीक्षण को प्रोत्साहित करने से व्यक्ति को अपने कार्यों को मूल मूल्यों के साथ संरेखित करने में मदद मिलती है।
  - गांधीजी के "ताबीज (Talisman)" को याद करते हुए, निर्णय लेते समय सबसे गरीब और कमज़ोर व्यक्ति के बारे में सोचने की प्रेरणा मिलती है। लोक सेवा में सहानुभूति तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहित करता है।
- **संस्थागत सुरक्षा उपाय:** व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम को गुमनामी, त्वरित जाँच और उत्पीड़न से सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिये।
  - नागरिक चार्टर में मापनीय सेवा मानक और देरी के लिये दंड शामिल होना चाहिये।
  - लोकायुक्त और CVC जैसी सतर्कता संस्थाओं को पारदर्शिता के लिये अधिक स्वतंत्रता और डिजिटल उपकरणों की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

इस प्रकार अंतरात्मा सामाजिक मानदंडों की निष्क्रिय प्रतिध्वनि नहीं, बल्कि नैतिक उत्तरदायित्व की सक्रिय आवाज़ है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, "अंतरात्मा के मामलों में बहुमत के कानून का कोई स्थान नहीं है।" लोक सेवकों के लिये अंतरात्मा के साथ निर्णय लेना ईमानदारी, न्याय और जन-केंद्रित शासन को बढ़ावा देता है, जिससे लोकतंत्र की नैतिक नींव मज़बूत होती है।

प्रश्न : क्या कर्त्तव्य का कठोर पालन कभी करुणा पर हावी हो सकता है? कांट के नैतिक सिद्धांत और लोक प्रशासन के संदर्भ में विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:
- कर्त्तव्य और करुणा के बीच के द्वंद्व के संबंध में संक्षिप्त परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- कांटियन नैतिकता परिप्रेक्ष्य (Kantian Ethics Perspective) का गहन अध्ययन कीजिये।
- लोक प्रशासन परिप्रेक्ष्य का गहन अध्ययन कीजिये।
- संक्षेप में समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये तथा उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय

कर्त्तव्य और करुणा के बीच का द्वंद्व दर्शन और शासन दोनों में बार-बार उभरता है। इमैनुअल कांट की कर्त्तव्यवादी (Deontological) नीतिमीमांसा सार्वभौमिक नैतिक नियम (Categorical Imperative/निरपेक्ष आदेश) के आधार पर कर्त्तव्य के बिना शर्त पालन पर बल देती है, जबकि लोक प्रशासन प्राय: नियम-आधारित आचरण और नागरिकों के प्रति मानवीय संवेदनशीलता के बीच संतुलन की अपेक्षा करता है।

मुख्य भाग:

कांट का नीतिमीमांसा दृष्टिकोण (Kantian Ethics Perspective)

- **कर्त्तव्य की प्रधानता:**
  - कांट के अनुसार, नैतिक मूल्य केवल तभी उत्पन्न होता है, जब कर्म कर्त्तव्य के मार्गदर्शन में हों, न कि करुणा जैसी भावनाओं में।
  - उदाहरण: सत्य बोलना अनिवार्य है, भले ही असत्य बोलने से किसी की जान बचाई जा सके, क्योंकि सत्य एक निरपेक्ष आदेश (Categorical Imperative) है।
- **करुणा द्वितीयक:**
  - करुणा, जो भावनाओं पर आधारित होती है, सार्वभौमिकता से वंचित है।
  - अत: कांट की नीतिमीमांसा में, यदि कर्त्तव्य और करुणा में द्वंद्व हो तो कर्त्तव्य को प्राथमिकता दी जा सकती है।

लोक प्रशासन दृष्टिकोण

- **कर्त्तव्य की भूमिका:**
  - सिविल सेवक संविधान, विधि और आचार संहिता से बंधित होते हैं। कठोर कर्त्तव्य पालन निष्पक्षता, स्थिरता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
  - उदाहरण: अयोग्य आवेदक को उनकी कठिनाई के बावजूद कल्याणकारी लाभ से वंचित करना, ताकि निष्पक्षता और वैधता को बनाए रखा जा सके।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **करुणा की भूमिका:**
  - करुणा नागरिक-केंद्रित शासन का अभिन्न हिस्सा है। जैसे सर्वशिक्षा अधिकार अधिनियम या आयुष्मान भारत जैसी नीतियाँ कानूनी ढाँचों के भीतर करुणा की भावना को प्रतिबिंबित करती हैं।
  - नियमों के कठोर पालन में अति करने से अन्याय, अलगाव और शासन में विश्वास के क्षरण जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- **दोनों में संतुलन:**
  - नोलन समिति के सिद्धांत (वस्तुनिष्ठता, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही) कर्त्तव्य के कठोर पालन की आवश्यकता बताते हैं।
  - किंतु मिशन कर्मयोगी और सेवोत्तम मॉडल जैसी पहलें समानुभूति और संवेदनशीलता पर ज़ोर देती हैं।
  - प्रशासनिक नैतिकता एक व्यावहारिक मध्य मार्ग सुझाती है, जहाँ कर्त्तव्य मार्गदर्शक सिद्धांत होता है, लेकिन करुणा इसके पालन में संतुलन बनाए रखती है।

समालोचनात्मक विश्लेषण

- **कर्त्तव्य की करुणा पर प्राथमिकता के लाभ:** नियमों का पालन सुनिश्चित करना, मनमानी रोकना, समानता की रक्षा करना।
- **अत्यधिक कर्त्तव्य के जोखिम:** यह यांत्रिक शासन और "रेड-टैपिज़्म" की स्थिति उत्पन्न कर सकता है।
- **करुणा की भूमिका:** कर्त्तव्य की व्याख्या को मानवीय और संदर्भ-संवेदनशील दृष्टिकोण से देखने का सुधारात्मक साधन प्रदान करती है।

निष्कर्ष

जहाँ कांटियन नीतिमीमांसा में कर्त्तव्य को करुणा से ऊपर प्राथमिकता दी जाती है, वहीं आधुनिक लोक प्रशासन में दोनों का संतुलन आवश्यक है: कर्त्तव्य संरचना प्रदान करता है, जबकि करुणा संवेदनशीलता सुनिश्चित करती है। एक ज़िम्मेदार सिविल सेवक को कानून और कर्त्तव्य की संरचना में कार्य करना चाहिये, किंतु उन्हें करुणा के साथ व्याख्यायित और लागू करना चाहिये, जिससे दक्षता और समानुभूति का सामंजस्य स्थापित हो।

प्रश्न : क्या सच्ची निष्पक्षता समानुभूति के साथ सह-अस्तित्व में रह सकती है या क्या समानुभूति अनिवार्य रूप से पूर्वाग्रह को जन्म देती है ? लोक सेवा के संदर्भ में समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- निष्पक्षता और समानुभूति के संबंध में संक्षेप में परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- लोक सेवा में निष्पक्षता और समानुभूति के लिये प्रमुख तर्क प्रस्तुत कीजिये।
- पक्ष और विपक्ष में तर्कों पर प्रकाश डालिये। क्या समानुभूति पक्षपात को जन्म देती है ?
- संक्षेप में समालोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत कीजिये और उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

निष्पक्षता और समानुभूति लोक सेवा में दो अनिवार्य, लेकिन प्रतीत होने में विरोधाभासी मूल्य हैं। निष्पक्षता तटस्थता, न्याय और नियमों के पालन की मांग करती है, जबकि समानुभूति नागरिकों की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझने और उस पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता की मांग करती है।

मुख्य भाग:

लोक सेवा में निष्पक्षता

- नागरिकों के प्रति न्याय और समान व्यवहार सुनिश्चित करती है।
- अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और शासन के नियमों जैसे संवैधानिक सिद्धांतों में आधारित है।
- प्रशासनिक न्याय को बनाए रखती है, जिससे पक्षपात, भाई-भतीजावाद या मनमानी को रोका जा सके।

लोक सेवा में समानुभूति

- इसे नोलन समिति के सिद्धांत (नि:स्वार्थता, वस्तुनिष्ठता) और द्वितीय ARC की अनुशंसाओं में एक मूलभूत मूल्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।
- यह नागरिक-केंद्रित शासन को सुदृढ़ बनाती है, जिससे नीतियाँ अप्रभावी और संवेदनशील समूहों के प्रति उत्तरदायी होती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- उदाहरण: आपदाओं के दौरान, समानुभूतिशील अधिकारी कड़े नियमों से परे जाकर ज़रूरतमंदों को राहत प्रदान करते हैं।

क्या समानुभूति पक्षपात को जन्म देती है?

- **समानुभूति से पक्षपात होने के तर्क:**
  - तरजीही व्यवहार (Preferential Treatment) हो सकता है (उदा. भावनात्मक अपील के आधार पर किसी व्यक्ति को प्राथमिकता देना)।
  - निर्णय लेने में व्यक्तिपरकता का खतरा, जो शासन के नियमों की उपेक्षा कर सकता है।
  - असंगत निर्णय और अन्याय के आरोपों का जोखिम बढ़ सकता है।
- **तर्क कि समानुभूति निष्पक्षता को दृढ़ करती है:**
  - समानुभूति यह सुनिश्चित करती है कि नीतियाँ यांत्रिक (Mechanical) या अपवर्जित (Exclusionary) न बनें।
  - यह प्रशासनिक अधिकारियों को संरचनात्मक असमानताओं (जैसे: लिंग, जाति, दिव्यांगता) को समझने और नियमों को अधिक समान रूप से लागू करने में सक्षम बनाती है।
  - उदाहरण: लक्षित कल्याण योजनाएँ (जैसे SC/ST के लिये छात्रवृत्ति, दिव्यांगजन पहल) समानुभूतिशील हैं और न्याय सुनिश्चित करने के लिये संस्थागत रूप से लागू की गई हैं।

समालोचनात्मक विश्लेषण

- संस्थागत सुरक्षा के बिना अत्यधिक समानुभूति पक्षपात और असमानता उत्पन्न कर सकती है।
- समानुभूति के बिना कठोर निष्पक्षता अलगाव की भावना उत्पन्न कर सकती है।
- आदर्श दृष्टिकोण समानुभूतिशील निष्पक्षता है, जहाँ समानुभूति विविध आवश्यकताओं को समझने में मार्गदर्शक हो, लेकिन निर्णय न्याय और संवैधानिक नैतिकता के ढाँचे में ही रहें।

निष्कर्ष

सच्ची निष्पक्षता वास्तव में समानुभूति के साथ सह-अस्तित्व में हो सकती है, यदि समानुभूति को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में संस्थागत रूप से लागू किया जाए, न कि मनमानी व्यक्तिगत भावना के रूप में। एक सिविल सेवक को "कठोर प्रशासक, परंतु मानवीय हृदय वाला" होना चाहिये, जो नियमों के आधार पर निष्पक्षता सुनिश्चित करे और कानूनों की न्यायपूर्ण व्याख्या और क्रियान्वयन में समानुभूति का प्रयोग करे।

प्रश्न : "कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से सामाजिक पुनर्निर्माण के लिये न केवल प्रशासनिक दक्षता, बल्कि लोक सेवकों द्वारा नैतिक तर्क और समालोचनात्मक विश्लेषण की भी आवश्यकता होती है।" उपयुक्त उदाहरणों के साथ विवेचना कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- सामाजिक पुनर्निर्माण के संबंध में संक्षिप्त परिचय देते हुए उत्तर लिखिये।
- प्रशासनिक दक्षता की अपरिहार्य भूमिका पर गहराई से विचार कीजिये।
- नैतिक तर्क की आवश्यकता पर प्रकाश डालिये।
- समालोचनात्मक विश्लेषण के महत्त्व पर गहराई से विचार कीजिये।
- उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

'सामाजिक पुनर्निर्माण' का तात्पर्य राज्य के सुनियोजित प्रयासों से है, जिनके माध्यम से नीति-हस्तक्षेपों का प्रयोग कर समाज की संरचनाओं, मूल्यों और व्यवहारों में परिवर्तन लाया जाता है ताकि समानता, न्याय तथा विकास जैसे व्यापक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। कल्याण नीतियाँ इस परिवर्तन के मुख्य साधन हैं।

मुख्य भाग:

प्रशासनिक दक्षता की अपरिहार्य भूमिका:

प्रशासनिक दक्षता किसी भी कल्याण नीति की प्रक्रियात्मक रीढ़ का निर्माण करती है। यह सुनिश्चित करती है कि लक्षित लाभ सही समय पर सही लोगों तक पहुँचे। इसमें शामिल हैं:

- **लक्ष्य निर्धारण और पहचान:** लाभार्थियों की सटीक पहचान करना, ताकि उनका समावेशन या अपवर्जित/बहिष्कार करने की त्रुटियों से बचा जा सके।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **लॉजिस्टिक्स और वितरण:** सेवाओं या वस्तुओं का समय पर और निर्बाध वितरण सुनिश्चित करना।
- **संसाधन प्रबंधन:** धन और मानव संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना।

उदाहरण: सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से लक्षित PDS में संक्रमण और अब इसे 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना के माध्यम से और अधिक परिष्कृत किया जाना, प्रशासनिक दक्षता की खोज का प्रमाण है।

नैतिक तर्क की आवश्यकता:

कल्याणकारी नीतियाँ जटिल मानवीय परिवेश में कार्य करती हैं, जिसमें अक्सर संवेदनशील जनसंख्या और नैतिक दुविधाएँ शामिल होती हैं, जिन्हें केवल नियम और प्रक्रियाएँ ही संबोधित नहीं कर सकतीं। नैतिक तर्क एक लोक सेवक को इन जटिल/ग्रे क्षेत्रों में करुणा, सत्यनिष्ठा और न्याय की भावना के साथ मार्गदर्शन करने में सक्षम बनाता है।

- **समानुभूति और करुणा:** नौकरशाही नियम कठोर हो सकते हैं। एक नैतिक लोक सेवक उन्हें मानवतावादी दृष्टिकोण से लागू करने के लिये समानुभूति का उपयोग करता है।
  - उदाहरण: एक ज़िला कलेक्टर, जो वर्ष 2006 के वन अधिकार अधिनियम को लागू कर रहा है। केवल दक्षता पर आधारित दृष्टिकोण में दस्तावेज़ों की यांत्रिक जाँच करना और मामूली प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों वाले दावों को अस्वीकार करना शामिल हो सकता है।
    - हालाँकि, नैतिक तर्क द्वारा मार्गदर्शित एक लोक सेवक आदिवासी समुदायों द्वारा सहन किये गए ऐतिहासिक अन्याय को समझेगा।
- **सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता:** कल्याणकारी योजनाओं में अक्सर सीमित संसाधनों का वितरण शामिल होता है, जिससे वे भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
  - उदाहरण: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटित करते समय, एक प्रशासक को स्थानीय राजनीतिक नेताओं की ओर से कुछ व्यक्तियों के पक्ष में निर्णय लेने का भारी दबाव महसूस होता है।
    - नैतिक तर्क सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता की मांग करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आवंटन पूरी तरह पारदर्शी और आवश्यकता-आधारित सर्वेक्षण के आधार पर किया जाए, जिससे न्याय के सिद्धांत की रक्षा हो और सबसे गरीब लोगों की सेवा हो सके।

समालोचनात्मक विश्लेषण का महत्त्व:

- **संदर्भानुकूल अनुकूलन:** राष्ट्रीय स्तर पर डिज़ाइन की गई नीतियाँ हर स्थानीय संदर्भ के लिये उपयुक्त नहीं हो सकतीं। समालोचनात्मक विश्लेषण आवश्यक अनुकूलन करने की अनुमति देता है।
  - उदाहरण: MGNREGA योजना रोज़गार सृजन की मांग करती है। एक दक्ष अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि काम उपलब्ध कराया जाए और मज़दूरी का समय पर भुगतान किया जाए।
    - हालाँकि, बुंदेलखंड जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में समालोचनात्मक विश्लेषण क्षमता वाले एक लोक सेवक जल संरक्षण (जैसे चेक डैम और तालाब गहराई बढ़ाना) पर केंद्रित परियोजनाओं को प्राथमिकता देंगे और उन्हें अनुमोदित करेंगे, भले ही इन्हें लागू करना अधिक जटिल हो।
- यह सुनिश्चित करता है कि योजना केवल रोज़गार ही प्रदान न करे, बल्कि जलवायु-सहनशील सामुदायिक संसाधन भी बनाए, जिससे स्थानीय संकट के मूल कारण का समाधान हो सके।
- **अनपेक्षित परिणामों का मूल्यांकन:** प्रत्येक नीति के अप्रत्याशित नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। समालोचनात्मक विश्लेषण इन्हें पहचानने और कम करने में सहायता करता है।
  - उदाहरण: लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये नकद हस्तांतरण प्रदान करने वाली एक योजना को दक्षतापूर्वक लागू किया जा सकता है।
    - हालाँकि, एक समालोचनात्मक विश्लेषण से पता चल सकता है कि कुछ पितृसत्तात्मक परिवारों में यह धन पुरुष सदस्यों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है और लड़की के लाभ के लिये उपयोग नहीं हो रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- एक लोक सेवक जो इस परिणाम का समालोचनात्मक विश्लेषण करता है, वह नीति निर्धारकों को महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया दे सकता है और नकद हस्तांतरण को सीधे स्कूल से संबंधित व्ययों से जोड़ने जैसे संशोधनों का सुझाव दे सकता है।

निष्कर्ष:

कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से सामाजिक पुनर्निर्माण केवल इनपुट और आउटपुट की यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। यह एक गहन मानवीय प्रयास है। जहाँ प्रशासनिक दक्षता नीति के कार्यान्वयन के लिये मार्ग तैयार करती है, वहीं नैतिक तर्क नैतिक दिशासूचक (कम्पास) प्रदान करता है और समालोचनात्मक विश्लेषण उस वाहन को मार्गदर्शन देता है, जिससे यह जटिल परिदृश्यों में नेविगेट कर सके और अप्रत्याशित चुनौतियों के अनुकूल ढल सके।

प्रश्न : "संस्थाओं में जनविश्वास प्राय: कानूनों के अभाव से नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों के क्षरण से कम होता है।" सिविल सेवाओं में जवाबदेही, विवेक और भ्रष्टाचार की चुनौतियों के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उद्धरण के औचित्य को उदाहरण के साथ स्पष्ट करते हुए उत्तर लिखिये।
- कानून पर नैतिकता की प्रधानता के लिये प्रमुख तर्क प्रस्तुत कीजिये।
- सिविल सेवाओं में नैतिक क्षरण से उत्पन्न चुनौतियों का गहन विश्लेषण कीजिये।
- उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

सार्वजनिक संस्थाओं में विश्वास केवल कानूनी ढाँचे पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह नैतिक आचरण पर भी अधिक निर्भर करता है। वर्ष 2008 का वित्तीय संकट इसका एक स्पष्ट उदाहरण है: जबकि बैंकिंग और वित्तीय प्रथाओं को नियंत्रित करने के लिये कानून मौजूद थे, सबप्राइम ऋण देने और जोखिम में हेर-फेर जैसे अनैतिक निर्णयों ने वैश्विक स्तर पर जनविश्वास क्षीण कर दिया।

मुख्य भाग:

कानून पर नैतिकता की प्रधानता (Primacy of Ethics Over Law):

कानून कार्रवाई के लिये एक ढाँचा प्रदान करते हैं, लेकिन वे हर स्थिति की पूर्व-कल्पना नहीं कर सकते। वहीं नैतिकता एक नैतिक दिशासूचक (कम्पास) प्रदान करती है, जो विशेष रूप से जटिल और अप्रत्याशित परिस्थितियों में लोक सेवक के आचरण का मार्गदर्शन करती है।

- कानून प्रतिक्रियाशील होते हैं, जबकि नैतिकता सक्रिय होती है। कानून अक्सर किसी समस्या के उत्तर में बनते हैं, वहीं दृढ़ नैतिक आधार समस्याओं के उत्पन्न होने से पहले ही उन्हें रोक सकता है।
- कानून को दरकिनार किया जा सकता है, लेकिन नैतिकता आंतरिक होती है। एक व्यक्ति जिसकी सत्यनिष्ठा कम है, वह कानून में छिद्र खोज सकता है, किंतु एक नैतिक व्यक्ति सही कार्य करेगा, भले ही कोई उसे न देख रहा हो।

सिविल सेवाओं में नैतिक क्षरण से उत्पन्न चुनौतियाँ

- **जवाबदेही:** जवाबदेही केवल कानूनी अनुपालन नहीं बल्कि नागरिकों के प्रति नैतिक ज़िम्मेदारी भी है। नैतिक उल्लंघन, भले ही गैर-कानूनी हों, जनविश्वास कम कर देते हैं।
  - अधिकारी औपचारिक रूप से नियमों का पालन कर सकते हैं, फिर भी पारदर्शी ढंग से कार्य करने या नागरिकों की आवश्यकताओं का उत्तर देने में विफल रह सकते हैं।
    - भारत में कई नौकरशाही घोटालों में, जहाँ नियम मौजूद हैं, वहाँ भी उनका चयनात्मक प्रवर्तन या अनुपालन न होना नगरपालिका निकायों या सार्वजनिक वितरण प्रणालियों जैसी संस्थाओं में विश्वास खोने का कारण बन गया है।
- **विवेकाधीनता:** व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के लिये विवेक का दुरुपयोग मूल्य के क्षरण को दर्शाता है। जब अधिकारी सार्वजनिक कल्याण की तुलना में स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं तो विश्वास में कमी आती है।
  - सरकारी अनुबंधों या लाइसेंस का बिना पारदर्शिता के आवंटन, भले ही यह कानूनी रूप से अनुमति प्राप्त हो, अक्सर भाई-

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

भतीजावाद या पक्षपात के आरोपों का कारण बनता है, जो कानूनी वैधता और नैतिक शासन के बीच के अंतर को उजागर करता है।

- **भ्रष्टाचार और मूल्य क्षरण:** भ्रष्टाचार को प्राय: कानून के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है, लेकिन मूलत: यह एक नैतिक विफलता है।
  - भ्रष्टाचार-निरोधक कानूनों, जैसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की मौजूदगी के बावजूद भी अनैतिक आचरण बना रहता है, क्योंकि लोक कर्त्तव्यों का आंतरिक आत्मसात् पर्याप्त रूप से नहीं हो पाया है।
  - 2G स्पेक्ट्रम या कोयला आवंटन के मामले यह दर्शाते हैं कि केवल कानूनी कमियाँ ही कारण नहीं थीं; अधिकारियों में नैतिक मूल्यों का क्षरण ही इसका मूल कारक था।

निष्कर्ष:

जहाँ सुदृढ़ कानूनी ढाँचा सुशासन का आधार (Skeleton of Good Governance) है, वहीं नैतिक मूल्य उसकी जीवनधारा हैं। जनविश्वास को पुन: स्थापित करने और बनाए रखने के लिये आवश्यक है कि सिविल सेवाओं में सत्यनिष्ठा और नैतिक आचरण की संस्कृति विकसित की जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि उत्तरदायित्व केवल एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता न रहकर एक गहराई से निहित मूल्य बने और विवेक का प्रयोग बुद्धिमत्ता एवं निष्पक्षता के साथ किया जाए।

प्रश्न : क्या मूल्य कानूनों से पहले स्थापित होते हैं या कानून मूल्य निर्माण करते हैं ? समाज में नैतिक मानदंडों के विकास के संदर्भ में विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- मूल्य और कानूनों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी देते हुए उत्तर लिखिये।
- कानूनों से पहले के मूल्यों के पक्ष में तर्क दीजिये - कानूनी प्रणालियों का नैतिक आधार
- मूल्यों को आकार देने वाले कानूनों के पक्ष में तर्क दीजिये - समय के साथ नैतिकता का संस्थागतकरण
- नैतिक मानदंडों के विकास के संबंध में गहराई से अध्ययन कीजिये - एक पारस्परिक संबंध
- संतुलित रूप से उपयुक्त रूप से निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

मूल्य और कानून किसी भी समाज का आधार हैं। जहाँ मूल्य सामूहिक नैतिक चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं कानून स्वीकार्य आचरण को लागू करने योग्य नियमों के माध्यम से औपचारिक रूप प्रदान करते हैं। यह प्रश्न कि क्या मूल्य कानून से पहले स्थापित होते हैं या कानून मूल्य से, जटिल है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से दोनों ने नैतिक मानदंडों के विकास में परस्पर प्रभाव डाला है।

मुख्य भाग:

कानूनों से पहले मूल्य – कानूनी प्रणालियों का नैतिक आधार

- **प्राकृतिक कानून परंपरा:** चिंतकों जैसे कि ***सिसरो*** का तर्क था कि कानून (प्राकृतिक कानून) न्याय, स्वतंत्रता और समता जैसे सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों से वैधता प्राप्त करते हैं।
- **ऐतिहासिक उदाहरण:**
  - **सती प्रथा का उन्मूलन (1829):** राजा राम मोहन राय जैसे सुधारकों द्वारा प्रेरित, जो बदलते नैतिक मूल्यों में निहित था।
  - **स्वतंत्रता संग्राम:** गांधी का ***सत्याग्रह*** अहिंसा और सत्य के नैतिक सिद्धांतों पर आधारित था, इससे पहले कि स्वतंत्रता कानूनी रूप से सुनिश्चित हो।

कानूनों द्वारा मूल्यों का निर्माण – समय के साथ नैतिकता को संस्थागत रूप देना

- **परिवर्तनकारी संवैधानिकतावाद:**
  - ***नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ (2018):*** समलैंगिकता को अपराध न मानना समाज को गहरे निहित पूर्वाग्रहों पर पुनर्विचार करने में सहायता प्रदान करता है।
  - ***तीन तलाक का निर्णय:*** कानून को लिंग न्याय का साधन बनाया गया।
- **कानून के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन:**
  - ***स्वच्छ भारत अभियान:*** स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मूल्यों को बदल दिया।
  - **मोटर वाहन अधिनियम 1988 (साथ ही बाद में संशोधन):** सड़क सुरक्षा को लागू कर नागरिक ज़िम्मेदारी को आकार दिया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

- **कानूनी निषेध का समय के साथ आंतरिककरण:**
  - ***बाल विवाह, दहेज और मैनुअल स्कैवेंजिंग:*** कभी सामान्य माने जाने वाले व्यवहार अब कानूनी सुधारों के कारण असामाजिक और अनैतिक माने जाते हैं।

नैतिक मानकों का विकास – एक परस्पर संबंध		
पहलू	मूल्य कानून से पहले	कानून मूल्य का निर्माण करते हैं
उत्पत्ति	नैतिक जागरूकता	संस्थागत हस्तक्षेप
प्रेरक	सुधारक, नागरिक समाज	विधायिका, न्यायपालिका
प्रकृति	नीचे से ऊपर (Bottom-up)	ऊपर से नीचे (Top-down)
उदाहरण	पर्यावरणवाद, महिलाओं के अधिकार	सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, शिक्षा का अधिकार (RTE), LGBTQ+ अधिकार

निष्कर्ष:

समाज के गतिशील नैतिक परिदृश्य में मूल्य और कानून परस्पर निर्भर हैं। जहाँ मूल्य अक्सर कानूनी ढाँचों के लिये पूर्वसूचक और नैतिक मार्गदर्शक का कार्य करते हैं, वहीं कानून समाज के मूल्यों को आकार देने, उन्हें दृढ़ करने और आधुनिक बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से एक बहुलवादी और विकसित होते लोकतंत्र,जैसे भारत में। एक न्यायपूर्ण समाज के लिये लोगों की नैतिक दृष्टि और कानून की मानक शक्ति के बीच सामंजस्य आवश्यक है।

प्रश्न : "आवश्यक सेवाओं को वस्तुओं के रूप में नहीं देखा जा सकता।" आधुनिक समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के व्यवसायीकरण से उत्पन्न नैतिक चिंताओं का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत उन आवश्यक सेवाओं के संबंध में संक्षिप्त जानकारी देते हुए कीजिये, जो एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज के मूल तत्त्व हैं।
- व्यवसायीकरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न नैतिक चिंताओं का वर्णन कीजिये।
- व्यवसायीकरण से निपटने के उपाय सुझाएँ।
- उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा मूल मानव अधिकार और आवश्यक सेवाएँ हैं, जो एक न्यायसंगत, समान और मानवीय समाज की नींव बनाती हैं, जैसा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कल्पित है – न्याय, समता और भाईचारे को सुनिश्चित करना।

- जब ऐसी सेवाओं को वस्तु के रूप में देखा जाता है तो वे अधिकार आधारित लाभों से बाज़ार-संचालित उत्पादों में बदल जाती हैं, जिससे कल्याणकारी राज्य के नैतिक ढाँचे को कमज़ोर किया जाता है।

मुख्य भाग:

व्यवसायीकरण से उत्पन्न नैतिक चिंताएँ

- **सामाजिक और आर्थिक न्याय का उल्लंघन**
  - निर्देशक सिद्धांत (अनुच्छेद 39, 41, 47) राज्य को स्वास्थ्य और शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करने का दायित्व देते हैं।
  - निजीकरण इन आदर्शों को अप्रभावी करता है, क्योंकि यह केवल उन लोगों के लिये सुविधाएँ सीमित कर देता है, जो इसे वहन कर सकते हैं।
    - उदाहरण के लिये, अत्यधिक चिकित्सा बिल या उच्च शैक्षिक शुल्क गरीब और हाशिये पर रहने वाले लोगों को बाहर कर देते हैं।
- **समता और पहुँच संबंधी मुद्दे**
  - वस्तुवाद (Commodification) अमीर और गरीब के बीच अंतर को बढ़ाता है।
  - इसका परिणाम यह होता है कि गुणवत्तापूर्ण निजी संस्थानों तक केवल कुछ की ही विशेष पहुँच होती है, जबकि सार्वजनिक सेवाएँ अवित्तीय और उपेक्षित रह जाती हैं।
- **नैतिक उद्देश्य का क्षरण**
  - **स्वास्थ्य सेवा लेन-देन का माध्यम बन जाती है:** ध्यान मरीज की भलाई के बजाय लाभ अधिकतम करने पर केंद्रित हो जाता है।
    - उदाहरण: अतिरिक्त या अनावश्यक सर्जरी, परीक्षण या दवाइयाँ आय बढ़ाने के लिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **शिक्षा एक वस्तु बन जाती है:** कोचिंग संस्थान भय और प्रतिस्पर्द्धा पर आधारित व्यवसाय में विकसित होते हैं, जो समग्र विकास और नैतिक तर्क को कमज़ोर करते हैं।

- **मानव गरिमा और स्वायत्तता का ह्रास**
  - मरीजों या विद्यार्थियों को केवल "ग्राहक" के रूप में देखने से उन्हें केवल साधन बना दिया जाता है, लक्ष्य नहीं- जो कांट के नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन है।
  - गरीबों को मूलभूत सेवाओं तक पहुँच के लिये ऋण लेने या अनैतिक विकल्प अपनाने के लिये विवश किया जा सकता है।
- **व्यावसायिक नैतिकता का समझौता**
  - डॉक्टरों और शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे परोपकार, अहिंसा और सत्यनिष्ठा के मूल्यों को बनाए रखें।
  - बाज़ार आधारित प्रोत्साहन पेशेवर निर्णयों को प्रभावित करते हैं, जिससे हितों का टकराव उत्पन्न होता है।
- **सार्वजनिक विश्वास में क्षरण**
  - लाभ आधारित और पक्षपाती संस्थानों की धारणा सार्वजनिक और निजी दोनों प्रणालियों में विश्वास को कम करती है।
  - यह नागरिकों और राज्य के बीच सामाजिक अनुबंध को कमज़ोर करता है।
- **संविधान की मूल भावना का उल्लंघन**
  - अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) में स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार शामिल है।
  - आवश्यक सेवाओं को वस्तु के रूप में देखने से ऐसा बाज़ार आधारित असमान समाज बन सकता है, जहाँ अधिकार केवल क्रय शक्ति पर निर्भर हों।
  - आवश्यक सेवाओं को वस्तु के रूप में देखने से एक ***बाज़ार आधारित अलगाव*** (*Market Apartheid*) उत्पन्न होने का खतरा रहता है, जहाँ अधिकार केवल क्रय शक्ति पर निर्भर होते हैं।

व्यवसायीकरण से निपटने के उपाय

- **सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को सुदृढ़ करना**
  - स्वास्थ्य और शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को क्रमश: GDP के 6% और 2.5% तक बढ़ाना (NEP 2020, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017)।
- **नैतिक नियम और निगरानी**
  - राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा मान्यता बोर्ड जैसी नियामक संस्थाओं को सुदृढ़ करना, नैतिकता और पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित करते हुए।
- **पेशेवर प्रशिक्षण में नैतिकता**
  - चिकित्सा और शिक्षण नैतिकता को पेशेवर पाठ्यक्रम में शामिल करना, लाभ के बजाय सेवा उन्मुख दृष्टिकोण को बढ़ावा देना।
- **समावेशी सेवा वितरण मॉडल**
  - सख्त नैतिक दिशा-निर्देशों और गरीबोन्मुख ध्यान के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) लागू करना।
  - उदाहरण: आयुष्मान भारत सार्वजनिक वित्तपोषण और निजी वितरण को मिलाकर सार्वभौमिक कवरेज का लक्ष्य रखता है।

निष्कर्ष

शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाएँ एक लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य की नींव बनाती हैं। इनका व्यवसायीकरण संवैधानिक मूल्यों को कमज़ोर करता है, नैतिकता से समझौता करता है और सामाजिक असमानताओं को बढ़ाता है। आगे बढ़ने का नैतिक मार्ग राज्य की भूमिका को न्याय के प्रदाता के रूप में पुन: स्थापित करने में है, न कि केवल एक बाज़ार नियामक के रूप में। तभी भारत गरिमा, समता और भाईचारे पर आधारित समाज के दृष्टिकोण को बनाए रख सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

निबंध

प्रश्न : "हर अंतिम रेखा एक नई दौड़ की शुरुआत होती है।"

परिचय:

वर्ष 1953 में जब सर एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नॉर्गे ने प्रथम बार एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की तो इसे मानवीय साहस और संकल्प की चरम सफलता माना गया। किंतु प्रारंभिक बिंदु हिलेरी ने स्वयं कहा था कि यह चढ़ाई अंत नहीं बल्कि आगे की खोज, भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने और मानवीय भावनाओं की नई परीक्षा का आरंभ है। एवरेस्ट की उनकी 'अंतिम रेखा (फिनिश लाइन)' वैश्विक पर्वतारोहण के लिये एक नया 'प्रारंभिक बिंदु (स्टार्टिंग पॉइंट)' बन गई।

मानव जीवन वस्तुत: लक्ष्यों, संघर्षों और उपलब्धियों की निरंतर शृंखला है। प्रत्येक उपलब्धि यात्रा का समापन न होकर नए स्वप्नों और आकांक्षाओं की दहलीज़ (प्रारंभिक बिंदु) होती है। यही मानव की व्यक्तिगत, सामाजिक और सभ्यतागत प्रगति का सार है।

मुख्य भाग:

दार्शनिक आयाम

- **हेराक्लाइटस:** "परिवर्तन ही शाश्वत है।" अर्थात् किसी अवस्था का अंत स्वत: नयी शुरुआत को जन्म देता है।
- **नीत्शे:** 'अनंत आवृत्ति' की धारणा — प्रत्येक अंत से नए प्रारंभ का उद्भव होता है।
- **भारतीय दर्शन:** जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के संसार चक्रों की अवधारणा; जिसमें विकास सतत् प्रक्रिया है।

मनोवैज्ञानिक एवं व्यक्तिगत आयाम

- **व्यक्तिगत विकास:** परीक्षा, खेल या करियर में सफलता अंत नहीं होती बल्कि प्रत्येक उपलब्धि उच्चतर मानक स्थापित करती है।
- **खेल उदाहरण:** ओलंपिक पदक विजेता का 'फिनिश लाइन' वास्तव में प्रयास का अंत नहीं, बल्कि अगले खेलों के लिये प्रशिक्षण की शुरुआत होती है।
- **धैर्य एवं पुनर्निर्माण:** असफलता भी नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जैसे: छात्र पुन: प्रयास करते हैं या उद्यमी विफलता के बाद पुन: व्यवसाय खड़ा करते हैं।

सामाजिक एवं नैतिक आयाम

- **सुधार:** राजा राममोहन राय द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन एक अंत था, किंतु महिला अधिकारों की व्यापक लड़ाई की शुरुआत भी।
- **सिविल राइट्स मूवमेंट (अमेरिका):** रंगभेद कानूनों को समाप्त करना नस्लीय समानता के लिये एक व्यापक दौड़ की शुरुआत मात्र थी।
- **व्हिसलब्लोअर्स:** भ्रष्टाचार का पर्दाफाश मौन का अंत है, परंतु जवाबदेही की नई लड़ाई का आरंभ भी।

राजनीतिक आयाम

- **स्वतंत्रता आंदोलन:** भारत की आज़ादी उपनिवेशवाद का अंत थी, किंतु राष्ट्र-निर्माण, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की नई यात्रा की शुरुआत सिद्ध हुई।
- **भारतीय संविधान:** संविधान-प्रारूपण एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन डॉ. अंबेडकर के अनुसार यह केवल एक शुरुआत थी, क्योंकि असली परीक्षा तो इसके कार्यान्वयन में थी।
- **लोकतंत्र:** यदि प्रत्येक चुनाव एक अंत का प्रतीक होता है तो साथ ही नई शासन चुनौतियों की शुरुआत भी।

वैज्ञानिक एवं तकनीकी आयाम

- **अंतरिक्ष अन्वेषण:** वर्ष 1969 का चंद्रमा पर पहुँचना एक उपलब्धि थी, किंतु इसने मंगल मिशनों और अंतर-ग्रहीय यात्राओं की दौड़ को जन्म दिया।
- **चिकित्सा:** पोलियो उन्मूलन एक संघर्ष का अंत था, परंतु नए रोगों (जैसे COVID-19) के खिलाफ लड़ाई का मार्ग प्रशस्त हुआ।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता:** प्रत्येक उपलब्धि नए नैतिक, सामाजिक और नियामक चुनौतियाँ उत्पन्न करती है।

समकालीन वैश्विक आयाम

- **सतत् विकास लक्ष्य (SDG):** वर्ष 2015 में सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) का अंगीकरण सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों का अंत था, किंतु वर्ष 2030 तक सतत् विकास के लिये एक नई वैश्विक दौड़ की शुरुआत हुई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **जलवायु परिवर्तन:** पेरिस समझौता एक उपलब्धि थी, किंतु यह पृथ्वी को बचाने की एक नई कठिन दौड़ की शुरुआत मात्र है।

प्रतिवाद दृष्टिकोण

- कुछ विचारक मानते हैं कि निरंतर नई दौड़ की खोज मानव को थकान और असंतोष की ओर ले जाती है।
- बौद्ध दर्शन में 'संतोष' के महत्त्व को रेखांकित किया गया है, अन्यथा यह यात्रा अनंत मानवीय इच्छाओं का चक्र बन जाती है।
- इसलिये संतुलन आवश्यक है, जिसमें उपलब्धियों का उत्सव भी हो और नई चुनौतियों के लिये तैयारी भी।

आगे की राह

- व्यक्तियों को उपलब्धियों को अंतिम पड़ाव के रूप में देखना चाहिये, पूर्ण विराम के रूप में नहीं।
- समाजों को प्रतीकात्मक विजय से आगे निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये सुधारों को संस्थागत रूप देना चाहिये।
- राष्ट्रों को वैश्विक उपलब्धियों (SDG, संधियों) को निरंतर दायित्वों के रूप में देखना चाहिये, न कि एक बार की सफलता के रूप में।
- शिक्षा में धैर्य और अनुकूलन क्षमता विकसित होनी चाहिये, जिससे नागरिक जीवन-पर्यंत संघर्षों के लिये तैयार रहें।

निष्कर्ष

प्रत्येक 'अंतिम रेखा (फिनिश लाइन)' अंत नहीं बल्कि नए द्वार की शुरुआत है। व्यक्तिगत संघर्षों से लेकर राष्ट्रीय उपलब्धियों तक, मानव प्रगति इसी निरंतरता पर आधारित है। जैसा कि रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा है — ***"केवल खड़े होकर पानी को ताकते रहने से आप नदी को पार नहीं कर सकते।"*** प्रत्येक पार-गमन नई क्षितिज की ओर अग्रसर करता है।

प्रश्न : "शिक्षा के बिना ज्ञान नष्ट हो जाता है, ज्ञान के बिना विकास अवरुद्ध हो जाता है।"

परिचय:

वर्ष 1848 में ज्योतिबा फुले एवं उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने पुणे में बालिकाओं के लिये प्रथम विद्यालय की स्थापना की। उस समय स्त्रियों एवं निम्न जातियों को शिक्षा से वंचित रखा गया था। अत: यह कदम क्रांतिकारी था। फुले का मानना था कि अशिक्षा ही सामाजिक दासता का मूल कारण है। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था — ***"शिक्षा के बिना ज्ञान संभव नहीं और ज्ञान के बिना व्यक्तियों अथवा राष्ट्रों का वास्तविक विकास असंभव है।"***

शिक्षा केवल पढ़ने-लिखने की क्षमता नहीं, बल्कि समालोचनात्मक चिंतन, नैतिक विवेक और सामाजिक प्रगति की नींव है। इतिहास में प्रमाण हैं कि जो समाज शिक्षा की उपेक्षा करते हैं, वे अज्ञान और अविकास के चक्र में फँसे रह जाते हैं।

मुख्य भाग:

दार्शनिक आयाम

- **सुकरात:** "ज्ञान ही एकमात्र अच्छाई है, अज्ञान ही एकमात्र बुराई है।" शिक्षा ज्ञान का पोषण करती है और नैतिक जीवन जीने में सक्षम बनाती है।
- **भारतीय दर्शन:** उपनिषदों में विद्या (ज्ञान) को मोक्ष (मुक्ति) का मार्ग माना गया है। अज्ञान बंधन है; ज्ञान मुक्ति (स्वतंत्रता) है।
- **स्वामी विवेकानंद:** शिक्षा को 'मनुष्य में पहले से ही विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति' के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके बिना, उच्च ज्ञान का उदय नहीं हो सकता।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं समाज सुधारक

- **डॉ. भीमराव आंबेडकर:** विपरीत परिस्थितियों में शिक्षा प्राप्त कर संविधान निर्माण के माध्यम से न्यायपूर्ण समाज की नींव रखी। दलितों से उनका आह्वान था — ***"शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो।"***
- **महात्मा गांधी:** 'नई तालीम' की अनुशंसा करते हुए समग्र शिक्षा के महत्त्व पर बल दिया गया, जो आत्मनिर्भरता और नैतिक विकास को प्रोत्साहित करती है।
- **रवींद्रनाथ ठाकुर:** विश्वभारती के माध्यम से, उन्होंने ऐसी शिक्षा को बढ़ावा दिया, जिसमें पूर्व और पश्चिम के ज्ञान का मिश्रण था।
- **जवाहरलाल नेहरू:** बच्चों को देश का भविष्य कहा; राष्ट्रीय विकास के लिये IIT, AIIMS जैसी संस्थाओं और वैज्ञानिक शिक्षा में निवेश किया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मनोवैज्ञानिक एवं व्यक्तिगत आयाम

- **व्यक्तिगत विकास:** शिक्षा तर्कशक्ति का विकास करती है; ज्ञान उसे नैतिक रूप से निर्देशित करता है।
  - उदाहरण के लिये, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने भारत के विकास के लिये अपनी वैज्ञानिक शिक्षा को अंतरिक्ष एवं रक्षा विकास में रूपांतरित किया।
- **अज्ञानता और अंधविश्वास:** शिक्षा का अभाव अंधविश्वास को जन्म देता है; ज्ञान भय को दूर करता है और तर्क-संगतता को बढ़ावा देता है।

सामाजिक एवं नैतिक आयाम

- **सामाजिक न्याय:** शिक्षा सीमांत समूहों को सशक्त बनाकर अन्याय के विरुद्ध संघर्ष (जैसे: महिला शिक्षा आंदोलन) का विवेक प्रदान करती है।
- **नैतिक नागरिकता:** केवल शिक्षित और बुद्धिमान नागरिक ही लोकतंत्र को कायम रख सकते हैं, विभाजनकारी प्रचार का विरोध कर सकते हैं तथा जनहित की दिशा में कार्य कर सकते हैं।
  - उदाहरण: राजा राम मोहन राय की शिक्षा और विवेक ने सती प्रथा को समाप्त करने, समाज में सुधार लाने और भारत के आधुनिकीकरण में सहायता की।

राजनीतिक एवं विकासात्मक आयाम

- **लोकतंत्र:** शिक्षित मतदाताओं के बिना चुनावी विकल्पों में विवेकी निर्णय संभव नहीं हो पाता और विवेकहीन शासन से विकास बाधित होता है।
- **भारत का सूचना का अधिकार अधिनियम:** शिक्षा से साक्षर नागरिकों ने पारदर्शिता की मांग की; विवेकपूर्ण प्रयोग से उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ।
- **आर्थिक विकास:** शिक्षा कौशल का निर्माण करती है, बुद्धिमत्ता/विवेक उन्हें समावेशी विकास की ओर ले जाती है। उदाहरण: हरित क्रांति– वैज्ञानिक शिक्षा से अन्न उत्पादन संभव हुआ और विवेकी नीतियों ने उसे खाद्य सुरक्षा में रूपांतरित कर दिया ।

वैज्ञानिक एवं तकनीकी आयाम

- **वैज्ञानिक दृष्टिकोण:** शिक्षा प्रश्न पूछने और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करती है; विवेक इसका नैतिक उपयोग सुनिश्चित करता है।
  - उदाहरण: होमी भाभा की भौतिकी का ज्ञान भारत की शांतिपूर्ण परमाणु नीति में प्रयुक्त हुआ।
- **समकालीन चुनौती:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता अथवा जैव-प्रौद्योगिकी का विवेकहीन उपयोग मानवता के लिये संकट बन सकता है; विवेकपूर्ण प्रयोग से यह सतत् विकास का साधन बन सकता है।

वैश्विक एवं समकालीन आयामल

- **UNESCO:** शिक्षा को एक मूलभूत मानव अधिकार के रूप में घोषित किया गया है; यह शांति और विकास का आधार है।
- **सतत् विकास लक्ष्य (SDG 4 — सर्वोत्तम शिक्षा):** गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को अन्य सभी लक्ष्यों की आधारशिला माना गया है।
- **जलवायु परिवर्तन:** गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अथवा वैज्ञानिक दृष्टिकोण संकट को उजागर करता है, जबकि विवेक सतत् जीवनशैली और वैश्विक सहयोग की आवश्यकता को बताता है।

विपरीत दृष्टिकोण

- केवल शिक्षा से तकनीकी दक्षता तो आती है, परंतु विवेक के अभाव में व्यक्ति का नैतिक पतन (जैसे: शिक्षित लोगों में भ्रष्टाचार) संभव है।
- संरचित शिक्षा के बिना केवल पारंपरिक विवेक आधुनिक जटिलताओं से निपटने में विफल हो सकता है।
  - इसलिये शिक्षा और विवेक दोनों का परस्पर पूरक होना आवश्यक है।

निष्कर्ष:

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था — ***"शिक्षा का अंतिम परिणाम एक स्वतंत्र, सृजनशील मनुष्य होना चाहिये, जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्रकृति की प्रतिकूलताओं का सामना कर सके।"***

भारत का इतिहास दर्शाता है कि ज्योतिबा फुले के विद्यालयों से लेकर बी.आर. अंबेडकर द्वारा निर्मित भारतीय संविधान तक, भारत की यात्रा यह सिद्ध करती है कि शिक्षा ज्ञान का दीप जलाती है और ज्ञान/विवेक ही विकास का मार्ग प्रशस्त करता है।

वास्तविक प्रगति केवल साक्षरता में नहीं, बल्कि ऐसी शिक्षा में निहित है जो ऐसे बुद्धिमान, विवेकी और नैतिक नागरिकों का निर्माण करती है, जो समावेशी एवं सतत् विकास का मार्ग प्रशस्त करे।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रश्न : जब मनुष्य प्रकृति पर नियंत्रण कर लेता है तो सभ्यता आगे बढ़ती है, परंतु वह तब अवनति की ओर जाती है जब मनुष्य अपनी ही प्रकृति को भूल जाता है।

निबंध को समृद्ध बनाने के लिये उद्धरण:

- **अल्बर्ट आइंस्टाइन:** "प्रकृति को गहराई से देखो और तब तुम सब कुछ बेहतर समझ पाओगे।"
- **महात्मा गांधी:** "दुनिया में सबकी ज़रूरतों के लिये पर्याप्त है, लेकिन सबके लालच के लिये पर्याप्त नहीं है।"
- **रेचल कार्सन:** "जो लोग पृथ्वी की सुंदरता का मनन करते हैं, वे आजीवन शक्ति का भंडार पा लेते हैं।"

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **मस्लो की आवश्यकताओं का पदानुक्रम:** सभ्यता की प्रकृति पर अधिकार की क्षमता मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं (जैसे: शारीरिक और सुरक्षा संबंधी) को पूरा करने का माध्यम है।
  - हालाँकि, प्रतिगमन तब होता है जब यह प्रयास उच्चतर मानवीय आवश्यकताओं जैसे कि संबद्धता, सामुदायिकता, आत्मीयता और आत्मसाक्षात्कार; जो 'स्वयं की प्रकृति' का मूल है, को कमज़ोर कर देता है।
- **पर्यावरणीय नैतिकता:** प्रकृति पर प्रभुत्व नैतिक उत्तरदायित्व द्वारा निर्देशित होना चाहिये; प्रकृति की सीमाओं को समझे बिना उसका दोहन प्रतिगमन की ओर ले जाता है।
- **मानव स्वभाव और अस्तित्ववाद:** जब मनुष्य अपनी ही प्रकृति — संवेदनशीलता, संयम और आत्मचेतना को भूल जाता है तब तकनीकी प्रगति के बावजूद सामाजिक और नैतिक अवनति होती है।

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

- **प्रकृति पर अधिकार:** सिंधु घाटी सभ्यता ने नदियों की प्रणाली को कृषि और शहरी नियोजन का साधन बनाया, जिससे समाजिक प्रगति संभव हुई।
- **मानव-प्रकृति का विस्मरण:** संसाधनों के अति-दोहन के परिणामस्वरूप ईस्टर द्वीप की सभ्यता का पतन हुआ, जो यह दर्शाता है कि जब मानव-लोभ प्राकृतिक सीमाओं को लाँघता है तो विनाश निश्चित है।
  - औद्योगिक प्रदूषण से उत्पन्न जन-स्वास्थ्य संकट यह दिखाता है कि जब मानव अपने उत्तरदायित्व की उपेक्षा करता है तो उसकी प्रगति ही उसके लिये खतरा बन जाती है।
- **भारत में हरित क्रांति:** हरित क्रांति खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये प्रकृति पर मानव द्वारा अधिकार पाने की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी।
  - किंतु इससे जो प्रतिगमन हुआ, उसमें भूजल स्तर में कमी, रसायनों के अत्यधिक उपयोग से मृदा की उर्वरता का क्षरण और जैवविविधता का ह्रास सम्मिलित था, जिससे दीर्घकालिक पारिस्थितिक असुरक्षा उत्पन्न हुई।

नैतिक और रणनीतिक निहितार्थ:

- प्राकृतिक संसाधनों का उत्तरदायी प्रबंधन प्रगति और नैतिकता के बीच संतुलन स्थापित करता है।
- सहानुभूति और सामाजिक उत्तरदायित्व की तरह मानव स्वभाव की उपेक्षा, भौतिक प्रभुत्व के बावजूद सभ्यता को कमज़ोर करती है।

समकालीन उदाहरण:

- **शहरी नियोजन:** भारत के 'स्मार्ट सिटी' प्रकल्प यह दर्शाते हैं कि तकनीकी नवाचार को मानव-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ जोड़कर प्रकृति पर नियंत्रण और जीवन-गुणवत्ता दोनों को संतुलित किया जा सकता है।
- **कॉरपोरेट स्थिरता:** इन्फोसिस और टाटा समूह जैसी कंपनियाँ यह सिद्ध करती हैं कि तकनीकी उत्कृष्टता तभी सार्थक है जब वह सामाजिक एवं पर्यावरणीय विवेक से जुड़ी हो।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वचालन:** आज मनुष्य 'बुद्धि की प्रकृति' पर अधिकार प्राप्त कर रहा है।
  - संभावित प्रतिगमन बड़े पैमाने पर नौकरियों के विस्थापन, एल्गोरिथम संबंधी पूर्वाग्रह और मानवीय जुड़ाव व समालोचनात्मक सोच के क्षरण में निहित है, जिससे यह बहस छिड़ गई है कि हमें अपनी प्रकृति के किन पहलुओं को संरक्षित रखना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रश्न : आज शक्ति हथियारों में नहीं, बल्कि आख्यानों में निहित है।

निबंध को समृद्ध करने हेतु उद्धरण:

- **युवल नोआ हरारी:** "आप किसी बंदर को यह विश्वास नहीं दिला सकते कि उसे अनंत केले मिलेंगे अगर वह मरणोपरांत बंदर स्वर्ग में जाए। केवल 'सैपियन्स (बुद्धिमान)' ही ऐसी कहानियों पर विश्वास कर सकते हैं।"
- **जोसेफ गोएबल्स:** "एक बार बोला गया झूठ झूठ ही रहता है, लेकिन हज़ार बार बोला गया झूठ सच हो जाता है।"
- **चिमामांडा न्गोज़ी अदिची:** "रूढ़िवादिता की समस्या यह नहीं है कि वे असत्य हैं, बल्कि यह है कि वे अधूरी हैं। वे एक कहानी को एकमात्र कहानी बना देती हैं।"
- **नोम चोम्स्की:** "लोकतंत्र के लिये प्रचार वही है, जो एक अधिनायकवादी राज्य के लिये लाठियाँ।"

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **निर्माणवाद (अंतर्राष्ट्रीय संबंध):** आधुनिक विश्व में शक्ति सामाजिक रूप से निर्मित है, कथाएँ धारणाओं को आकार देती हैं और वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करती हैं।
- **मीडिया और संचार सिद्धांत:** सूचना और कथानक पर नियंत्रण जनमत को सैन्य बल की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से बदल सकता है (जैसे: वर्ष 2016 में अमेरिका के राज्य चुनावों में रूस का हस्तक्षेप)।
- **प्रभाव का मनोविज्ञान:** कथाएँ पहचान, वैधता और विश्वास उत्पन्न करती हैं; भावनात्मक जुड़ाव प्राय: बल-प्रयोग से अधिक प्रभावशाली होता है।

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

- **राष्ट्र निर्माण में आख्यान:**
  - महात्मा गांधी की अहिंसात्मक प्रतिरोध आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नैतिक दृष्टि से न्यायसंगत रूप में प्रस्तुत किया, जिससे वैश्विक समर्थन प्राप्त हुआ।
  - शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 'अमेरिकन ड्रीम' आख्यानों के प्रयोग ने राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को बढ़ावा दिया।
- **हथियार बनाम कथ्यक्रम:**
  - साइबर वॉर और प्रचार अभियान यह दर्शाते हैं कि सूचना एवं धारणाओं पर नियंत्रण वास्तविक युद्ध/संघर्ष से कहीं अधिक प्रभावी हो सकता है।

नैतिक और रणनीतिक परिणाम:

- नैतिक कथानक सामाजिक परिवर्तन का मार्गदर्शन कर सकता है, जबकि भ्रामक कथानक समाज को अस्थिर कर सकता है।
- राष्ट्रों और नेताओं की वैधता बनाए रखने के लिये आख्यान के प्रभाव को वास्तविकता एवं पारदर्शिता के साथ संतुलित करना चाहिये।

समकालीन उदाहरण:

- **सोशल मीडिया मूवमेंट्स:** #MeToo और #ClimateStrike जैसे हैशटैग यह दर्शाते हैं कि वैश्विक स्तर पर कथाएँ जनविचार एवं नीतियों को आकार दे सकती हैं।
- **कॉर्पोरेट ब्रांडिंग और 'वोक कैपिटलिज़्म(जागृत पूंजीवाद):** Nike और Apple जैसी कंपनियाँ केवल अपने उत्पादों के माध्यम से ही नहीं बल्कि पहचान, विद्रोह एवं रचनात्मकता के आख्यान प्रस्तुत करके भी व्यापक प्रभाव डालती हैं।
  - सामाजिक आंदोलनों के साथ जुड़कर ये आख्यान संस्कृति एवं जनविचार को आकार देते हैं, जो कभी केवल राज्यों तक सीमित थे।
- **भू-राजनीति:** भारत का 'वसुधैव कुटुंबकम्' कथानक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सॉफ्ट पावर को सुदृढ़ करता है, बिना बल प्रयोग के गठबंधन और सहयोग को आकार देता है।

प्रश्न : आप जो चाहते हैं उसकी कल्पना करते हैं, आप जो कल्पना करते हैं उसे पूरा करते हैं और अंततः आप जो चाहते हैं उसे रचते हैं। (1200 शब्द)

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- **स्वामी विवेकानंद:** *"एक विचार लो। उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो उसके सपने देखो, उस विचार को जियो।"*
- **अब्दुल कलाम:** *"सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो। सपने विचारों में बदल जाते हैं और विचार कार्य में परिणत होते हैं।"*

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

- **बुद्ध:** *"जो आप सोचते हैं, वही बन जाते हैं। जो महसूस करते हैं, उसे आकर्षित करते हैं। जिसकी कल्पना करते हैं, उसका निर्माण करते हैं।"*

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **आकर्षण का सिद्धांत एवं दृष्टांतिकरण (Law of Attraction & Visualization):** मानव कल्पना उद्देश्यों को आकार देती है और निरंतर इच्छाशक्ति इसे वास्तविकता में परिवर्तित कर देती है।
- **कर्म का दर्शन (भगवद् गीता):** स्पष्ट उद्देश्य के साथ केंद्रित कर्म परिणाम की ओर ले जाता है। इच्छा → संकल्प → सृजन।
- **अस्तित्ववादी विचार (Existentialist Thought):** सार्त्र का विचार कि मानव अपनी चुनी हुई योजनाओं के माध्यम से खुद को परिभाषित करता है; कल्पना स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है।
- **मनोवैज्ञानिक आयाम (Psychological Dimension):** सकारात्मक दृष्टांतिकरण प्रेरणा और सहनशीलता बढ़ाता है। एथलीट और नेता कल्पना को एक प्रदर्शन उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं।
- **भारतीय दर्शन - संकल्प शक्ति (इच्छा शक्ति):** समर्पण और धर्म के साथ प्रयास करने पर इच्छा भाग्य बन जाती है।

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

- **भारत का स्वतंत्रता संग्राम:** स्वराज के स्वप्न से (तिलक, गांधी) → जनता की निरंतर इच्छाशक्ति → स्वतंत्र भारत का निर्माण।
- **अंतरिक्ष मिशन (इसरो):** चंद्र/ग्रहीय मिशनों की कल्पना से (विक्रम साराभाई, कलाम) → दृढ़ इच्छाशक्ति → चंद्रयान और मंगलयान।
- **अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन:** किंग का "मेरा एक सपना है" → जन-आंदोलन → विधायी परिवर्तन (नागरिक अधिकार अधिनियम, 1964)।
- **भारत का संविधान:** न्याय, स्वतंत्रता और समानता की कल्पना → संविधान सभा की इच्छाशक्ति → एक जीवंत दस्तावेज़ का निर्माण।

समकालीन उदाहरण:

- **स्टार्ट-अप इकोसिस्टम:** संस्थापक नवोन्मेषी विचारों (जैसे- फ्लिपकार्ट, UPI, Paytm) की कल्पना करते हैं, चुनौतियों का सामना करते हुए उन्हें साकार करते हैं और नए उद्योगों का निर्माण करते हैं।
- **जलवायु कार्रवाई लक्ष्य:** कार्बन-तटस्थ भविष्य की वैश्विक कल्पना → नीतिगत इच्छाशक्ति (पेरिस समझौता) → नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार।
- **डिजिटल इंडिया:** समावेशी शासन का विज़न → राजनीतिक इच्छाशक्ति + तकनीकी नवाचार → UPI, जनधन–आधार–मोबाइल (JAM ट्रिनिटी)।
- **खेलों में प्रेरणा:** नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू जैसे भारतीय खिलाड़ियों ने अपने सपनों को ऐतिहासिक ओलंपिक उपलब्धियों में बदल दिया।
- **व्यक्तिगत परिवर्तन की कहानियाँ:** मलाला यूसुफज़ई के शिक्षा के सपने से लेकर उनके नोबेल पुरस्कार विजेता अभियान तक।

प्रश्न : सिर्फ खड़े होकर पानी को देखने से आप समुद्र पार नहीं कर सकते। (1200 शब्द)

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- **रवींद्रनाथ टैगोर:** *"सिर्फ खड़े होकर पानी को देखने से आप समुद्र पार नहीं कर सकते।"*
- **थॉमस एडिसन:** *"कार्यान्वयन के बिना दृष्टि भ्रम है।"*
- **चाणक्य:** *"मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से महान होता है।"*
- **ब्रूस ली:** *"जानना ही काफी नहीं हैं, हमें इसको इस्तेमाल करना आना चाहिये। इच्छा ही काफी नहीं हैं, हमें कुछ नया भी करना चाहिये।"*

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **कर्म-प्रधान दर्शन (Action-Oriented Philosophy):** प्रयास के बिना सपने केवल कल्पनाएँ ही रहते हैं। कर्मयोग पूर्णता की ओर जाने का मार्ग बताता है।
- **व्यावहारिकतावाद (विलियम जेम्स, जॉन डेवी):** विचारों का मूल्य उनके व्यावहारिक परिणामों में निहित है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **बौद्ध धर्म - सम्यक प्रयास (Right Effort):** मोक्ष के लिये निष्क्रिय चिंतन नहीं, बल्कि अनुशासित अभ्यास आवश्यक है।
- **अस्तित्ववादी दृष्टिकोण (Existentialist Emphasis):** ज़िम्मेदारी कर्म में निहित है; विलंब करना स्वतंत्रता से वंचित करना है।
- **टालमटोल/विलंब का मनोविज्ञान (Psychology of Procrastination):** भय, सुविधा और निष्क्रियता सफलता में बाधाएँ उत्पन्न करते हैं।

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

- **भारतीय स्वतंत्रता:** निष्क्रिय इच्छा पर्याप्त नहीं थी; दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन जैसी गतिविधियों ने दृष्टि को निर्णायक कर्म में बदल दिया।
- **हरित क्रांति:** खाद्यान्न की कमी पर मात्र चिंता तब तक अप्रभावी थी जब तक कि साहसिक कृषि सुधार लागू नहीं किये गए।
- **महिला मताधिकार आंदोलन:** अधिकार निरंतर सक्रियता के माध्यम से प्राप्त किये गए, मौन आशा से नहीं।
- **रंगभेद का उन्मूलन:** मंडेला के संघर्ष ने दर्शाया कि मुक्ति के लिये निरंतर क्रियाशीलता आवश्यक थी, केवल चिंतन पर्याप्त नहीं था।

समकालीन उदाहरण:

- **स्टार्ट-अप इंडिया:** उद्यमी केवल विचारों से नहीं, बल्कि क्रियान्वयन, सहनशीलता और बाज़ार अनुकूलता से सफल होते हैं।
- **स्वच्छ भारत अभियान:** स्वच्छता का दृष्टिकोण केवल जनभागीदारी और ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन के माध्यम से साकार हुआ।
- **जलवायु संकट:** केवल जलवायु परिवर्तन को स्वीकार करना पर्याप्त नहीं है; नवीकरणीय ऊर्जा, जीवनशैली परिवर्तन और नीतियों के माध्यम से कार्रवाई करना महत्त्वपूर्ण है।
- **व्यक्तिगत स्तर:** UPSC की तैयारी कर रहे छात्र केवल योजना बनाने या पुस्तकों को देखने से सफल नहीं हो सकते; उन्हें दैनिक लेखन, संशोधन और अभ्यास करना आवश्यक है।

प्रश्न : न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला सद्गुण है, जैसे सत्य विचार प्रणालियों का होता है। (1200 शब्द)

परिचय:

जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा, *"Injustice anywhere is a threat to justice everywhere अर्थात् कहीं भी अन्याय, हर जगह न्याय के लिये खतरा है,"* उन्होंने उस सार्वभौमिक सत्य को व्यक्त किया कि न्याय किसी भी समाज की नैतिक नींव है। जैसे सत्य किसी विचार प्रणाली को वैधता और सामंजस्य प्रदान करके उसे सुदृढ़ करता है, वैसे ही न्याय सामाजिक संस्थाओं को सुदृढ़ करता है, न्याय सुनिश्चित करके, समानता कायम करके और नैतिक व्यवस्था बनाए रखकर।

एक लोकतंत्र बिना न्याय के तानाशाही में परिवर्तित होने का जोखिम उठाता है और एक दर्शन बिना सत्य के केवल रूढ़िवाद या प्रचार में ढह जाता है। इसलिये जैसा कि जॉन रॉल्स ने कहा, *"Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought अर्थात् न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला सद्गुण है, जैसे सत्य विचार प्रणालियों का होता है।"* यह कालातीत सिद्धांत रेखांकित करता है कि न्याय और सत्य दोनों ऐसे अनिवार्य गुण हैं जो मानव समाजों की वैधता (Legitimacy), विश्वसनीयता (Credibility) और अस्तित्व (Survival) की रक्षा करते हैं।

मुख्य भाग:

मूल विचार को समझना

- **सामाजिक संस्थाओं में न्याय:** अधिकारों और कर्त्तव्यों का समान वितरण सुनिश्चित करता है।
  - ***उदाहरण:*** भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समता की गारंटी देता है।
- **विचार प्रणालियों में सत्य:** ज्ञान साक्ष्यों और तर्कसंगतता पर आधारित होता है। सत्य के बिना, विज्ञान भी अविश्वसनीय हो जाता है।
  - ***उदाहरण:*** जलवायु परिवर्तन का इंकार वैश्विक सहयोग को क्षीण करता है।
- **समानांतर:** न्याय संस्थाओं को वैधता प्रदान करता है, जैसे सत्य ज्ञान को वैधता प्रदान करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

दार्शनिक आयाम

- **प्लेटो:** न्याय विभिन्न वर्गों के अपने-अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में सामंजस्य है।
- **अरस्तू:** न्याय "प्रत्येक को उसका हक देना (Giving each his due)" है।
- **रॉल्स:** न्याय को निष्पक्षता के रूप में देखते हैं- समान स्वतंत्रता सुनिश्चित करना और सबसे कम सुविधा प्राप्त लोगों की सुरक्षा करना।
- **गांधी:** न्याय को सत्य (Truth) से जोड़ते थे; उनका मानना था कि सत्य और अहिंसा ही एक न्यायपूर्ण समाज की आधारशिला हैं।
  - ***उदाहरण:*** दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय अन्याय और भारत में उपनिवेशीय अन्याय के विरुद्ध गांधी का संघर्ष दिखाता है कि न्याय के लिये सत्य को एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

सामाजिक संस्थाओं में न्याय का अनुप्रयोग

- **राजनीतिक संस्थाएँ:** न्याय लोकतंत्र को बनाए रखता है।
  - ***उदाहरण:*** केशवानंद भारती मामला (1973) संवैधानिक न्याय की पुष्टि करता है।
- **आर्थिक संस्थाएँ:** MNREGA जैसी योजनाएँ कार्य के अधिकार की गारंटी देकर वितरणीय न्याय सुनिश्चित करती हैं।
- **न्यायिक संस्थाएँ:** अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष मुकदमे स्वतंत्रता की सुरक्षा करते हैं।
- **सामाजिक संस्थाएँ:** अस्पृश्यता का उन्मूलन (अनुच्छेद 17) और आरक्षण नीतियाँ सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती हैं।

शासन और समाज में प्रासंगिकता

- न्याय संस्थाओं में विश्वास उत्पन्न करता है।
  - ***उदाहरण:*** विलंब के बावजूद भारतीय न्यायपालिका में लोगों का विश्वास।
- सत्य मीडिया और विज्ञान में विश्वसनीयता की सुरक्षा करता है।
  - ***उदाहरण:*** COVID-19 के दौरान गलत सूचनाओं ने विश्वास को कमज़ोर किया, जबकि डेटा-आधारित नीतियों ने जीवन बचाए।
- न्याय की कमी अशांति में बदल जाती है (***उदाहरण:*** अरब स्प्रिंग, भारत में दलित आंदोलन)।
- सत्य की कमी अराजकता में बदल जाती है (***उदाहरण:*** पोस्ट-ट्रुथ राजनीति, चुनावों में फेक न्यूज़)।

समकालीन प्रासंगिकता

- **भारत:** संविधान का प्रस्तावना न्याय- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की गारंटी देती है।
- **वैश्विक:** संधारणीय विकास लक्ष्य (SDG) का लक्ष्य 16 शांति, न्याय और मज़बूत संस्थाओं पर ज़ोर देता है।
- **चुनौतियाँ:**
  - बढ़ती असमानता (ऑक्सफैम रिपोर्ट: भारत की कुल संपत्ति का 40% शीर्ष 1% के पास) न्याय को प्रभावित करती है।
  - सोशल मीडिया पर गलत सूचना सत्य को प्रभावित करती है।

विपरीत दृष्टिकोण

- न्याय संदर्भ-विशिष्ट होता है, एक समाज में जो "न्यायपूर्ण" माना जाता है, वह दूसरे समाज में अलग हो सकता है।
- सत्य पर विवाद हो सकता है, सापेक्षवाद (Relativism) बनाम निरपेक्षवाद (Absolutism)।
- फिर भी न्याय और सत्य की खोज शासन और विचारधारा के केंद्र में बनी रहनी चाहिये।

आगे की राह

- कानून के शासन, पारदर्शिता और संस्थागत स्वतंत्रता को सुदृढ़ करना।
- प्रमाण-आधारित नीतियों और मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देना।
- समानता के साथ स्वतंत्रता के संतुलन के लिये समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना।
- सत्य और निष्पक्षता पर आधारित नैतिक नेतृत्व को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

एक समाज तभी स्थायी शांति, समृद्धि और सामंजस्य प्राप्त कर सकता है, जब उसकी संस्थाएँ न्याय पर आधारित हों और उसके कार्य सत्य द्वारा निर्देशित हों। समावेशी शासन, समान अवसर और नैतिक

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नेतृत्व सुनिश्चित करना नागरिकों को सशक्त बनाता है, लोकतंत्र को सुदृढ़ करता है और सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है। सार्वजनिक जीवन में न्याय बनाए रखना और विचारों में सत्य बनाए रखना न केवल मानव गरिमा की रक्षा करता है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को एक न्यायपूर्ण और नैतिक विश्व बनाने के लिये प्रेरित करता है। जैसा कि गांधीजी ने बुद्धिमानी से कहा, ***"सत्य और न्याय शायद दो सबसे शक्तिशाली शक्तियाँ हैं, जो मानवता को शांति की ओर मार्गदर्शित कर सकते हैं।"***

प्रश्न : मन की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। (1200 शब्द)

परिचय:

स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, *"तुमको अपने भीतर से बाहर की ओर बढ़ना होगा। कोई तुम्हें सिखा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारे अलावा कोई शिक्षक नहीं है।"* यह मन की स्वतंत्रता का सार दर्शाता है, वास्तविक मुक्ति भीतर से आती है, स्वतंत्र चिंतन, आत्मावलोकन और आत्म-साक्षात्कार के माध्यम से। सच्ची स्वतंत्रता केवल राजनीतिक या सामाजिक नहीं है, बल्कि यह सोचने की क्षमता में निहित है, निर्णयपूर्वक विचार करना, मान्यताओं पर प्रश्न उठाना और नैतिक रूप से कार्य करना।

उदाहरण के लिये, बंगाल पुनर्जागरण के दौरान, राजा राम मोहन रॉय ने परंपरागत हिंदू प्रथाओं जैसे सती का विरोध किया, भले ही समाज से भारी दबाव था और उन्होंने तर्कसंगत विचार और नैतिक साहस के आधार पर यह कदम उठाया। उपनिवेशीय संघर्ष के दौरान भी भगत सिंह ने अन्याय पर विचार करने के बाद सचेत विद्रोह का मार्ग चुना, यह दर्शाते हुए कि आंतरिक स्वतंत्रता बाह्य विश्व में परिवर्तनकारी क्रियाओं को सक्षम बनाती है।

इसी प्रकार डॉ. बी.आर. अंबेडकर, समाज के हाशिये पर जन्म लेने के बावजूद, ने सामाजिक मान्यताओं का समालोचनात्मक मूल्यांकन करके और संवैधानिक सुरक्षा, शिक्षा और समानता का समर्थन करके मन की स्वतंत्रता का अभ्यास किया। उन्होंने अंततः भारत के कानूनी और सामाजिक ढाँचे को आकार दिया, यह दर्शाते हुए कि मन की स्वतंत्रता न केवल व्यक्ति को बल्कि समाज को भी सशक्त बनाती है।

मुख्य भाग:

सैद्धांतिक समझ

बाहरी स्वतंत्रता और आंतरिक स्वतंत्रता में अंतर:

- **मन की स्वतंत्रता:** समालोचनात्मक चिंतन, स्वतंत्र तर्क करने और विश्वास तथा क्रियाओं में स्वायत्त रहने की क्षमता।
- बाह्य स्वतंत्रता (राजनीतिक अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और आंतरिक स्वतंत्रता (मानसिक स्वायत्तता, आत्म-जागरूकता) में अंतर।
  - उदाहरण: भारत में नागरिक संवैधानिक अधिकारों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक पूर्वाग्रह, जातिगत श्रेणियाँ और लैंगिक मानदंड सच्ची मानसिक स्वतंत्रता को सीमित करते हैं।
- UNESCO की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग (GEM) रिपोर्ट यह दर्शाती है कि विद्यालयों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने से सशक्तीकरण एवं निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मानसिक स्वायत्तता और वास्तविक स्वतंत्रता के बीच गहन संबंध है।
- मन की स्वतंत्रता के बिना लोकतंत्र केवल सतही रह जाता है, क्योंकि लोग कानूनी स्वतंत्रताओं के बावजूद अंधानुकरण कर सकते हैं।

दार्शनिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

- **जॉन स्टुअर्ट मिल:** व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है, जो व्यक्ति और समाज दोनों की प्रगति के लिये आवश्यक है।
- **बौद्ध दर्शन:** सजगता (Mindfulness) और आसक्ति से मुक्ति आंतरिक स्वतंत्रता (Inner Freedom) को विकसित करती है, जिससे व्यक्ति नैतिक निर्णय लेने में सक्षम होता है।
- स्वतंत्र चिंतन से प्रेरित आंदोलनों ने प्रायः सामाजिक सुधारों को जन्म दिया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **ऐतिहासिक उदाहरण:**
  - **कबीर (15वीं शताब्दी के संत-कवि):** उन्होंने आलोचनात्मक चिंतन और आध्यात्मिक तर्क के माध्यम से जाति व्यवस्था और कर्मकांडी प्रथाओं को चुनौती दी, जिससे समानता और आंतरिक मुक्ति (Inner Liberation) का संदेश मिला।
  - **ज्योतिराव फुले:** उन्होंने तर्क और शिक्षा के माध्यम से जातिगत उत्पीड़न का विरोध किया।
  - **सावित्रीबाई फुले:** महात्मा ज्योतिराव फुले की पत्नी सावित्रीबाई ने मन की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए भारत में महिलाओं की शिक्षा में क्रांति लाई, उन्होंने सामाजिक विरोध के बावजूद बालिकाओं के लिये विद्यालय स्थापित किये।
  - **नेल्सन मंडेला (वैश्विक उदाहरण):** उन्होंने रंगभेद का विरोध करते हुए मन की स्वतंत्रता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया, यह दर्शाते हुए कि आंतरिक दृढ़ विश्वास सामाजिक परिवर्तन की प्रेरक शक्ति बन सकता है।

व्यक्तिगत जीवन में महत्त्व

- आत्म-जागरूकता, सृजनात्मकता और धैर्य (Resilience) को विकसित करता है।
- व्यक्ति को छल, भ्रामक समाचार और अंधानुकरण से कम प्रभावित होने में सहायता करता है।
- नैतिक और सूचित निर्णय लेने को प्रोत्साहित करता है; मानसिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति प्राधिकरण (Authority) और भेदभावपूर्ण प्रथाओं पर प्रश्न उठा सकता है।
  - उदाहरण: एलन मस्क जैसे उद्यमी और नवप्रवर्तक (Innovators) ने स्वतंत्र चिंतन का उपयोग करके क्रांतिकारी समाधान विकसित किये।

सामाजिक और राजनीतिक प्रासंगिकता

- स्वतंत्र विचारों वाले समाज लोकतंत्र, बहुलतावाद और नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं।
- यह प्रचार, भ्रामक सूचना और अधिनायकवादी नियंत्रण के प्रभाव को सीमित करता है।
  - उदाहरण: उच्च साक्षरता और समालोचनात्मक चिंतन करने वाले नॉर्डिक देश प्रबल सामाजिक न्याय, सहभागी शासन और नागरिक सहभागिता का प्रदर्शन करते हैं।
- स्वतंत्र चिंतन नागरिक स्वतंत्रताओं (Civil Liberties), विधि के शासन (Rule of Law) और मानवाधिकारों की सुरक्षा को सुदृढ़ करता है, जिससे समाज में ठहराव (stagnation) नहीं आता।

आर्थिक और विकासात्मक प्रभाव

- मानसिक स्वतंत्रता नवाचार, उद्यमिता और वैज्ञानिक खोजों को प्रोत्साहित करती है।
- यह संकट के समय अनुकूलनीय सोच (adaptive thinking) को बढ़ावा देती है; उदाहरणस्वरूप, COVID-19 महामारी ने दिखाया कि प्रमाण-आधारित निर्णयों ने कैसे लाखों जीवन बचाए।
- जिन शिक्षा प्रणालियों में आलोचनात्मक चिंतन, सृजनात्मकता और समस्या-समाधान पर बल दिया जाता है, वे मानसिक स्वायत्तता को सशक्त बनाती हैं।
- विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) के अनुसार, जिन देशों में नवाचार के सशक्त तंत्र और स्वतंत्र विचारक मौजूद हैं, वे आर्थिक समुत्थानशीलता (Economic Resilience) और प्रौद्योगिकी विकास के मामले में अन्य देशों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

मानसिक स्वतंत्रता की चुनौतियाँ

- सामाजिक संस्कार, जाति और लिंग आधारित पूर्वाग्रह तथा कट्टर सामाजिक मान्यताएँ स्वतंत्र चिंतन को सीमित करती हैं।
- भ्रामक सूचनाएँ, विचारधारात्मक ध्रुवीकरण और सोशल मीडिया के प्रतिध्वनि कक्ष (Echo Chambers) आलोचनात्मक निर्णय क्षमता को कमज़ोर करते हैं।
- अधिनायकवादी शासन (Authoritarian Regimes) प्राय: असहमति और स्वतंत्र विचार को दबा देते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

- उदाहरण: कुछ देशों में मीडिया और शैक्षणिक स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंध बौद्धिक और सामाजिक प्रगति को सीमित करते हैं।

आगे की राह

- ऐसी शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करना जो आलोचनात्मक चिंतन, नैतिकता और आत्म-चिंतन पर केंद्रित हो।
- खुले संवाद, वाद-विवाद और विविध दृष्टिकोणों से परिचय को बढ़ावा देना।
- सजगता (Mindfulness), तर्कशीलता और विवेकपूर्ण संवाद के माध्यम से मानसिक दृढ़ता विकसित करना।
- विचार, अभिव्यक्ति और अंतरात्मा की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले कानूनों और संस्थाओं को सशक्त बनाना।
- भेदभाव, अंधविश्वास और अंधानुकरण को चुनौती देने वाले सामाजिक सुधारों को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष

वास्तविक स्वतंत्रता मन (Mind) से प्रारंभ होती है; मानसिक मुक्ति (Mental Liberation) के बिना सभी बाह्य स्वतंत्रताएँ अधूरी रहती हैं। वह समाज जहाँ व्यक्ति स्वतंत्र रूप से चिंतन करता है, निडरता से प्रश्न करता है और नैतिकता के साथ कार्य करता है, वही समाज सशक्त, प्रगतिशील और समावेशी होता है। मन की स्वतंत्रता व्यक्ति को सशक्त बनाती है और साथ ही लोकतंत्र, सामाजिक न्याय तथा नवाचार को भी दृढ़ करती है। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, *"The mind that opens to a new idea never returns to its original size अर्थात् जो मन किसी नए विचार को अपनाता है, वह कभी अपने पुराने आकार में वापस नहीं लौटता।"* इस स्वतंत्रता का पोषण एक ऐसे भविष्य की गारंटी है जहाँ मानवता ज्ञान, गरिमा और नैतिक प्रगति के साथ विकसित होती है।

दृष्टि The Vision

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME